लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/Contents

अंक 25, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1970/24 अग्रहायण, 1892 (शक)
No. 25, Tuesday, December 15, 1970/Agrahayana 24, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

	विषय	Subject	**पृष्ठ/Page**
721.	कागज बनाने की मशीनों के निर्माण के लिये संगठन	Consortium for Paper Making Machinery	1
723.	केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच समाज कल्याण कार्यों के बारे में समन्वय	Co-relation between Central Government and Delhi Administration regarding Social Welfare Measures .	4
724.	रेलवे लोको वर्कशापों से परीक्षण के लिए निकाले गये इंजनों से पुर्जों के हटा लिए जाने के कारण रेलवे दुर्घटनाएं	Railway Accidents due to Removal of parts from Engines taken out for Trials from Railway Loco Workshops .	6
728.	पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक पिछड़ी जातियां	"Most Backward" Classes of West Bengal . . .	13
729.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में हड़ताल/तालाबन्दी	Strike/Lock-out in HMT, Bangalore	14
731.	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता बैंच द्वारा निबटाई गई अपीलें	Appeals Disposed of by Income-Tax Appellate Tribunal, Calcutta Benches . .	20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
722. इस्पात के आयात के लिये लाइसेंस	Licences for import of Steel .	24
725. स्टैण्डर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Closure of Standard Motor Company, Madras . .	25
726. तेल के बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licenced Capacity of Oil Barrel Fabricators .	26
727. टायरों और ट्यूबों की कमी	Shortage of Tyres and Tubes .	27
730. कोका कोला का मूल्य	Price of Coca-Cola .	28
732. लम्बी दूरी तक माल परिवहन के लिये सड़क परिवहन कम्पनियों को परमिट	Permits for long distance haulage to Road Transport Companies	29
733. रूसी मंत्री द्वारा बोकारो का दौरा	Visit by Soviet Minister to Bokaro	29
734. मिश्रित इस्पात तथा विशेष इस्पात का आयात	Import of Alloy and Special Steel	30
735. पाठ्यपुस्तकों के लिये छपाई के कागज की कमी	Shortage of Printing paper for Text-Books	31
736. पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विकास में बाधा	Setback to Industrial Development in West Bengal . .	32
737. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कारखानों को गलाये हुए धातु-मल (स्लैग) का वितरण	Distribution of Molten Slag to Firms by Hindustan Steel Ltd.	33
738. आल इन्डिया रेलवेमैन्स फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनों द्वारा प्रधान मंत्री के निवास के सामने धरना	Dharna before the Prime Minister's House by Unions affiliated to All India Railwaymen's Federation	34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
739.	लाइसेंस नीति को उदार बनाना	Liberalisation of Licensing Policy	35
740.	कागज की कमी	Shortage of Paper . . .	35
741.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर तालाबन्दी	Lock out in H.M.T. Factory at Bangalore and other places .	36
742.	छोटे उद्योगों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा में संशोधन	Revision of Ceiling on Investment in Small Industries .	37
743.	औद्योगिक लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Industrial Licensing	37
744.	इस्पात वितरण सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Revision of Steel Distribution Policy	38
745.	कार्मिक संघों के मूलभूत अधिकार	Fundamental Rights of Trade Unions	39
746.	फ्रांस की रेनोल्ट कार कम्पनी के प्रतिनिधियों का दौरा	Visit by Representatives of Renault Car Company of France	39
747.	पंजाब खादी ग्रामोद्योग में धन का गबन	Misappropriation of funds in Punjab Khadi Gramodyog Sangh	40
748.	जमाएत-ए-इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना	Recognition of Jamat-I-Islami as a Political Party . .	40
749.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का कार्य	Working of Steel Plants in the Public Sector . . .	41
750.	बम्बई के स्टाक यार्डों में इस्पात के भण्डारों का जमा होना	Accumulation of Steel Stocks with Stockyards in Bombay	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4574.	छोटे उद्योगों को आयातित इस्पात की सप्लाई	Supply of Imported Steel to Small Scale Industries . .	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4575.	पिछड़े इलाकों में छोटे उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने के लिए राज्यों में शिखर निकायों का गठन	Setting up of Apex Bodies in States for giving Credit for development of Small Scale Industries in Backward Regions	43
4576.	औद्योगिक विकास का प्रभाव	Effect of Industrial Growth .	44
4577.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के ढलाई संयंत्र में आग लग जाना	Fire in the Foundry Forge Plant of HEC, Ranchi .	45
4578.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में हुई दुर्घटनायें	Accidents in the H.E.C., Ranchi	46
4579.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा विदेशी फर्मों को दिया गया परामर्श-शुल्क	Consultancy Charges paid to Foreign Firms by H.E.C., Ranchi	46
4580.	दिल्ली नगर निगम द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम के परियोजना विभाग को दिये गये क्रयादेश	Orders placed with Project Department of H.E.C. by Delhi Municipal Corporation	46
4581.	विद्युत भट्टियों तथा मुख्य इस्पात संयंत्रो में नरम इस्पात धातु पिण्ड के निर्माण की लागत	Cost of Production of Mild Steel Ingot in Electric Furnaces and Main Steel Plants	47
4582.	देशी भट्टी मालिकों द्वारा खरीदी गई कतरन	Scrap bought by Domestic Furnace Owners . . .	47
4583.	विदेशी सहयोग से सरकारी क्षत्र में छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Car with Foreign collaboration in Public Sector . . .	48
4584.	रोहतक और नई दिल्ली स्टेशनों (उत्तर रेलवे) पर स्थानीय रेलगाड़ियों का विलम्ब से आना	Late Arrival of Local Trains at Rohtak and New Delhi Station (Northern Railway)	49
4585.	लाइसेंस देने के कार्य से सम्बन्धित औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिकारी	Officials of Industrial Development dealing with Licences .	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4586.	टिकट एजेंटों द्वारा कोन्नाक्काडू (दक्षिण रेलवे) में टिकटों की प्रतिबन्धित बिक्री	Restricted Sale of Tickets by Ticket Agent at Konnakadu (Southern Railway) . .	51
4587.	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रेलवे विद्युतीकरण के लिये नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती	Fresh Recruitment of Casual Staff for Railway Electrification, Allahabad Division (Northern Railway) . . .	51
4588.	रेलवे विद्युतीकरण विभाग (उत्तर रेलवे) के नैमित्तिक कर्मचारियों के लिये नियमित वेतनमान	Regular Scale of Pay for Casual Employees of Railway Electrification (Northern Railway) .	52
4589.	रेलवे विद्युतीकरण (उत्तर रेलवे) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अनुपूरक विशेष अपील	Supplementary Special Appeal against the Judgement of Allahabad High Court in Railway Electrification Case (Northern Railway) . .	53
4590.	रेलवे विद्युतीकरण विभाग के नैमित्तिक कर्मचारियों का शिफ्ट ड्यूटी तथा रात की ड्यूटी में उपयोग	Casual Employees of Railway Electrification for Shift Duty and Night Duty . . .	54
4591.	पूर्वी रेलवे के जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर चोरियों और लूट-पाट में अन्तग्रस्त रेलवे कर्मचारी	Railway Employees involved in Thefts and Looting in Jehanabad Court Station (Eastern Railway)	54
4592.	मैसर्स एस्कार्टस द्वारा फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात	Import of Ford Tractors by M/s Escorts	55
4593.	मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों का आयात	Import of tractors by M/s. Escorts Limited . . .	56
4594.	पाइलेट गाड़ियों के अभाव में जीन्द स्टेशन (उत्तर रेलवे) में भरी हुई माल गाड़ियों का रुकना	Detention of Loaded wagons at Jind Station for want of Pilot Trains (Northern Railway) .	57
4595.	हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Haryana State Social Welfare Board	58
4596.	महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन में कमी	Shortfalls in Vital Sectors of Industry	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4597.	हैवी इलेक्ट्रीकल प्लांट, हैदराबाद द्वारा इटली के सहयोग से उर्वरक संयंत्रों के लिए मशीनरी का निर्माण	Manufacture of Machinery for Fertiliser plant by Heavy Electrical Plants, Hyderabad with Italian Collaboration .	60
4598.	चीनी मिलों द्वारा खोई पर आधारित कागज के कारखानों की स्थापना	Setting up of Bagasse-based Paper plants by Sugar Mills	60
4599.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि भारत में पौषाहार सम्बन्धी कार्यक्रम	Nutritional programme in India by UNICEF. . .	61
4600.	लघु उद्योग बोर्ड द्वारा परिवहन सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने का अनुरोध	Study of Transport problem urged by Small Scale Industries Board	61
4601.	बोकारो इस्पात कारखाने तथा अन्य इस्पात परियोजनाओं के लिये मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा परामर्श-कार्य	Consultancy work by M/s Dastur and Company for Bokaro Steel Plant and other Steel Projects	62
4602.	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Licences .	63
4603.	रेलों की बड़ी दुर्घटनाओं की जांच	Enquiry into Major Railway Accidents	63
4604.	जापान को कच्चे लोहे का निर्यात	Export of pig iron to Japan .	64
4605.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors .	65
4606.	इंडिया टोबैको कम्पनी	India Tobacco Company .	66
4607.	ट्रैक्टरों की चोर बाजारी के बारे में शिकायत	Complaint regarding sale of tractors in black market .	66
4608.	त्रिपुरा के आदिवासियों में शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं	Schemes for development of education amongst tribals of Tripura	67
4609.	त्रिपुरा की जनता की कठिनाइयां	Grievances of Tripura public .	68

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4610.	बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध अभियान के दौरान मारे गये यात्रा-टिकट निरीक्षकों के परिवारों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to the families of Travelling Ticket Inspectors killed during drive against ticketless travellers	69
4611.	पश्चिम रेलवे में रेलवे दुर्घनायें	Railway accidents on Western Railway	69
4612.	पश्चिम रेलवे के गार्डों को समयोपरि भत्ते का समय पर भुगतान न किया जाना	Non-payment of overtime allowance to Guards of Western Railway in time . . .	69
4613.	इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक कारखाने में इस्पात की कमी	Shortage of steel in Engineering and Industrial units .	70
4614.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात का आयात	Import of Steel by M/s Hindustan Steel Ltd. . . .	71
4615.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रिफ्रेक्टरों की सप्लाई	Supply of refractories for Bokaro Steel Plant . .	71
4616.	दिल्ली में रिंग रेलवे पर स्थानीय रेलगाड़ियों में वृद्धि	Increase in Local Trains on the Ring Railway in Delhi .	73
4617.	इलाहाबाद स्टेशन के गूडस शेड तथा प्लेटफार्म पर अपर्याप्त स्थान	Insufficient space in goods shed and platforms of Allahabad station	73
4618.	फाफामऊ रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे भूमि की नीलामी	Auction of Railway land near Phaphamau Station . .	74
4619.	मध्य प्रदेश में हरिजनों के लिये बनाये गये मकानों की संख्या	Number of houses constructed for Harijans in Madhya Pradesh	74
4620.	कोरोड (केरल) में उपरि पुल	Over-bridge at Chorode (Kerala)	75
4621.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में रेलवे लाईनें बिछाना	Laying of railway lines in Kerala during Fourth Plan . .	75
4622.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scales of employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	76

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4623.	दिल्ली चर्खा मण्डल की ओर बकाया राशि	Outstanding amount against Delhi Charkha Mandal .	76
4624.	बेरल स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी बम्बई	Standard Drum and Barrel Manufacturing Company. Bombay	76
4625.	स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को इस्पात की चादरों का दिया जाना	Allotment of steel sheets to Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. Bombay.	77
4626.	पठानकोट-जोगिन्दर नगर (उत्तर रेलवे) के रेलवे इंजनों का जीवन काल	Life span of Railway engines on Pathankot-Joginder Nagar line (Northern Railway) .	78
4627.	लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का नियतन	Allocation of Raw Materials for Small Scale Industries .	79
4628.	बालीगंज में रेलवे दुर्घटना	Railway accident at Ballygunge	80
4629.	विकलांग लोगों के कृत्रिम अंगों तथा उनके द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों की मुफ्त सप्लाई	Free supply of Artificial Limbs and Orthopaedic Appliances to Handicapped Persons .	80
4630.	पुरुलिया से कोटूशिला (दक्षिण पूर्व रेलवे) तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge line from Purulia to Kotshila (South Eastern Railway)	81
4631.	सिगरेटों का उत्पादन कर रही कम्पनियां	Companies Manufacturing Cigarettes	81
4632.	त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी-तेन्नेवेली रेलवे लाइन के बारे में सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Survey Report on Trivandrum-Kanyakumari-Tinnevelly Railway Line . . .	82
4633.	रायबरेली और कानपुर के बीच चल रही सवारी गाड़ियों के मार्ग को बदलने के लिये सुझाव	Suggestions for change in route of passenger trains running between Rae Bareli and Kanpur	82
4634.	उत्तर प्रदेश में झिनझक रेलवे स्टेशन पर डाकुओं द्वारा यात्रियों को पीटा जाना	Passengers beaten up by dacoits at Jhinjhak Railway Station-Uttar Pradesh . . .	83

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4635.	ब्रिटिश रेलवे की पद्धति पर पार्सल सेवा चालू करना	Parcel service on the pattern of British Railways . .	83
4636.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कलकत्ता स्टाकयार्ड के कार्यालय से इस्पात के वितरण की नई प्रक्रिया	New distribution procedure of Steel from H.S.L. Office of Calcutta Stockyard . .	84
4637.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन का विदेश-दौरा	Visits abroad by Chairman, H.S.L.	85
4638.	सहायक-स्टेशन मास्टरों की स्टेशन मास्टरों के पद पर उसी वेतनमान में पदोन्नति	Promotion of Assistant Station Masters as Station Masters in the same scale . . .	86
4639.	निर्धारित घण्टों से अधिक समय तक काम करने के लिये स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ता (उत्तर रेलवे)	Payment of overtime allowance to Station Masters for working beyond rostered hours (Northern Railway) .	86
4640.	जिन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को रात में कम दिखाई देता है, उन्हें निम्न वर्ग में (दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे) लगाया जाना	Station Masters and Assistant Masters who failed in night vision absorbed in Lower grade (Delhi Division Northern Railway) . .	87
4641.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को अधिक वेतनमान	Higher grade of pay to Assistant Station Masters of Delhi Division Northern Railway	87
4642.	रेलगाड़ियों में टक्कर होने तथा टक्कर से बचाने के लिए जिम्मेदार ठहराये गये ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर तथा गार्ड	Drivers, Station Masters, Assistant Station Masters and Guards held responsible for Collision and for averting collision of trains	88
4643.	ग्वालियर तथा झाँसी के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाना और ग्वालियर तथा उज्जैन के बीच रेलवे लाइन का निर्माण	Doubling of Railway line between Gwalior and Jhansi and Construction of Railway line between Gwalior and Ujjain	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4644.	ग्वालियर और भिंड जिलों के बीच बड़ी लाइन	Broad-gauge Line between Gwalior and Bhind Districts .	90
4645.	भिंड-ग्वालियर छोटी रेलवे लाइन पर अधिक स्टेशन	More Stations on Bhind-Gwalior Narrow-gauge Line . .	90
4646.	सोनी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर प्रतीक्षा कक्ष	Waiting Room at Soni Railway Station (Central Railway) .	91
4647.	मध्य प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस देना	Issue of Licences for setting up of New Industries in Madhya Pradesh	91
4648.	झालावर रोड तथा झालावर सिटी (पश्चिम रेलवे) के बीच नयी रेलवे लाइन	Rail Link between Jhalawar Road and Jhalawar City (Western Railway) . .	91
4649.	लघु उद्योग क्षेत्र में हैरो तथा हलों का निर्माण	Manufacture of Harrows and Tillers in Small Sector .	92
4650.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ऋण का भुगतान	Payment of Debt by Heavy Electricals (India) Ltd. . .	92
4651.	रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Railway Training Centres .	93
4652.	मुरादाबाद में चन्दौसी, सम्भल हातिम सराय और अलीगढ़ के मार्ग में पड़ने वाले चौरहों पर उपरि पुलों का निर्माण	Construction of overbridge on Road Crossings from Moradabad to Chandausi; Sambhal Hatim Sarai and Aligarh .	93
4653.	मदन मोहन राव के छोटी कार सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Fxchange for Small Car Proposal of Madan Mohan Rao	94
4654.	बिना टिकट यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway employees travelling without tickets . . .	94
4655.	इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये गये लोह अयस्क की मात्रा	Quantity of Iron Ore supplied to Steel Plants . . .	95

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4656.	दिल्ली में औद्योगिक विकास सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Industrial development in Delhi . . .	95
4657.	बाल अपराधों में वृद्धि	Increase in Juvenile delinquency in children . . .	96
4658.	कलकत्ता में भिखारियों तथा आवारागर्द व्यक्तियों के लिये रेन-बसेरों की व्यवस्था	Night shelters in Calcutta for beggars and vagrants . .	96
4659.	पश्चिमी बंगाल में आंतरिक व्यापार	Interal trade in West Bengal	97
4660.	पिघला हुआ धातु मल खरीदने के लिये भारतीय सीमेन्ट निगम द्वारा प्रस्तुत टेंडर	Tender submitted by Cement Corporation of India for purchase of Molten Slag . .	98
4661.	रुरकेला इस्पात कारखाने के उर्वरक का खराब होना	Breakdowns in the Fertiliser Plant of Rourkela Steel Plant	98
4662.	बम्बई-हावड़ा लाईन को जोड़ने के लिए रूपसा से तलबंद तथा इसके विस्तार तक बड़ी लाइन	Broad-Gauge line from Rupsa to Talband and its extension to connect Bombay-Howrah line	99
4663.	कानपुर में गोविन्द पुरी स्टेशन पर तेज गति वाली गाड़ियों का रुकना	Stoppage of fast trains at Govindpuri Station at Kanpur	99
4664.	तालचर-बिमलगढ़ रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Talcher-Bimalgarh Railway line . . .	100
4665.	डांगुआपोस्ट (दक्षिण पूर्व रेलवे) में दिये गये विशेष प्रकार के निर्माण ठेके	Special Construction contracts awarded in Danguapost (South Eastern Railway) . . .	100
4666.	लघु उद्योग क्षेत्र में इस्पात की ट्यूबें बनाने वाले कारखानों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Steel-tube manufacturing Units in Small Sector	100
4667.	ग्वालियर में इस्पात तथा लोह के लिये माल गोदाम की स्थापना की मांग	Demand for setting up of Stockyard in Gwalior for Iron and steel	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4668.	मध्य रेलवे पर काटन किंग नामक विशेष रेलगाड़ी का चलाया जाना	Running of Special Train "Cotton King" on Central Railway	101
4669.	पश्चिमी बंगाल के उद्योगपतियों को फरीदाबाद और गुड़गांवा में भूमि का आवंटन	Allotment of Land in Faridabad and Gurgaon for West Bengal Industrialists . . .	102
4670.	रेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने के लिये दूरी सम्बन्धी रोक	Distance Restriction for Travelling by Trains . . .	103
4671.	समाज-कल्याण पखवाड़ा	Social Welfare Fortnight .	103
4672.	कागज की कमी	Shortage of Paper .	104
4673.	भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिये व्यक्तियों को दिये गये निःशुल्क पास	Persons given Free Passes to travel on Indian Railways .	105
4674.	कुछ स्टेशनों पर माल डिब्बों में चोरी को रोकने के लिये साधुओं की सेवाओं का उपयोग किया जाना	Utilisation of Services of Sadhus to Check Pilferage of Wagons at some Stations . . .	106
4675.	जोनल रेलवे के जनरल मेनेजरों के सम्मेलन में किये गये निर्णय	Decision taken at the Conference of General Managers of Zonal Railways . .	106
4676.	बिजली से गाड़ियां चलाने के लिये बिजली की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों का अनुरोध	Request from State Government for Supply of Power to Run Electric Trains . .	108
4677.	विभिन्न राज्यों में खादी उद्योग में लगे कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength of Khadi Udyog in various States . .	108
4678.	कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Increase in Price of Coal . .	110
4679.	औद्योगिक नीति का पूंजी विनियोजन पर प्रभाव	Effect of Industrial Policy on Investment . . .	111
4680.	केरल को इस्पात का आवंटन	Allocation of Steel to Kerala .	111
4681.	कालीकट-एरणाकुलम लाईन पर तेज गतिवाली गाड़ी चलाया जाना	Fast Train on Calicut-Ernakulam line	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4682.	कोजीकोड से ओलवाकोट (दक्षिण रेलवे) तक दुहरी रेलवे लाईन को बनाना	Double Railway line from Kanjikode to Olavakkot (Southern Railway) . . .	113
4683.	समस्तीपुर रेलवे अस्पताल (पूर्वोत्तर रेलवे) से कम्बलों की चोरी	Theft of Blankets from Railway Hospital, Samastipur (North Eastern Railway) . .	113
4684.	वरिष्ठता के आधार पर पूर्वी रेलवे के लेखा विभाग में लिपिक ग्रेड I के पद पर पदोन्नति	Promotion to the Post of Clerks Class I in Accounts Department (Eastern Railway) on Seniority Basis . . .	113
4685.	पूर्व रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा लेखा विभाग के लिपिकों की शिकायतों पर विचार करने से इन्कार	Refusal of Einancial Advisor and Chief Accounts Officer, Eastren Railway to consider the Grievances of Clerks of Accounts Department .	114
4686.	वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में कोयम्बतूर से कोचीन तक सीधे जाने वाले डिब्बे	Through-Compartments from Coimbatore to Cochin in West Coast Express Train .	114
4687.	कलमास्सिरी (एरणाकुलम) में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के मुद्रण-संयंत्र की स्थापना	Setting up of H.M.T's Printing Press Unit In Kalamassery (Ernakulam) . . .	115
4688.	एरणाकुलम रेलवे स्टेशन का सुधार	Modification of Ernakulam Railway Station . . .	116
4689.	स्वीडन द्वारा विकसित लोहे का चूरा	Iron Powder developed by Sweden	116
4690.	रेलवे में कोयले की खपत में बचत करने में सफलता	Success in effecting Economy in the Consumption of Coal on Railways	117
4691.	वस्तुओं का मानकीकरण	Standardisation of Articles	117
4692.	कलकत्ता से उद्योगों का स्थानान्तरण	Shifting of Industries from Calcutta	118
4693.	रुरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Rourkela Steel Plant	118

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4694.	रुरकेला इस्पात संयंत्र में बिजली की मशीनों के निर्माण के लिये एक नये उत्पाद का निर्माण	Introduction of a new Product in Rourkela Steel Plant for manufacture of Electrical Machinery . . .	119
4695.	भारतीय रेलवे में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती, स्थायीकरण तथा पदोन्नति	Recruitment, Confirmation and promotion of Temporary Officers on Indian Railways .	120
4696.	रेडियो टेलिप्रिन्टरों पर काम करने वाले वायरलैस ओपरेटरों को विशेष वेतन	Special Pay to Wireless Operators working on Radio Teleprinters . . .	121
4697.	सूक्ष्मतरंग टेलीप्रिंटरों (दक्षिण रेलवे) पर वायरलैस आपरेटरों के रूप में नियुक्त सिगनेलरों को विशेष भत्ता न दिया जाना	Non-payment of special pay to Signallers on the utilisation of wireless Operators on Microwave Teleprinters (Southern Railway) . .	122
4698.	दक्षिण रेलवे में दूर मुद्रक यंत्रों पर काम करने वाले सिगनेलरों को विशेष वेतन	Special Pay to Signallers working on Teleprinters on Southern Railway . .	122
4699.	मिरमाली और भावतियाही को पुल के द्वारा जोड़ा जाना	Linking of Nirmali and Bhabtiahi by Railway Bridge	123
4700.	रेलवे इन्जनों में स्वचालित गति उपकरणों तथा गाड़ी रोकने वाले स्वचालित उपकरणों का लगाया जाना	Automatic Speed and Train stop equipment for Railway Engines . . .	124
4701.	रेलवे के लिये अपेक्षित भूमि से अधिक भूमि का उपयोग	Utilization of land beyond limits required for Railways . .	124
4702.	रेलवे द्वारा ट्यूब लाइट का प्रयोग	Use of flourescent light by Railways	125
4703.	टिकट परीक्षक का संगचल कर्मचारी माना जाना	Treating Travelling Ticket Examiners as Running Staff .	125
4704.	रेलवे में बचत योजना लागू करने में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा असहयोग	Non-Cooperation of senior officials effecting economy on Railways	126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4705.	अखिल भारतीय आयकर अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति	Recruitment of Judicial Members in the All India Income Tax Tribunal . .	127
4706.	पूर्वी रेलवे के बारासत-हसनाबाद सेक्शन पर दोहरी लाइन बनाया जाना	Work of double line from Barasat-Hasanabad sector of Eastern Railway . . .	127
4707.	टाटानगर तथा अमृतसर के बीच तेज चलने वाली जनता रेलगाड़ियां	Fast Janta train between Tatanagar and Amritsar .	128
4708.	मुरादाबाद, रामनगर तथा काशीपुर जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच बड़ी लाइन	Broad gauge line between Moradabad, Ramnagar and Kashipur junction (North Eastern Railway) . . .	129
4709.	धोगारदिहा स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर गुमती संख्या 72 को पुनः खोलना	Reopening of Gumti No. 72 at Ghogardiha (North Eastern Railway)	129
4710.	ट्रेक्टर का मूल्य	Price of of tractor .	129
4711.	चित्तोड़-कोटा रेलवे लाइन को अलाभप्रद घोषित करना	Chittor-Kota Railwby line declared uneconomical .	131
4712.	उद्योगों में विदेशी पूंजी	Foreign investment in industries	131
4713.	उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सुविधायें	Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for setting up industries . . .	132
4714.	भिलाई इस्पात संयंत्र को प्राप्त हुए निर्यात क्रयादेश	Export orderds received by Bhilai Steel Plant . . .	132
4715.	भरण अनुदान की दरें	Rates of Maintenance Grant .	133
4716.	त्रिपुरा सरकार द्वारा आदिम जातीय लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tribals by Tripura Government .	134
4717.	केरल में मध्यावधि चुनाव में पररूपधारण के मामले	Impersonation Cases during Mid-term Poll Kerala . .	134

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4718.	फीरोजपुर मंडल (उत्तर रेलवे) में मुख्य पार्सल लिपिकों के पद के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates for the post of Chief Parcel Clerks in Ferozepur Division (Northern Railways) . . .	134
4719.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सुपरवाइजर स्पेशल टिकट एक्जामिनर के पद पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to th the post of Supervisor Special Ticket Examiner Grade (Delhi Division, Northern Railway) . .	135
4720.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण का माडल रोस्टर समाप्त करना	Abolition of Model Roster of Reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	135
4721.	फीरोजपुर मंडल (उत्तर रेलवे) में कंडक्टरों का तदर्थ चयन	Ad-hoc Selection of Conductors in Firozepur Division (Northern Railway) . .	136
4722.	टूंडला रेलवे स्टेशन पर निर्मित पुल पर शेड	Shed on the Bridge constructed at Tundla Railway Station .	136
4723.	दनकोर-नई दिल्ली शटल सेवाओं को खुर्जा तक बढ़ाना	Extention of Dankur-New Delhi Shuttle service to Khurja .	136
4724.	खुर्जा जंक्शन पर हुई दुर्घटना में मारे गये हरिजनों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देना	Compensation paid to the families of Harijans killed in Khurja . . .	137
4725.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए योजनाएं	Schemes for uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	138
4726.	उड़ीसा तथा मैसूर में हरिजनों के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of lands to Harijans of Orissr and Mysore .	138
4727.	मुकेरियां तथा तलवाड़ा के (उत्तर रेलवे) बीच सवारी गाड़ी का चलाया जाना	Running of passenger trains between Mukerian and Talwara (Northern Railway) . .	139

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4728.	मंडलीय अधीक्षक, समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के समक्ष शांति-प्रदर्शन	Peaceful demonstration before the Divisional Superintendent, Smastipur (North Eastern Railway)	139
4729.	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा के तत्वाधान में कर्मचारियों द्वारा किया गया "सत्याग्रह" और भूख हड़ताल	Satyagraha and Hunger Strike by employees under the auspices of Purvotter Railway Mazdoor Sabha . .	139
4730	नरकटियागंज जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर ऊपरिपुल का निर्माण	Construction of overbridge at Narkatiaganj junction (North Eastern Railway) . .	140
4731.	बलसाड़ (पश्चिम रेलवे) में पार्सल तथा टिकट घरों के लिये कर्मचारी	Staff for Parcel and Booking Office at Bulsar (Western Railway)	140
4732.	जनता के दावों के निपटारे में विलम्ब के कारणों सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Enquiry Commission on causes of delay in setting public claims .	141
4733.	अजमेर (पश्चिम रेलवे) स्थित मंडलीय अधीक्षक के कार्यालय के सिबन्दी अनुभाग में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें	Complaints of corruption in Establishment Section of Divisional Superintendent Office, Ajmer, (Western Railway)	142
4734.	मध्य प्रदेश में भूमिहीन व्यक्तियों के लिये औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates for Landless Persons in Madhya Pradesh .	142
4735.	मध्य प्रदेश में छात्रवृत्तियों के लिए धन आवंटित करना	Allocation of Money for Scholarships in M. P. .	143
4736.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनु-फैक्चरिंग कम्पनी द्वारा एकमात्र वितरक की नियुक्ति	Appointment of sole Distributor by Hindustan Photo Films Manufacturing Co. . .	143
4737.	रेलने आसूचना विभाग द्वारा उत्तर रेलवे में आरक्षण के मामले में होने वाली चोर बाजारी के बारे में रिपोर्ट	Report by Railway Intelligence about black marketing in Reservation on Northern Railway . . .	144

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4738.	मताधिकार के लिये आयु का कम किया जाना	Lowering of the Age for Franchise	145
4739.	इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये निगम	Corporation for Engineering Products . . .	145
4740.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारी पर हमला	Assault on an Official of Durgapur Steel Plant . . .	146
4741.	विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scootor in Public Sector with Foreign Collaboration	146
4742.	पूंजी निवेश में कमी	Fall in Investment	147
4743.	भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	147
4744.	कागज नगर (आन्ध्र प्रदेश) में कागज मिल	Paper Mill in Kagaz Nagar (A.P.)	148
4745.	शटल तथा लोकल गाड़ियों का समय पर चलना	Punctuality of Shuttle and Local trains . . .	148
4746.	तमिलनाडु में टायर तथा ट्यूब के कारखाने के लिये आवेदन	Application for Tyre and Tube Factory in Tamil Nadu . .	150
4747.	तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खादी की बिक्री	Sale of Khadi to Central Government Employees in Tamil Nadu	150
4748.	मदुरा डिविजन (दक्षिण रेलवे) से वाणिज्यिक लिपिकों के पदों का वापस लिया जाना	Withdrawal of Posts of Commercial Clerks from Madura Division (Southern Railway)	150
4749.	उद्योगों में पूंजी निवेश पर दत्त पेनल प्रतिवेदन का प्रभाव	Impact of Dutt Panel Report on Foreign Investment in Industry	151
4750.	शोलापुर डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के डिवीजनल कार्यालय में अनुसूचित जातियों के लिपिक कर्मचारी	Scheduled Caste Clerical Staff in the Divisional Office, Sholapur Division (South Central Railway)	152

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4751.	शोलापुर डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में अनुसूचित जातियों के कोटे का पूरा न किया जाना	Non-fulfilment of Quota of Scheduled Castes in Sholapur Division (South Central Railway)	153
4752.	लातूर से मिराज तक बड़ी लाईन	Broad-gauge line from Latur to Miraj	153
4753.	अन्दूल-कलकत्ता कोर्ड लिंक प्रोजेक्ट (पूर्व रेलवे) में काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को खपाना	Absorption of Casual Labourers Working in Andul-Calcutta Chord Link Project (Eastern Railway)	154
4754.	मद्रास के निकट पैराम्बूर में हुई रेल दुर्घटना से सम्बन्धित जांच प्रतिवेदन का प्रकाशन	Publication of Inquiry Report relating to Train Accident at Perambur near Madras .	155
4755.	ह्वील सेटों की कमी	Shortage of Wheel Sets	155
4756.	बनग्रांव-बारासात डब्लिंग योजना के अन्तर्गत अन्दूल-कलकत्ता लिंक प्रोजेक्ट के छटनी किये गये कर्मचारियों को खपाना	Absorption of Retrenched Workers of Andul-Calcutta Link Project on Bangaon-Barasat doubling Scheme .	156
4757.	दक्षिण रेलवे में टेलीप्रिन्टर आपरेटरों के कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण	Clarification of Duties of Teleprinter Operator on Southern Railway	156
4758.	सीनियर वायरलैस आपरेटरों/ वायरलैस ट्रेफिक सुपरवाइजरों (दक्षिण रेलवे) के रिक्त पद	Vacant Posts of Senior Wireless operators/Wireless Traffic Supervisors (Southern Railway)	157
4759.	दिल्ली तथा नई दिल्ली के स्टेशनों पर घटिया किस्म की चाय की बिक्री	Inferior Quality of Tea Served at Delhi and New Delhi Stations	157
4760.	दिल्ली से नागपुर तक विद्युत-चालित गाड़ी	Electric Train From Delhi to Nagpur	158
4761.	मुद्रण कागज की कमी	Shortage of printing paper .	158
4762.	रेलवे द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा पर व्यय	Expenditure on education in shcools run by Railways .	159

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4763. औद्योगिक विकास	Industrial Growth	159
4764. खादी उद्योग को सहायता	Assistance to Khadi Industry .	160
4765. एम० एस० छड़ों की सप्लाई हेतु केरल सरकार से अभ्यावेदन	Representation from Kerala Government for supply of M. S. Rods . . .	161
4766. खन्ना रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ियों का रुकना और खन्ना चण्डीगढ़ के बीच रेलवे लाइन का बनाया जाना	Stoppage of Mail Trains at Khanna Railway Station and Railway link between Khanna and Chandigarh . . .	161
4767. गोविन्दगड़-खोखर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म	Platform at Govindgarh Khokhar Railway Station .	162
4768. पूर्व रेलवे के चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां	Scheduled Castes and Scheduled Tribes employed in Medical Department of Eastern Railway	162
4769. रेलवे डाक्टरों की पदोन्नति के अवसर	Avenues of Promotion of Railway Doctors . .	163
4770 जबलपुर डिवीजन (मध्य रेलवे) में कोयले की खपत के सम्बन्ध में मितव्यता अभियान	Economy drive in Coal Consumption in Jabalpur division (Central Railway) .	164
4771. बाल विवाह रोक अधिनियम का उल्लंघन कर विवाहों का सम्पन्न होना	Solemnisation of Marriages in violation of Prevention of child Marriage Act .	165
4772. पूर्वोत्तर प्रदेश के विकास के लिये समिति	Committee for Industrial Development of Eastern U. P.	165
4773. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का बहु-प्रयोजनीय सर्वेक्षण	Multi-purpose Survey of Eastern Districts of U. P. .	165
नरेशों की मान्यता समाप्त किये जाने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में	Re. Supreme Court's Judgement on Derecognition of Princes Order	166-172

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	173-176
भाखड़ा में बिजली का उत्पादन बहुत तेजी से घट जाने के कारण उत्पन्न कथित गम्भीर संकट	Reported Serious power crisis due to steep fall in the generation of power at Bhakra	173-176
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	173-174
डा० कु० ल० राव	Dr. K.L. Rao .	173-176
सभा-पटल पक रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	176-177
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	177
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	177
10वां प्रतिवेदन	Tenth Report . .	177
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	178
13वां और 15वां प्रतिवेदन	Thirteenth and Ffiteenth Reports	178
पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolutions *re.* West Bengal (Prevention of Violent Activities) Act, 1970 and West Bengal Maintenance of Public Order Act, 1970 .	178-193
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	179-180
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant .	181-187
श्री ज्योतिमर्य बसु	Shri Jyotirmoy Basu . .	188-190
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh . .	190-192
हिमाचल प्रदेश राज्य विधेयक,	State of Himachal Pradesh Bill	193-215
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	193-215
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant . . .	193-196
श्री अब्दुलगनी डार	Shri Abdul Ghani Dar .	196

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री प्रताप सिंह	Shri Partap Singh	196-197
श्री रंगा	Shri Ranga	197-198
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	198-199
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	199
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	199-200
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	200
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	200
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	201-202
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	202
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	202-203
श्री एम० मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	203
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	203-204
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	204
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	204-205
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	205
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	205
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	206-206
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	206
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	206-207
खंड 2 से 54	Clauses 2 to 54	208-213
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	213-215

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1970/24 अग्रहायण, 1892 (शक)

Tuesday, December 15, 1970/*Agrahayana* 24, 1892 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at One minute past Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कागज बनाने की मशीनों के निर्माण के लिए संगठन

+

*721. **श्री नि० रं० लास्कर :***

श्री मयाबन :

श्री दंडपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय कागज बनाने की मशीनों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि चतुर्थ योजना में लुगदी तथा कागज के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए संयंत्र तथा मशीनों को यथा

संभव अधिक से अधिक देश के अन्दर ही बनाने और तालिका के अनुसार उनका संभरण करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार का विचार यह है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध निर्माणकारी संसाधनों को, कागज संयंत्रों तथा मशीनों के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए समन्वित रूप से, काम में लाया जाना चाहिए। इस सबंध में विभिन्न उपायों का पता लगाया जा रहा है। एक ऐसे ही उपाय पर विचार किया जा रहा है जिसे 'सार्थ संघ उपाय' कहा गया है जिसके अन्तर्गत एक मात्र अभिकरण द्वारा कागज तथा मशीनों के क्रयादेश प्राप्त किये जायेंगे, यह अभिकरण ऐसे विशिष्ट सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों के पास जो इस प्रकार के प्रबन्ध में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, उपलब्ध निर्माणकारी सुविधाओं का, अधिकतम प्रयोग करने के लिए क्रयादेशों को क्रियान्वित कराने की व्यवस्था करेगा। इस संबंध में रुचि रखने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों में बातचीत चल रही है परन्तु अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री नि० रं० लास्कर : विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि देश में लुगदी और कागज बनाने का संयंत्र तथा मशीन का निर्माण करने के लिए कोई भी कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया है। वे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कागज तथा लुगदी बनाने के लिए कतिमय संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं, इस मशीन को विदेशों से मंगाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी तथा सरकार विदेशी मुद्रा बचाने हेतु मशीनों को देश में बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हम सार्थ-समूह को बनाने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कागज उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनों का निर्माण करने के लिए और अधिक ठोस कार्यवाही करना चाहते है। हमें इस मशीन में लगभग 180 करोड़ रुपये लगाने हैं ताकि 1973-74 में मशीनों की अतिरिक्त मांगों को पूरा किया जा सके। इसमें से हमें लगभग 30 प्रतिशत विदेशी मुद्रा पर व्यय करना पड़ेगा तथा शेष की पूर्ति देश में से ही की जाएगी। इस बात के लिए प्रयास किए जाने हैं कि पूरी-पूरी मशीन का निर्माण देश में ही किया जाये।

श्री नि० रं० लास्कर : मैं जानना चाहूँगा कि इस समय कितनी विदेशी मुद्रा के मूल्य के मशीन के पुर्ज़ों का आयात किया जायेगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : मैंने कहा है कि 30 प्रतिशत तक विदेशी पुर्ज़ों का आयात किया जायेगा तथा कुछ मामलों में इससे भी अधिक आयात हो सकता है। जहां तक देश में कागज बनाने के संयन्त्रों का संबंध हैं, वे संयन्त्रों के लिए मशीन का निर्माण कर रहे हैं जिनकी क्षमता 50 टन अथवा इससे कम होगी। इससे हमारा उद्देश्य यह है कि संयन्त्र के लिए इसकी क्षमता प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन होनी चाहिए। अतएवं आरम्भ

में 150 मीट्रिक टन की क्षमता वाले संयन्त्रों का निर्माण करने में कुछ अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ही होगी ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : कागज बनाने की मशीन बनाने के अतिरिक्त एफलूएन्टर्स को साफ करने के लिए मशीन की आवश्यकता है ताकि एफलूएन्टर्स के जल का उपयोग उचित ढंग से किया जा सके । क्या टामिलसन संयन्त्र की भांति, जोकि एफलूएन्टर्स को साफ करता है इन एफलूएन्टर्स को साभ करने वाली मशीन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : मैं सूचना एकत्रित करके माननीय सदस्य को दूंगा ।

Shri Maharaj Singh Bharti : In view of the acute shortage of paper, in case he become self sufficient in paper and export a part of it, whether the government is giving full consideration to see whether the consortium will be able to manufacture the whole machinery as required by us so that it is not imported ?

श्री मं० रं० कृष्ण : अभी भी जबकि हमारे पास सभी अपेक्षित मशीने नहीं हैं, हमने 6·2 करोड़ मूल्य के कागज का निर्यात किया है, हम अन्य देशों को भी कागज का निर्यात कर रहे हैं····

श्री महाराज सिंह भारती : आप कितना कागज आयात कर रहे हैं ?

श्री मं० रं० कृष्ण : अखबारी कागज के लिए हम कागज का आयात कर रहे हैं, शेष के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को देश के ही साधनों से ही पूरा कर रहे हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : जब भी सार्थ-समूह का सहारा लिया जाता है, भारतीय उद्योग को दो बड़ी कमियों का सामना करना पड़ता है । पहला यह है कि भारतीय पूंजी से बने उपकरण, जिसका समाश्वस्त बहुत निम्न है तथा जो लागू नहीं हो सकता है, के निर्माताओं द्वारा ऊँचा मूल्य लिया जाता है और दूसरा कि तुलनात्मक रूप से इन मामलों में अप्रचलित डिजाइन का मानकीकरण कर दिया जाता है । उदाहरण के लिए भारतीय कागज तथा लुगदी उद्योग के मामले में सरकार पूंजी उपकरण का 60 टन प्रतिदिन के दर से निर्माण करने का मानकीकरण करने का प्रयास कर रही है जबकि विदेशों में यह प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में उचित मूल्य पर कागज का निर्माण नहीं किया जा सका है । इन दो बड़ी कमियों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार इस सार्थ-समूह के लिए समय-समय पर उठने वाली समस्याओं को देखने के लिए निश्चित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करेगी ?

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य को इस सार्थ-समूह के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस सार्थ-समूह में हम उन सभी फर्मों की सहायता ले रहे हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं, हम यह भी चाहेंगे कि गैर सरकारी क्षेत्र की फर्में भी इस सार्थ-समूह में भाग लें। परन्तु अभी हम इसके कार्य आदि के ढाँचे के बारे में निर्णय नहीं ले पाये हैं। माननीय सदस्य यह ठीक कह रहे हैं कि अन्य देशों में इसकी क्षमता प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन है। हम यहाँ प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन की क्षमता के बारे में विचार कर रहे हैं। यह सही दिशा में उचित कदम है।

श्री हेम बरूआ : इस तथ्य को देखते हुए कि देश में सफेद छपाई के कागज की भारी कमी होने से पाठ्य पुस्तकों की छपाई पर प्रभाव पड़ेगा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सार्थ-समूह सफेद छपाई के कागज के उत्पादन में सहायता देगा और दूसरे इस तथ्य को देखते हुए कि कागज उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में है जो कि धन के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो क्या सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है जिससे सही स्थिति का पता लग सके ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सफेद कागज की कमी को महसूस किया गया है तथा जब स्कूल और कालेज पुनः खुले थे तो इसकी भारी कमी महसूस की गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए चालू कारखानों को अपने प्रतिमान बदलने के लिए कहा गया था तथा इस प्रकार उन्होंने उत्पादन 15,000 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया था तथा इससे स्थिति में सुधार हुआ है। सार्थ-समूह का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि कागज उद्योग के लिए अपेक्षित संयन्त्र और मशीन का निर्माण करने के लिए कारखानों की वर्तमान क्षमता का हम कहां तक उपयोग कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच समाज कल्याण कार्यों के बारे में समन्वय

श्री बलराज मधोक : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग तथा दिल्ली प्रशासन में गहरा समन्वय है। दोनों की गतिविधियाँ भिन्न-भिन्न हैं तथा दोनों में साफ सीमांकन है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि समाज कल्याण एक स्थानान्तरित विषय है और इस संबंध में दिल्ली प्रशासन की वही स्थिति है जो अन्य राज्यों की है ?

क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के समाज कल्याण के प्रस्ताव के अनुसरण दिल्ली प्रशासन में फरवरी, 1967 में समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय, नई दिल्ली को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेना स्वीकार कर लिया था जिसके साथ यह शर्त थी कि निदेशालय तथा इससे सम्बद्ध संगठनों को कार्यसंचालन के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था प्रशासन के लिए की जाएगी ?

क्या यह भी सच है कि समाज कल्याण दिल्ली प्रशासन के प्रभारी मंत्री और समाज कल्याण, केन्द्रीय सरकार के प्रभारी मंत्री के बीच दिसम्बर और 1968 तथा इस वर्ष भी बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने उन योजनाओं पर विचार विमर्श किया था जो कि केन्द्रीय समाज कल्याण निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा उसमें यह सहमति प्रगट की गई थी कि उनको दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित कर देना चाहिए ? यदि यह सच है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इन संस्थाओं को अभी तक दिल्ली प्रशासन को क्यों नहीं हस्तान्तरित किया गया है तथा केन्द्रीय सरकार क्यों अनावश्यक रूप से इसमें रुकावट डाल रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : दिल्ली प्रशासन ने यह मांग की थी कि दिल्ली की केन्द्रीय समाज कल्याण संस्थाओं को उनको हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों तथा केन्द्रीय विभाग के अधिकारियों के बीच को 1968 विचार-विमर्श भी हुआ था परन्तु दुर्भाग्यवश उसमें निर्णय नहीं हो सका है, मैं यह देखूगाँ कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि हाल ही में निर्धन व्यक्तिओं को सस्ते दूध तथा भोजन का वितरण करने के लिए एक योजना बनाई गई थी और सभी राज्य सरकारों को कुछ अनुदान दिया गया था तथा दिल्ली प्रशासन ने भी वितरण केन्द्र खोले थे और स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दे रही थी ? क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली प्रशासन इस कार्य को कर रहा है केन्द्रीय सरकार फिर क्यों स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दे रही है तथा अपने वितरण केन्द्र कम कर रही है और उसने किंग्स्वे कैम्प में एक नया केन्द्र खोला है जिसका उद्घाटन कुछ दिनों पूर्व समाज कल्याण के केन्द्रीय मंत्री ने किया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न समाज कल्याण संबंधी कार्यवाहियों में समन्वयता लाने के संबंध में है।

श्री जगन्नाथ राव : यह बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकारों और संघ राज्य दोनों द्वारा चलाया जाता है। अन्य कार्यक्रम बलवदी द्वारा चलाए जाते हैं जिनको आदिमजाति सेवक संघ और हरिजन सेवक संघ जैसी अखिल भारतीय संस्थाएं चलाती हैं। इन

दो अखिल भारतीय संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान मिलता है। इस बड़े कार्यक्रम को राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चलाते हैं और वे इसे सीधे तौर पर चला रहे हैं। इन कार्यक्रमों को चलाने में कोई विवाद नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मेरा प्रश्न है कि आप दिल्ली प्रशासन के साथ भिन्न व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? दिल्ली प्रशासन की स्थिति अन्य राज्य सरकारों के समान है तथा आप जो नीति अन्य राज्य सरकारों के साथ अपनाते हैं वही नीति यहाँ भी अपना सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस बात से सहमत हूँ कि संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति अन्य राज्य सरकारों के समान है। दिल्ली प्रशासन के संबंध में यह स्थिति बिल्कुल भी भिन्न नहीं है परन्तु बलवदी के मामले में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इन दो अखिल भारतीय संस्थाओं के द्वारा उसे अनुदान देता है। जहाँ तक राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस बड़े कार्यक्रम को चलाने का प्रश्न है, यह स्थिति भिन्न है।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि सरकार इन समाज कल्याण संगठनों को कोई अनुदान देने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करती है तथा क्या वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : जी हाँ, वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा रही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

Railway Accidents due to Removal of parts from Engines taken out for Trials from Railway Loco Workshops

*724. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that parts of the engines that are taken from the Railway Loco Workshop for trial, are stolen in the course of their trial;

(b) Whether Government have ever verified that such thefts are also a cause for the Railway accidents that are taking place now-a-days;

(c) Whether Government are also aware that an Officer of the Gorakhpur Loco Workshop was subjected to various assaults when he tried to check such thefts; and

(d) The measures proposed to be taken by Government to check such incidents ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता । इस तरह की चोरियां दुर्घटनाओं का कारण नहीं बन सकतीं क्योंकि गाड़ियों के संचालन के लिए इंजनों को भेजने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी पूरी तरह जांच कर ली जाती है कि वे सही हालत में हैं ।

(ग) जी हां । एक ऐसा मामला हुआ जिसमें गोरखपुर-कारखाने के एक अधिकारी पर उनके घर पर हमला करने की कोशिश की गयी । अभी तक यह पता नहीं चला हैं कि हमला करने का उद्देश्य क्या था । इस मामले की अभी जांच हो रही है ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी सभी कारखानों में दिन-रात तैनात रहते हैं ।

(ii) अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(iii) चोरी करने वाले गिरोहों और चोरी का माल खरीदने वालों का पता लगाने के लिए आसूचना कर्मचारियों को तैनात किया जाता है ।

(iv) सभी रेल कारखानों और स्थानीय शैडों को ऊंची चहारदीवारी से घेरा जाता है और पारी बदले जाने के समय फाटकों पर कड़ी नजर रखी जाती है ।

(v) परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले इंजनों को आमतौर से दिन के समय भेजा जाता है ।

(vi) जिन व्यक्तियों पर कारखानों और इंजन शेडों से चोरी करने का सन्देह किया जाता है उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

Shri Janeshwar Mishra : The reply of the Hon. Minister indicates that the Components of the engines are removed. Thefts are taking place in large numbers and the official has been attacked. May I know whether it is not a fact that all the engines, Coming out of Gorakhpur Loco-Workshop after repair, run on the same and one line and traders, thieves and Railway officials removed Components on this line. That Officials stopped then and he was attacked. But no action has been taken in this matter. I want to know that since this is a serious matter because thefts of Components results in putting engines out of order and accidents take place. So I want to know whether the Railway Ministry will set up any high powered Commission to enquire into the thefts in the Loco-Workshops in the whole of the

country and it will ascertain whether high officials are involved in the thefts on the Railways ? May I know whether he would place the report of the commission on the Table of the House ?

Shri M. Yunus Saleem : The question of thefts is worth consideration. Regarding the point whether thefts take place before taking engines to the workshops or not, we got information from every Railways that thefts of components do not take place before taking the engines to the workshops. If the hon. Minister has some material or he knows in which Railways the components of engines have been stolen before taking it to the workshop and which might have resulted in accidents then he may give that information to us. We are ready to examing it fully. But I have no such information from which we may say that thefts of components took place before taking the engines to the workshops or it happend before and which resulted in accidents.

Shri Janeshwar Mishra : The Hon. Minister is knowingly evading my questions. In his statement the Hon. Minister has said that generally the Railway engines are taken out of the Loco-Workshops in day time. In his first reply he has also stated the measures to be taken to check such incidents. From his first sentence it seems that the Hon. Minister accepts the whole incidents. So there is no point in challenging it.

I want to say to the Hon. Minister that if thefts take place in collusion with Railway officials, engine drivers and other employees in day light or in the dark of night, it makes no differance. Thefts can take place at any time. We are not concerned with this. I want to know clearly whether you will set up any high powered Commission to check the thefts in the Railway because it results in heavy damage as well as loss in terms of money. Instead of saying about the Commission the Hon. Minister asks us to serve as Railway Protection Force and give him information.

Shri M. Yunus Saleem : We have placed a statement, showing the measures taken to check it, on the table of the House. The measures which we are adopting have been placed before the Hon. Member. Thefts take place in the Railway but the question is when it happens. According to the Hon. Member the thefts take place and parts are stolen in the course of their taking to workshop and it results in accidents. We also replied to this. Your question is that whether Govt. are aware that parts of the engines that are taken out from the Railway Loco-Workshop for trial are stolen in the course of their trial. This is wrong. Our information is that in the course of trials no thefts are taking place.

Shri Janeshwar Mishra : We want reply to this question whether the Govt. will set up any Commission to check the thefts or not.

Mr. Speaker : You put question to elicit information but you convert it in argument.

श्री जे० मुहम्मद इमाम : रेलवे में उठाईगिरी और चोरी होना एक आम बात है। रेलवे मंत्री महोदय श्री नन्दा ने जो ग्यारह सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया हैं उनमें एक

किसी भी संभावित एजेंसी द्वारा उठाईगिरी तथा चोरियों को कम करने का कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रेलवे में उठाईगिरी और चोरी कहां तक कम हुई है ? उनका इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

दूसरे यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि इंजन मार्ग में खराब हो जाते हैं पूना और बंगलौर के छोटी लाईन के सैक्शन में ऐसा होता है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसका कारण पुर्जों की कमी तथा अन्य आवश्यक पुर्जों का खराब होना बताया जाता है, मंत्री महोदय इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं कि पहले चोरियां और उठाईगिरी रोकी जाय और दूसरे यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलने वाले इंजन यात्रा के बीच खराब न हो जायें ?

श्री मु० युनूस सलीम : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, उठाईगिरी और चोरियां रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा इसके परिणाम धीरे-धीरे आ रहे हैं । प्रश्न का दूसरा भाग मुख्य प्रश्न से संबोधित नहीं है । यदि माननीय सदस्य की इसमें रुचि है तथा यदि वह मुझे सूचना दें तो मैं उन्हें इसका भी उत्तर दे सकूंगा ।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : क्या मैं अपने सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर में और आगे कुछ कह सकता हूँ । चोरी के बारे में, मैं सभा के समक्ष यह बात निर्भीकता से कहना चाहता हूँ कि हमने ऐसी कार्यवाही की है जिनके लाभप्रद परिणाम निकले हैं और मुझे विश्वास है कि जब इन उपायों को अन्य क्षेत्रों में भी क्रियान्वित किया जायेगा तो इस स्थिति में बहुत अन्तर पड़ जायेगा ।

जहां तक गाड़ी रुकने के स्थानों का संबन्ध है, यह अंशत: दोषपूर्ण रख-रखाव के कारण भी हो सकता है तथा हम बेहतर रख-रखाव के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं । पुराने इंजनों के स्थान पर नये इंजन लगाने के बारे में भी हमने समुचित ध्यान दिया है तथा मुझे आशा है कि कुछ आगामी महीनों में स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

श्री रंगा : कुछ महीनों में अथवा कुछ वर्षों में ?

श्री नन्दा : कुछ ही महीनों में ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : सभा पटल पर रखे गये विवरण के (ख) भाग में तीन कार्यवाहियों का वर्णन किया गया है । हम जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल के कई अधिकारी ग़रीब चौकीदार अथवा कांस्टेबल डाके तथा चोरी के मामलों में रंगे हाथों पकड़े गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि डाके तथा चोरियों के मामलों में रेलवे सुरक्षा बल के ऐसे कितने आदमी पकड़े गये हैं तथा क्या सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल से ऐसे तत्वों को सेवा मुक्त करने के बारे में कोई कार्यवाही की है ताकि चोरी आदि की घटनायें कम हों ?

श्री मु० यूनुस सलीम : चोरी के मामले में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या बताना तो बड़ा कठिन है। परन्तु मैं वर्कशापों, स्टरों तथा अन्य स्थानों पर हुई चोरियों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पकड़े गये लोगों की संख्या तथा चोरियों में गई राशि के बारे में तो बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उक्त प्रश्न चोरियों के बारे में है। यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो दे दें अथवा वह इसके लिए सूचना देने को कहें।

श्री मु० यूनुस सलीम : मैं चोरी की राशि तो बता सकता हूं।

श्री स० कुण्डू : उन्होंने पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या पूछी है।

श्री मु० यूनुस सलीम : वह बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री नन्दा : चोरियों तथा उनके संबन्ध में की गई गिरफ्तारियों, रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्तियों रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। बिजली के सामान की चोरियों की संख्या कुल = 49; रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति = 118; रेलवे कर्मचारी तथा अन्य लोग = 1130 सभी प्रकार की चोरियों में 63 रेलवे सुरक्षा बल के आदमी; 884 रेलवे कर्मचारी तथा 2805 बाहर के लोग। कुल 3,752 व्यक्ति।

श्री स० कुण्डू : उन्होंने गोरखपुर वर्कशाप के बारे में पूछा है।

श्री नन्दा : यह जानकारी सामान्य प्रश्न के बारे में है। हम विभिन्न स्थानों से तुरन्त ही कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर रहे हैं। जहां रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति कार्य करते हैं तथा जहां-जहां भ्रष्टाचार की कार्यवाहियां हो सकती हैं उन स्थानों पर अधिकाधिक परिवर्तन किये जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इससे भी बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे।

Shri Ram Charan : There are two kinds of thefts from Railway Locos. Firstly Copper and brass is stolen away and secondly, the brass in the wheel axel of the engine is taken away replacing it by Jute which later on comes out of the wheel thereby increasing the possibilities of accidents even. I want to know the quantity of brass stolen from Lucknow and Gorakhpur Loco sheds during last one year ?

Shri R. L. Chaturvedi : The hon. Member wants separate figures for Lucknow and Gorakhpur. I do not have these figures at this moment.

श्री स० कुण्डू : मैं कनिष्ट मंत्री से नहीं बल्कि अपेक्षतया वरिष्ठ मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ · · ·

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर की चिन्ता कीजिये मंत्री महोदय की कनिष्ठता और वरिष्ठता की नहीं।

श्री स० कुण्डू : मैं जानना चाहूँगा कि क्या विशेष रूप से गोरखपुर वर्कशाप में चोरियों की घटनाएं गत दो वर्षों में दुगनी हो गई हैं। दूसरे जैसाकि भाग (vi) के अन्तर्गत बताया गया है कि "जिन व्यक्तियों पर कारखानों और लोको शैडों से चोरी करने का सन्देह किया जाता है उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है और उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्यवाही की जाती है।" से "उपयुक्त मामलों" का क्या अभिप्राय है ? कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है इसमें कितने विभागीय व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं तथा कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया है ?

श्री मु० यूनुस सलीम : प्रत्येक वर्कशाप के बारे में आंकड़े देना बड़ा ही कठिन है। मेरे पास तो वर्कशाप तथा गोदामों से हुई चोरियों का ब्यौरा है।

श्री स० कुण्डू : वह उस बात को क्यों दोहरा रहे हैं जो मंत्री महोदय ने पहले ही कह दी है तथा क्यों सभा का समय नष्ट कर रहे हैं ?

श्री मु० यूनुस सलीम : वह इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ नम्रता भी अपनाइये।

श्री मु० यूनुस सलीम : वर्ष 1967 में 2,52,454 रुपये की सम्पत्ति की चोरी हुई, 1968 में 1,77,913 रुपये की, 1969 में 1,47,444 रुपये की तथा सितम्बर, 1970 तक 2,21,144 रुपये की। इनमें से जितने मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई उसके आंकड़े इस प्रकार हैं : 1967 में 56,493 रुपये की, 1968 में 65,687 रुपये की 1969 में 30,680 रुपये की तथा सितम्बर, 1970 तक 29,774 रुपये की। 1967 में रेलवे सुरक्षा बल के 56 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; 1968 में 42 तथा 1969 में 12।

श्री स० कुण्डू : गोरखपुर वर्कशाप में कितने ? कृपया प्रश्न का (ग) भाग देखिये जिसमें कहा गया है कि :

"क्या सरकार को यह भी पता है कि गोरखपुर लोको वर्कशाप के एक अधिकारी ने जब इस प्रकार की चोरियों को रोकने का प्रयास किया तो उस पर अनेक बार आक्रमण किये गये।"

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध किसी अधिकारी पर आक्रमण करने से है।

श्री स० कुण्डू : प्रश्न गोरखपुर वर्कशाप से सम्बन्धित है। सारी बात गोरखपुर वर्कशाप के बारे में है। आप प्रश्न के (क), (ख) तथा (ग) भाग देखिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि इनके पास जानकारी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आप उन्हें विवश नहीं कर सकते।

श्री स० कुण्डू : मैं उन्हें विवश नहीं कर रहा हूँ।

श्री मु० यूनुस सलीम : जहां तक आक्रमण का प्रश्न है। यह सही है कि एक अधिकारी .....

अध्यक्ष महोदय : वह तो आप पहले ही बता चुके हैं। वह तो इस प्रश्न के अन्तर्गत कुछ ऐसी बातें पूछ रहे हैं जो इस प्रश्न के अधीन नहीं आती है।

श्री स० कुण्डू : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है कि :

"जिन व्यक्तियों पर कारखानों तथा लोको-शैडों से चोरी करने का सन्देह किया जाता है उनके विरुद्ध ....."

यह बात गोरखपुर वर्कशाप के बारे में आती है। सारा प्रश्न ही गोरखपुर वर्कशाप के बारे में है।

Shri M. A. Khan : The Hon. Minister has given figures about general thefts and arrests made in that connection. May I know whether he is aware, That Dynamo-strips, brass and other various items are stolen in large numbers from Loco-Workshops and Loco-Sheds all over India and that Railway strips are commonly used in motor pumps and grinding mills in our villages; and that the Railway authorities have totally failed in checking such theft till to-day? In these circumstances will the Hon. Minister appoint an enquiry committee which may give its recommendation, in regard to checking of such thefts so that such a heavy loss to Railways could be stopped?

Shri Nanda : This enquiry is not going to help much. We are very well aware what is going on. Only action is required in this matter and we are taking that. The forces working against us are also very strong. But we will do whatever is possible. We hope to be successfull in our efforts in future.

Shri M. A. Khan : Mr. speaker Sir, the hon. Minister has stated that the forces working against Government are very strong and the Government has failed to overcome them and that he is doing his best. Is it a correct answer?

Shri Nanda : I have sta ted that our efforts are proving successful and we will be more successful in future.

पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक पिछड़ी जातियां

*728. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के जिलेवार क्या नाम हैं;

(ख) उनका पिछड़ापन किस प्रकार का है;

(ग) क्या इन सर्वाधिक पिछड़े समुदायों के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक कल्याण के लिये सरकार की कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में, राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) संविधान के उपबन्धों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भीतर "अत्यन्त पिछड़े" वर्गों का कोई विनिर्देशन नहीं है और इसलिए इस प्रकार का कोई विनिर्देशन नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ)—प्रश्न नहीं उठते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि उनके पास उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार की अनुसूचित जातियां, पिछड़ी तथा अत्यधिक पिछड़ी जातियों का तुलनात्मक विवरण है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के अनुसार ही सूचियां तैयार की जाती हैं परन्तु हम ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं करते हैं कि कौन अधिक पिछड़ा हुआ है तथा कौन कम पिछड़ा हुआ हैं । यह कार्य राज्य सरकारें करती हैं ताकि वे अपने विकास कार्यक्रमों को तदनुसार क्रियान्वित कर सकें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार ऐसे लोगों का वर्गीकरण करने का विचार कर रही है जो वास्तव में ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और यदि हां, तो उसकी योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : यह संभव नहीं है। पिछड़ेपन का अर्थ है आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ । अतः विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का वर्गीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ?

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या उन्हें मालूम है कि अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के बारे में संविधान में की गई व्याख्या तथा आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1967 से प्रतिबन्ध लगाया हुआ है तथा सारी सूची को पुनः तैयार किया गया है और कहा है कि इस श्रेणी के लोगों के 22 समुदायों को वृत्तिका, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां आदि नहीं मिलेंगी। इस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करके उन 22 समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। यदि हां, तो इस बारे में सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री जगन्नाथ राव : किसी भी समुदाय को अनुसूचित घोषित करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार तो केवल राष्ट्रपति को है कि वह कतिपय समुदायों को अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की सूचि में शामिल कर सके। यदि इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो इसका अर्थ राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करना होता है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा किया है तो यह असंवैधानिक है। यदि यह बात हमारी जानकारी में आई तो हम इसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : कृपया कार्यवाही कीजिये।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में हड़ताल-तालाबन्दी

+

*729. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर, में तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है और यदि हां, तो इसमें सामान्य स्तर पर काम कब शुरू हुआ;

(ख) किस प्रकार के विवाद के कारण वहां हड़ताल अथवा तालाबन्दी की नौबत आई और विवाद का निबटारा कैसे किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ग) हड़ताल तालाबन्दी की अवधि में उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के स्टाफ 1 तथा 2 को व्यवस्थापकों द्वारा घोषित तालाबन्दी की समाप्ति 21 नवम्बर, 1970 के प्रातः 5.30 से कर दी गई थी। तथापि कारखानों में सामान्य कार्य 30 नवम्बर, 1970 के प्रातः 5.30 से आरम्भ हुआ।

(ख) विवाद हिम्ट्र 1 तथा 2 के कर्मचारियों को 1969-70 के वर्ष के बोनस की अदायगी पर था। चूंकि कारखानों के काम से इतना लाभ नहीं हुआ था कि इस हेतु किसी राशि का आवटंन किया जाये। अतः व्यवस्थापकों ने इस वर्ष बोनस अदायगी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत न्यूनतम बोनस अर्थात 4 प्रतिशत की अदायगी का निर्णय किया। कर्मचारी इससे अधिक बोनस की मांग कर रहे थे और उन्होंने एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया जिसका परिणाम हिम्ट्र 1 तथा 2 में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा व्यवस्थापकों द्वारा तालाबन्दी की घोषणा निकला।

चूंकि मध्यस्थता की बातचीत टूट गई थी, व्यवस्थापकों ने श्रम प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत प्रारम्भ की और लम्बे वार्तालाप के पश्चात् 29 नवम्बर को एक समझौता हुआ। समझौते की मुख्य शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) अक्तूबर 1970 से नवम्बर, 1970 में हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण उत्पादन की हानि का अनुमान 101 लाख रुपये है।

विवरण

(1) कार्मिक संघ औद्योगिक प्राधिकरण के निर्णय होने तक 1969-70 के लिये प्रबन्धकों द्वारा 4 प्रतिशत बोनस की पेसकश को सविरोध स्वीकार करेगा।

(2) सद्भावना के रूप में प्रबन्धकों ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 1 तथा 2 को और मुख्यालय के कर्मचारियों को एक मास का वेतन कर्जे के रूप में देना स्वीकार कर लिया जिसकी पूर्ण अदायगी समझौते की तिथि से 18 महीने के अन्दर की जायेगी। कर्जे की वसूली 6 मास पश्चात् प्रारम्भ होगी।

(3) जहां तक 9 नवम्बर, 1970 से 21 नवम्बर, 1970 की अवधि के वेतन का प्रश्न है कर्मचारियों को कुल मजदूरी का 50 प्रतिशत तथा उसके साथ नवम्बर, मास का वेतन दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत मजदूरी मार्च 1971 मास के वेतन के साथ जिसका भुगतान अप्रैल, 1971 में किया जायेगा। इस शर्त पर दिया जायेगा कि उत्पादन पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम

के अनुसार बनाये रखा जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन नहीं किया जाता तो इस समय दी जा रही 50 प्रतिशत मजदूरी को 31 मार्च, 1971 को वसूल कर लिया जायेगा।

(4) 9 नवम्बर, 1970 की कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की वैधता को चुनौती तथा उसके अन्तर्गत मिलने वाली सहूलियतें तथा उसी तिथि से प्रबन्धकों द्वारा घोषित तालाबन्दी सम्बन्धी विवादास्पद प्रश्न जिसे मैसूर सरकार ने 17 नवम्बर, 1970 को फैसले के लिये सौंपा था, दोनों ही पक्ष अर्थात् प्रबन्धक तथा श्रमिक संयुक्त रूप से वापिस ले लेंगे।

(5) संघ 9-11-70 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति खेद व्यक्त करेगा। प्रबन्धक 15 कर्मचारियों के अलावा, जो हिंसा के कार्य करते पाये गये, सभी कर्मचारियों को 19-10-1970 से 29-11-1970 तक जारी किए आरोप पत्रों, चेतावनी के नोटिसों अथवा परामर्श नोटिसों को वापिस ले लेंगे। प्रबन्धक 15 कर्मचारियों के बारे में निलम्बन सम्बन्धी आदेशों को वापिस ले लेगा और जांच करायेगा। कार्मिक संघ इस बात से सहमत है कि इन 15 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी, जो बार-बार हिंसा करने के मामलों में लगे हुए थे, अपनी जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगे।

(6) संघ तथा प्रबन्धक सद्भावनापूर्ण, समझदारी युक्त सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में काम करते रहेंगे। संघ के अनुशासन तथा उत्पादता बनाये रखने का यकीन दिलाया है।

(7) यह समझौता 1969-70 वर्ष के लिए बोनस के प्रश्न पर जिसके कर्मचारी हकदार हैं और जो औद्योगिक पंचाट के समक्ष अनिर्णीत पड़ा हुआ है दोनों पार्टियों के अधिकारियों के साथ बिना किसी पक्षपात किए किया गया है।

Shri Reghuvir Singh Shastri : May I know whether the Karmik Sangh besides their demand, has alleged that the main reason for the deduction in their bonus is the defective planning in the factory, unmented expenditure and the deliberate misappropriation by the officers in the balance sheet and other accounts ? What is there in the mind of the Government in this regard so that the doubts of the people in regard to the utilisation of public money could be removed ?

श्री मं० र० कृष्ण : यह सच है कि कार्मिक संघ इन तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि कारखाने का आयोजन उनके दृष्टिकोण के अनुसार ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि वहां कुछ चीजों के आवश्यकता से अधिक भण्डार जमा है तथा कुछ चीजों के भण्डार हैं ही नहीं। वे दलील पेश करते हैं कि प्रबन्धकगण तथा

कुछ अधिकारी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में बने उत्पादों के लिये बाजार ढूंढने विदेशों में जाते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर श्रमिकों में असन्तोष है और उन्होंने कहा है कि आयोजन दोषपूर्ण है और इसीलिये उत्पादन लागत बढ़ गई है। यह सही नहीं है। इन सब बातों की जांच की गई है। इस समय श्रमिक संतुष्ट हैं तथा वे काम पर वापस आ गये हैं। श्रमिकों ने जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच की जा रही है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The statement laid on the table shows that owing to strike and lockout in October-November, 1970. The factory suffered a loss of Rs. 101 lakhs. It also shows that on 9-11-1970 certain unfortunate incidents took place and the workers have expressed their request in that connection. It is also said that while pardoning other employees, 15 employees have been charge sheeted because they were responsible for violent activities. I want to know whether this loss of Rs. 101 lakhs was incurred because of work having not been done owing to strikes and lockouts, or it includes the damage caused by violent activities; and in case there had been violent activities what was the nature thereof ?

श्री मं० र० कृष्ण : ये आंकड़े मुख्यत: उत्पादन में कमी हो जाने से संबंधित हैं तथा श्रमिक लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने प्रबन्धकों के साथ यह स्वीकार किया है कि वे तालाबन्दी की अवधि का केवल 50 प्रतिशत ही वेतन लेंगे, और यदि वे अपना वायदा पूरा नहीं करेंगे तथा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो वे इस 50 प्रतिशत वेतन को भी छोड़ देंगे।

Shri Raghuvir Singh Shastri : What about those violent activities ?

श्री मं० र० कृष्ण : प्रबन्धकों ने उदारता से कुछ श्रमिकों के विरुद्ध मामले वापस ले लिये परन्तु जिन मामलों में किसी श्रमिक अथवा अन्य को वास्तव में ही किसी अधिकारी पर आक्रमण करते पाया गया, वे मामले पुलिस के हाथ में हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस विवरण से एक बात स्पष्ट नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 21 नवम्बर तथा 30 नवम्बर, 1970 के बीच सामान्य उत्पादन क्यों रोक दिया गया था, दूसरे, उक्त विवाद के आरंभ होने से पूर्व इस मामले के औद्योगिक न्यायाधिकरण को क्यों नहीं सौंपा गया ? हड़ताल तथा तालाबंदी तो 9 नवम्बर, 1970 को आरम्भ हुई थी।

श्री मं० र० कृष्ण : हड़ताल के बारे में श्रमिकों ने मतदान द्वारा निर्णय कर लिया था तत्पश्चात् प्रबंधकगण मजदूरों के कारखाने के काम पर आने के लिए मना रहे थे, तथा कुछ संसत्सदस्यों ने भी श्रमिकों की ओर से मंत्री महोदय से मिलना तथा बातचीत करना आरम्भ कर दिया था, और राज्य सरकार ने भी इस मामले पर विचार

किया है। इस बीच सभी प्रकार बातचीत चल रही थी। इस लिए इस मामले को तुरन्त न्यायाधिकरण को सौंपने की अवश्यकता नहीं थी ।

श्री लोबो प्रभु : मैं तो यह आशा रखता हूँ कि सरकार को डाक आदर्श नियोक्ता बनना चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र संबंधों के मामले में गैर सकारी क्षेत्र के समक्ष एक उदाहरण पेश करे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप की आशा निर्मूल है।

श्री लोबो प्रभु : तदनुसार ही मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या 101 लाख रुपये की हानि में तालाबंदी के समय मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन भी शामिल है ? यदि हाँ, तो कुल हानि कितनी है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस विवाद का अन्त श्रमिकों की पूरी माँगों को स्वीकार करके ही हुआ; तो क्या इस विवाद को खड़ा करने की आवश्यकता भी थी ? और यदि यह आवश्यकता थी तो आपने इस विवाद को न्याय निर्णय के लिए क्यों नहीं सौंपा जैसा कि अब किया जा रहा है ?

श्री मं० र० कृष्ण : यह सच है कि सरकारी उपक्रम आदर्श निभोक्ता हैं तथा वे इसी भावना को लेकर कार्य कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के लोगों में उपलब्ध की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखकर कोई भी आदमी यह मान जाएगा कि सरकारी क्षेत्र के एककों में श्रमिक तथा कर्मचारी इसी भावना को लेकर कार्य कर रहे हैं ।

101 लाख रुपये की राशि के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्पष्ट है कि इसका कारण उत्पादन में कमी होना है और इसी कारण आंकड़े एक करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं। श्रमिकों को उन दिनों का भी वेतन दिया गया था जब उन्होंने काम नहीं किया था और इस कारण भी उत्पादन में कमी हुई किन्तु अब मजदूरों ने वचन दे दिया है कि जो हानि हुई है उस को अब अधिक उत्पादन के द्वारा वे पूरा कर देंगे। इसी भावना से वे लोग अब काम कर रहे हैं। जब हमने कारखाने का निरीक्षण किया था तो पाया था कि प्रबंधक और मजदूर दोनों ही अब तक हो चुकी हानि को पूरा करने में जुटे हुए हैं और अब आशा है कि उत्पादन लक्ष्य से भी कुछ अधिक हो जायेगा।

Shri Prem Chand Verma: Mr. Speaker, Sir, The hon. minister has just now stated that there has been fall in the production and from his statement this is also clear that there was no such demand of workers which could not be met by the management before the strike. They have agreed to give 14 per cent bonus. Could not the settlement that has since been made, be arrived at before the strike. I want to know of they have any agency for resolving disputes and differences between workers and the management. If there is any agency may I know the name of it and if there is no agency may I know whether they will set up any agency.

Secondly I want to know that H. M. T., which is considered to be one of the best public undertaking. The hon. minister himself knows this fact as he himself was chairman of the committee of public undertaking. But now it seems that instead of making any progress it is going towards loss because of the shortcomings of the management. Will he look into the matter and place his report on the table of the home.

श्री मं० र० कृष्ण : मज़दूरों ने 4 प्रतिशत बोनस को लेना अस्वीकार कर दिया था। पहले इस कारखाने के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत तक का बोनस दिया गया था क्योंकि एच० एम० टी० का उत्पादन तथा बिक्री बहुत अधिक हो गई थी किन्तु मंदी के कारण इसे 4 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस तक लाना पड़ा क्योंकि अधिक बिक्री न होने के कारण हानि उठानी पड़ी थी। इस मामले को निर्णयाकों को सौंपा गया था और उन्होंने भी यही कहा था कि फालतू पूंजी नहीं होने के कारण कम्पनी को भी लाभ नहीं हो रहा है अत: मज़दूरों को केवल 4 प्रतिशत बोनस ही दिया जाएगा। मज़दूर यह जानते हुए भी कि न्यायालय का निर्णय पहले उनके विरूद्ध था। एक बार फिर इस मामले के बारे में आन्दोलन करना चाहते थे, परन्तु अब मामले की जाँच की जा रही है। माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिए कि उत्पादन कम होने के कारण कारखाने में हानि हुई है। पूरे विश्व में ही मंदी चल रही है और इसी कारण मशीनें बेची नहीं जा सकीं थीं। अब स्थिति बदल गई है एच० एम० टी० की मशीनों को अब विदेशों द्वारा खरीदा जा रहा है। कई अभिकरणों की स्थापना की गई है और ऐसी आशा है कि हम और अधिक मशीने बेच सकेंगे और इस प्रकार मज़दूरों को अधिक बोनस मिल सकेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के मद (क) में बताया है कि तालाबंदी 21 नवम्बर, 1970 को 5.30 बजे उठा ली गई थी तथा सामान्य रूप से कार्य 30 नवम्बर को आरम्भ हुआ था। सरकार ने तालाबंदी के उठाये जाने के बाद सामान्य रूप से कार्य आरम्भ करने में 9 दिन का समय क्यों लगाया गया था।

श्री मं० र० कृष्ण : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत चल रही थी। यद्यपि कुछ मज़दूर काम करने को तैयार थे परन्तु प्रबंधकों ने यह सोचा कि संभवतया वह कुछ और करना चाहते हैं। अत: फैक्टरी की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए उन्होंने तब तक उसे नहीं खोला जब तक कार्मिक संघ ने फिर से काम पर आने का निर्णय नहीं ले लिया। इस सब प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वभाविक ही था।

श्री स० कुण्डू : मैं जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री में सामान्य स्थिति हो जाने के बाद भी 15 मज़दूरों को आरोप पत्र क्यों दिए गए और क्या मंत्रालय ने एच० एम० टी० के प्रबंधक को ये आरोप पत्र वापिस लेने के लिए कहा है।

श्री मं० र० कृष्ण : हम मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं और हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते किन्तु साथ ही हमें यह भी देखना है कि कारखानों का प्रबंध कुशलता से हो तथा उनमें अनुशासन बना रहे। परन्तु जब हिंसा की घटनायें होती हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन लोगों को दण्ड दिया जाए जिन्होंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया हो तथा अधिकारियों पर हमला किया हो।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या यह सच नहीं है कि एच० एम० टी० के मजदूर शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे थे ? क्या यह भी सच नहीं है कि भड़काने वाली कार्य-वाहियों से राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि मजदूरों का कार्मिक संघों की गतिविधियों को बनाए रखना संभव नहीं रह गया था। अतः क्या सरकार किसी संसदीय मण्डल अथवा स्वयं अपने किसी संगठन से मामले की जाँच कराएगी।

श्री मं० र० कृष्ण : माननीय सदस्य राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उद्योगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का पक्ष लेना ही पड़ेगा। जहां तक मैसूर सरकार का संबंध है इसने बुद्धिमतापूर्ण तथा अनुकूल समय रहते कार्य किया है। अतः इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि किसी संसदीय समिति द्वारा यह जानने के लिए कि क्या इस समस्या के लिए वस्तुतः राज्य सरकार उत्तरदायी है अथवा नहीं, कोई जाँच कराने की आवश्यकता है ?

आयकर अपील अधिकरण, कलकत्ता बैंच द्वारा निपटायी गयी अपीलें

*731. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तथा 1 अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक की कालावधि के दौरान आयकर अपील अधिकरण की कलकत्ता बैंचों द्वारा कुल कितनी अपीलें निपटायी गयीं और उनमें विभाग द्वारा तथा निर्धारितियां द्वारा फाइल की गई अपीलों की अलग-अलग संख्या क्या है और उनमें परस्पर क्या अनुपात है;

(ख) उपर्युक्त कालावधि के दौरान जितनी अपीलों में निर्धारितियों के पक्ष में निर्णय किया गया, उसके परिणामस्वरूप उन्हें कुल कितनी कर-राहत दी गई और विभाग के पक्ष में निपटाई गई अपीलों का कर राशि पर क्या असर पड़ा; और

(ग) उक्त कालावधि के दौरान कलकत्ता में विभाग द्वारा तथा निर्धारितियों द्वारा कितनी-कितनी अपीलें दायर की गईं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की कालावधि के दौरान आयकर अपील अधिकरण की कलकत्ता बैंचों द्वारा निपटायी गई अपीलों की संख्या 5,320 थी, जिसमें से 4,125 अपीलें निर्धारितियों द्वारा तथा 1,195 अपीलें विभाग द्वारा फाइल की गई थीं। दोनों के बीच अनुपात 77.5 और 22·5 का था। 1 अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक की कालावधि के दौरान इन बैंचों द्वारा निपटायी गई अपीलों की संख्या 3,049 थीं, जिसमें से 2371 अपीलें निर्धारितियों द्वारा तथा 678 अपीलें विभाग द्वारा फाइल की गई थीं। दोनों के बीच अनुपात 77.8 और 22.2 का था।

(ख) जानकारी वित्त मंत्रालय से मंगायी जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1-4-69 से 31-3-70 तक की कालावधि के दौरान निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या 6,422 थी तथा विभाग द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या 1,590 थी। 1-4-70 से 30-9-70 तक की कालावधि के दौरान निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या 3,300 थी तथा विभाग द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या 952 थी।

Shri Beni Shanker Sharma : Sir, the question has not been answered properly. In part (b) he has replied that the information is being collected. I had given the notice of my question 21 days ago and necessary information should have been collected, uptil now, How can I ask any question when necessary information is not available.

The hon. minister has said that during 1969-70 the income tax appellate tribunal Calcutta has decided 5020 cases. I would like to know from the hon. Minister that what is the number of appeals that are still pending before the tribunal; what are the number of benches, in the tribunal. The number of judges on these benches and whether they are according to the prescribed number. As for instances if there are five benches the then number of members in them must be 10. Is it not a fact that instead of ten members only eight or nine members are working and as a result it is not only they who are over burdened but appellants and their counsels are also put to inconvenience. I suggest that where ten members are required there should be one or two members extra so that if any member falls ill or goes on leave the extra member can work in their place. I would therefore like to know if you would appoint one or two extra members on these benches.

श्री जगन्नाथ राव : इस समय देश में 23 बैंच हैं जिनमें से 4 कलकत्ता में हैं। यह सच है कि कलकत्ता में अधिकारियों की कमी है और समय-समय पर अधिकारियों को अन्य बैंचों से लेना पड़ता है। हाल ही में हमने कुछ लेखाकारों तथा न्यायिका सदस्यों

को चुना है। संभावना है कि काम को निपटाने के लिए हम चार और बैंच बनायेंगे। कलकत्ता एक बड़ा नगर है जहाँ अनिर्णित अपीलों की सूची काफी लम्बी है। कलकत्ता बैंच द्वारा लगभग ठीक निर्णय दिए गए हैं तथा यह संस्थान के साथ कदम मिला कर चल रही है। हमने देश की सभी बैंचों को अनुदेश दे दिए हैं कि मामले शीघ्रता से निपटा दिए जाएं।

जहाँ तक करदाताओं को दिए गए सहायता अनुदान की राशि का प्रश्न है, यह संभव नहीं है क्योंकि निर्णयों के अनुसार ही आयकर के आयुक्त को, करदाताओं को दिया जाने वाला अनुदान निर्धारित करना होता है। अतः हमें विभिन्न राज्यों के आयकर आयुक्त से यह सूचना एकत्र करनी होती है। वित्त मंत्रालय यह सूचना एकत्र करता है और हमें भेज देता है इसलिए मैं अब तक आँकड़े प्रस्तुत नहीं कर सका हूँ।

Shri Beni Shanker Sharma : Sir my question has not been answered. I had asked about the number of pending of appeals.

श्री जगन्नाथ राव : मैं पूरे आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता किन्तु जैसाकि मैंने कहा है कि निर्णित अपीलों की संख्या बहुत अधिक है और हम आशा करते हैं कि नई बैंच बनाने के बाद कुछ मशीनों में वे संस्थान के साथ चल सकेंगे।

Shri Beni Shanker Sharma : I would like to tell the hon. minister that at least three years will be required to finish the pending cases therefore I would suggest that the number of benches should be doubled.

My another question is very short one. How many new members are being appointed. I know that accountant members are chosen from chartered accountant and some members are appointed from Department. May I know the number of members taken from accountancy professional from Department.

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही जानकारी दे रहे हैं प्रश्न कहाँ पूछ रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है हम कलकत्ता में चार और बैंच स्थापित कर रहे हैं। एक बैंच में एक लेखाकार सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होता है। चार्टर्ड लेखाकार तथा अन्य विभागीय सदस्य भी लिए जाते हैं। एक चयन समिति बनी हुई है जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह करते हैं। चयन कर लिया गया है। इनको अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी करने की संभावना है। जनवरी माह में सभी बैंचें अपना कार्य आरम्भ कर देंगी।

बैंचों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ हमने ट्रिब्यूनलो को भी आदेश दिए हैं कि मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। हमने अनुदेश दिए हैं कि जो अपीले 2500 अथवा कम रुपये की हैं उनको एक ही सदस्य निपटा सकता है, अतः वे सप्ताह में पाँच दिन तक कार्य करे तथा छोटे मामलों के निर्णय बीच में ही दे दें। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए हमने कई अनुदेश दिए हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि आयकर ट्रिव्यूनल के सामने पड़ी हुई कर अपीलों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ही बैंचों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए एक चयन बोर्ड का गठन किया गया है जिसका सभापति उच्चत्तम न्यायालय के एक न्यायाधीश को बनाया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि चयन समिति की रिपोर्ट के बाद भी बैंचों का गठन नहीं किया गया है क्योंकि समिति द्वारा सिफारिश किए गए योग्यता क्रम को कई प्रकार के दबावों के कारण बदलने का विचार किया जा रहा है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या मन्त्री महोदय स्पष्टतय यह आश्वासन देंगे कि नियुक्तियां इसी योग्यता क्रम से की जाएंगीं जिस क्रम से चयन समिति ने सिफारिश की है और यह कार्य शीघ्र किया जाएगा। जिससे लिटिगैंट को शीघ्र राहत मिले।

श्री जगन्नाथ राव : यह सदैव पूर्णतया निर्मूल है कि हम चयन समिति द्वारा निर्धारित वरीयता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या योग्यता क्रम में परिवर्तन किया जाएगा ?

श्री जगन्नाथ राव : हम योग्यता क्रम में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। चयन समिति द्वारा जो क्रम बनाया गया है हम उसे ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगे मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य किसी अधिकारी के बारे में सोच रहे हैं।

विलम्ब का कारण यह है कि कुछ अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था और उनमें से दो को न्यायिक अधिकारियों के रूप में चुना गया था किन्तु हम इसके लिए दो और अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को लेना चाहते थे। हाल ही में दो-तीन दिन पहले उनका साक्षात्कार किया गया है इस लिए विलम्ब हुआ है कि इस मामले में अब शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात के आयात के लिए लाइसेंस

*772 **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को इस बात का आश्वासन दिया है कि इस्पात के आयात में उदारता लाई जायेगी जिससे इस्पात की कमी के कारण देश के समूचे औद्योगिक उत्पादन को हानि न हो ;

(क) वास्तविक उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितने मूल्य तथा कितनी मात्रा के आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(ग) वर्ष 1970-71 के पूर्वार्द्ध में श्रेणीवार आयात किये गये इस्पात का मूल्य और उसकी मात्रा क्या थी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) दो विशेष कारणों से लोहे तथा इस्पात की आयात नीति काफी उदार कर दी गई है, नामतः वास्तविक उपभोक्ताओं को कच्चे माल की वास्तविक पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई न हो और इस्पात उत्पादों के देशीय निर्माताओं को भी आर्डरों की प्राप्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा जब भी आवश्यक होता है सरकार तदर्थ आधार पर आयात करने की अनुमति दे देती है।

(ख) दिए गए लाइसेंसों का विवरण, औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस, तथा निर्यात लाइसेंस के बारे में, आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बुलेटिन में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। बुलेटिन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) अप्रैल-जून 1970 के वास्तविक आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

क्रम संख्या	विवरण	मूल्य लाख रुपयों में मात्रा टनों में है	
(1)	(2)	(3)	
		1970-71 (जून 1970 तक)	
1.	कच्चा लोहा, स्पीगेलआइजेन, स्पंज-आयरन, लोहे तथा इस्पात का चूर्ण तथा शाट लोह मिश्र-धातु।	मात्रा	मूल्य
		210	27

(1)	(2)	(3)
2. लौह पिण्ड तथा लोहे और इस्पात की अन्य मुख्य किस्में (जिसमें नालियों तथा पाइपों के लिए ब्लैंक सम्मिलित हैं)	6237	102
3. लोहे तथा इस्पात की छड़ें, कोण, शाप्स तथा सैक्शन्स (जिसमें चादरी लट्ठे सम्मिलित हैं)	16771	392
4. यूनिवर्सल्स तथा लोहे और इस्पात की प्लेटें तथा चादरें।	100442	1896
5. लोहे अथवा इस्पात के हूप्स और स्ट्रिप्स	4401	142
6. रेल की पटरी तथा रेलमार्ग-निर्माण के लिए लोहे और इस्पात का सामान	29	1
7. लोहे तथा इस्पात के तार (वायर राड को छोड़ कर)	1243	48
	129333	2608

स्टैण्डर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास के बन्द हो जाने सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन

*725 **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री राव बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित स्टैण्डर्ड हेराल्ड कार फैक्टरी के बन्द हो जाने के कारणों की जाँच करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उच्च समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस कार फैक्टरी को निकट भविष्य में खोलने के लिए सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) :(क) जी हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट अब भी विचाराधीन है । प्रचलित प्रथा के अनुसार इस अवस्था में रिपोर्ट की बातें खोलना वांछनीय नहीं होगा ।

(ग) इस विषय पर कम्पनी के सभापति के साथ विचार विमर्श किया जा चुका है और वे जल्दी ही कारखाने को फिर से खोलने के लिए प्रत्यन करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

तेल के बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

*726 **श्री जार्ज फारनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री तेल के बैरल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बारे में 28 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कच्चे माल के नियतन के लिए मैसर्स स्टील कन्टेनर्स लिमिटेड तथा मैसर्स इन्डस्ट्रीयल कन्टेनर्स लिमिटेड की विद्यमान क्षमताओं को ही निर्धारित मान लिए जाने के क्या कारण हैं जबकि 1963-64 में किये गये सामान्य निर्धारण से पूर्व उनकी क्षमताओं का वास्तव निर्धारण नहीं किया गया था ;

(ख) क्या इससे यह पता नहीं लगता कि इन दोनों निर्माताओं को 1963-64 से पूर्व की उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं के आधार पर कच्चे माल का नियतन किया जा रहा था;

(ग) यदि हां, तो अन्य निर्माताओं को भी उनकी 1963-64 से पूर्व की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर कच्चे माल का नियतन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने बैरल निर्माताओं की क्षमताओं के बारे में जो जांच की थी जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न बैरल निर्माताओं की दक्षताओं का निर्धारण किया गया था, क्या उसके सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) से (ग) : पीपों के उत्पादकों के कच्चे माल का आवंटन उनकी आंकी गई क्षमता के आधार पर ही हमेशा दिया गया है । मैसर्स स्टील कन्टेनर्स लि० और मैसर्स इण्डस्ट्रीयल कन्टेनर्स के मामले में 28 जुलाई, 1970 को पूछे हुए अतारांकित प्रश्न संख्या

216 के उत्तर में ही स्थिति बता दी गई है। इन दोनों कारखानों को जितनी क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये गए वह पहले बम्बई और कलकत्ता वाले कारखानों के लिए इंडियन गेल्वेनाईजिंग कम्पनी (1926) लि० को स्वीकार की गई थी। इण्डियन गेल्वेनाईजिंग कम्पनी की इस क्षमता को संबधित लाइसेंस प्राप्त नए कारखानों को कच्चे माल का आवंटन करने के लिए आंकी गई क्षमता के रूप में माना गया 1963-64 में सामान्य अनुमान लगाए जाने के परिणाम स्वरूप इन क्षमताओं में परिवर्तन कर दिया गया।

(घ) 30 अप्रैल, 1969 को लोकसभा में पेश की गई साक्कलन समिति की 85 वीं रिर्पोट के पृष्ठ 12 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वर्ष 1963-64 में जांच के आधार पर आंकी गई क्षमताओं का ब्यौरा दिया गया है। सामान्यत: 75 प्रतिशत कार्य-कुशलता का सिद्धान्त अपनाया गया है, सिर्फ मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०, कलकत्ता के मामले में ऐसा नहीं किया गया है जिसकी क्षमता का अनुमान बिना वास्तविक जांच किए हुए लगाया गया था और मैसर्स आसाम आयल कम्पनी के मामले में भी यह सिद्धान्त लागू नहीं किया गया है जहां कोई अनुमान नहीं लगाया गया था। मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैंनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के सम्बन्ध में भी पहले सितम्बर 1953 में कुछ अपवाद किये गये थे इस मामले में क्षमता का अनुमान 66.2/3 प्रतिशत कार्य कुशलता के आधार पर लगाया गया था। दिसम्बर, 1963 में कलकत्ता की इसी कम्पनी की क्षमता का अनुमान इसी प्रतिशत कार्य कुशलता के आधार पर लगाया गया और नवम्बर, 1961 में मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैंनुफैक्चरिंग कम्पनी की क्षमता का अनुमान 63 प्रतिशत के आधार पर लगाया गया। ऐसा करने के कारण 28 जुलाई, 1970 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही बता दिए गए हैं।

टायरों और ट्यूबों की कमी

*727 **श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायरों और ट्यूबों की कमी है;

(ख) क्या टायर और ट्यूबों के निर्माताओं ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है;

(ग) क्या उन्हें अनुमति दे दी गई है और नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) टायर और ट्यूबों की मांग पूरी करने के लिए कितने नये कारखाने खोलने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) देश में कुल साइज़ों के टायर और ट्यूबों की थोड़ी कमी है ।

(ख) और (ग) : आटोमोबाइल टायर और ट्यूबों के वर्तमान उत्पादकों का उनकी क्षमता में विस्तार करने हेतु कोई भी आवेदन अनिर्णित नहीं पड़ा है । इनमें से दो उत्पादकों ने नये एकक स्थापित की अनुमति मांगी थी पर उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने पहले ही पर्याप्त विस्तार के लिए जारी किए गये लाइसेंस का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया है ।

(घ) आटोमोबाइल टायर और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए आठ नये एकक स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है ।

कोका-कोला का मूल्य

*730 **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री स० अ० अगड़ी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 से लेकर अक्तूबर, 1970 तक कोका-कोला के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या कोका-कोला के मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1968-69 में कोका-कोला का प्रति बोतल मूल्य 40 पैसे था । 1970 (मई और जुलाई) के दौरान 45 पैसे और जुलाई 1970 के बाद से यह 40 पैसे प्रति बोतल है ।

(ख) और (ग) अमादक पेयों के आवश्यक वस्तु सूची में सम्मिलित न होने के कारण सरकार फिलहाल इस पर कानूनी नियंत्रण लगाने पर विचार नहीं कर रही है ।

फिर भी कीमतों में कमी करने की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से उत्पादन व्यय, लाभ की गुंजाइश, खुदरा विक्रेताओं को मिलने वाले कमीशन सहित विभिन्न तथ्यों की विभिन्न अमादक पेय उत्पादकों के साथ जांच की गई थी और उन्हें प्रति बोतल 3 पैसे कीमत और कम करने के लिए कहा गया था।

लम्बी दूरी तक माल परिवहन के लिये सड़क परिवहन कम्पनियों को परमिट

*732 **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने अपने कम हो रहें राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को यह अनुरोध किया है कि वे सड़क परिवहन कम्पनियों को लम्बी दूरी तक माल के परिवहन के लिए परमिट जारी न करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सड़क परिवहन उपभोक्ताओं को उनके घर तक शीघ्र माल पहुंचाने की अपनी क्षमता के कारण उच्च दर वाले माल को दूर-दूर तक ले जाने के अधिकांश व्यापार को संभालने में सफल हुआ है; और

क्या सरकार का भी उपभोक्ताओं को घर तक माल पहुंचाने के लिये कोई योजना बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) कुछ चुने हुए स्टेशनों पर 'कन्टेनर सेवा', 'फ्रेट फारवर्डर सेवा' घर पर माल की सुपुर्दगी और घर से माल एकत्र करने जैसी घर-घर माल पहुंचाने-लाने की सेवाओं की व्यवस्था रेलें पहले ही कर चुकी हैं।

रूसी मंत्री द्वारा बोकारो का दौरा

*733 **श्री रविराय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के इस्पात मंत्री, श्री गोल्डिन हाल ही में बोकारो गये थे;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को;

(ग) बोकारो संयंत्र के कार्यकरण के बारे में उनके निष्कर्ष क्या है; और

(घ) उक्त सयंत्र के लिये रूस द्वारा किस प्रकार की और सहायता दी जायेगी और श्री गोल्डिन ने इस सम्बन्ध में क्या आश्वासन दिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० मगत) : (क) से (घ) : सोवियत रूस के भारी उद्योग निर्माण मंत्री श्री गोल्डिन भारत-रूस सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने हाल में भारत का दौरा इसी संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से किया था। उन्होंने भिलाई और बोकारो का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार वे 10 और 11 नवम्बर 1970 को बोकारो गये थे। बोकारो के प्रबन्धकों ने उनके इस दौरे का लाभ उठाया और उनसे कारखाने के स्थल पर निर्माण की व्यावहारिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार रूस द्वारा ऊष्मसह की आपूर्ति के महत्व पर बल दिया। श्री गोल्डिन बोकारो के निर्माण की प्रगति से काफी प्रभावित हुए और उनका कहना था कि प्रगति की गति काफी अच्छी चल रही है और उन्हें लगता है कि कारखाने का निर्माण वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा।

मिश्रित इस्पात तथा विशेष इस्पात का आयात

*734. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के मिश्रित एवं विशेष इस्पात के निर्माता बिक्री योग्य इस्पात उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात कार्यक्रम से बहुत अधिक चिंतित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाल ही में घोषित इस्पात के आयात की नीति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विद्युत इस्पात निर्माण क्षेत्र में मिश्रित एवं विशेष इस्पात के स्वदेशी उत्पादन में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त प्रगति की गई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित, मिश्रित एवं विशेष इस्पात की वर्षवार मात्रा क्या है; और

(ङ) मिश्रित इस्पात का आयात किए जाने के क्या कारण हैं; और क्या मिश्रित इस्पात की आयात नीति का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : आशंका व्यक्त की गई थी कि सितम्बर, 1970 में घोषित विशेष आयात नीति का अर्थ फोर्जिंग क्वालिटी के मिश्र इस्पात के बिलेटों के आयात की अनुमति से लगाया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक सूचना संख्या 140 की एक प्रति जिसमें विशेष नीति की घोषणा है, के बारे में परिशिष्ट 1 देखिए।

[ग्रन्थालय में रखा गया 1 देखिये संख्या एल० टी० 4573/70]

(ग) जी, हां।

(घ) केवल विद्युत भट्टियों का उत्पादन इस प्रकार था :—

1967-68	52,000 टन
1968-69	97,000 टन
1969-70	132,000 टन

और मिश्र तथा विशेष इस्पात का कुल उत्पादन इस प्रकार था :—

1968-69	200,346 टन
1969-70	261,061 टन

(ङ) कुछ विशेष प्रकार के इस्पात के आयात की ही अनुमति दी जाती है ताकि वास्तविक उपभोक्ताओं को इस कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके जिसकी देशीय उत्पादन से पूर्ति नहीं हो सकती। अभी इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

पाठ्यपुस्तकों के लिये छपाई के कागज की कमी

*735. **श्री पु० कु० तापड़िया :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 नवम्बर, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता

मण्डल संघ ने छपाई के सफेद कागज उपलब्ध न होने के कारण आगामी शैक्षिक सूत्र में पाठ्यपुस्तकों की कमी रहने के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) क्या यह सच है कि गत मई में नियंत्रण हटाये जाने के बाद से मिलों ने कागज के मूल्यों में वृद्धि कर दी है; और

(ग) पुस्तकों की इस कमी से बचने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मई, 1968 में कागज पर से नियंत्रण हटा लिए जाने के बाद कागज उद्योग ने मूल्यों में लगभग 250 रु० प्रति मी० टन के हिसाब से वृद्धि कर दी और अप्रैल, 1969 में फिर लगभग 150 रु० प्रति मी० टन के हिसाब से वृद्धि कर दी तब से कागज उद्योग से कहा गया है कि वह परामर्श लेने से पूर्व मूल्यों में और आगे वृद्धि न करें तथा इन दिनों कुछ किस्म के कागज के मूल्यों में वृद्धि की खबर मिली है, इस स्थिति का सामना करने के लिए वर्तमान कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रैश प्रोग्राम चलाया गया है। वर्तमान उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए लाइसेंस भी दिए गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में नई उत्पादन क्षमता के लिए भी स्वीकृति दी गई है। कागज उद्योग संबंधी तदर्थ समिति उत्पादन के ढांचे तथा कागज के मूल्यों व वितरण को नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रही हैं।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विकास में बाधा

*736. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 और 1969 में दो संयुक्त मोर्चा सरकारों के शासन के दौरान भिन्न नीति अपनाए जाने के कारण तथा श्रम अशान्ति के कारण पश्चिमी बंगाल के उद्योगों में पुनः पूंजी लगाने, उनका विस्तार करने तथा उनकी प्रगति में गम्भीर बाधा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाधा के इन कारणों की जांच करने के लिये आर्थिक औद्योगिक विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की थी;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य के आर्थिक संकट की वास्तविक जानकारी करने के पश्चात् क्या सरकार का पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने की कोई योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) : पश्चिमी बंगाल में गत दो-तीन वर्षों में कई कारणों से जिनमें कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों का ठीक न होने और मन्दी की दशाएं शामिल हैं, औद्योगिक विकास में कमी है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास में कमी आने के कारणों का पता लगाने के लिए स्थिति की समय-समय पर जांच की है और उनके लिए अभ्युपाय लिए हैं। विशेषरूप से कपड़ा मिलों की स्थिति के बारे में और रूग्ण तथा बन्द मिलों को फिर से चालू करने के रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में विभागीय समितियों द्वारा जांच की गई है। पश्चिमी बंगाल की सरकार पहले से अधिक स्थायी रूप से तथा द्रुत औद्योगिक विकास के लिए वातावरण बनाने के उद्देश्य से बराबर स्थिति की जांच करती रही है और कुछ न कुछ उपाय करती रही है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए इकट्ठे कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। रूग्ण व बन्द कारखानों के पुर्ननिर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की योजनाएं भी विचाराधीन हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कारखानों को गलाये हुये धातुमल (स्लैग) का वितरण

*737. **श्री स० कुन्दू :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विभिन्न कारखानों को गलाये हुये धातुमल के वितरण का कार्य हाल में पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो धातुमल का वितरण किन कारखानों को किया गया है तथा उनके साथ क्या ठेका किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम ने पिघले हुए धातुमल के लिये टेंडर भेजा था और, यदि हां, तो क्या उसे ठेका दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों से पिघले हुए धातुमल की बिक्री के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० ने हाल ही में प्रबन्ध किए हैं।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने से धातुमल की सप्लाई के बारे में मैसर्स बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के साथ ठेका किया गया है। ठेके के अनुसार प्रतिवर्ष 4,00,000 टन पिघला हुआ धातुमल सप्लाई किया जायेगा। यह ठेका 40 वर्ष के लिए किया गया है। राउरकेला से धातुमल की सप्लाई के लिए मैसर्स उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड, राज गंगपुर को एक आशय पत्र दिया गया है। ठेके को अन्तिम रूप देने के बारे में अभी बातचीत चल रही है।

(ग) और (घ) : औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा ने राउरकेला इस्पात कारखाने से धमन भट्टी के पिघले हुए धातुमल की खरीद के बारे में लिखा था परन्तु बाद में उन्होंने अपनी पेशकश वापिस ले ली।

आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनों द्वारा प्रधान मंत्री के निवास के सामने धरना

*738. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनों ने नवम्बर, 1970 में प्रधान मंत्री के निवास के सामने धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) **और (ख)** : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, को दी गयी अन्तरिम सहायता अपर्याप्त होने के विरोध में आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के तत्वावधान में कुछ रेल कर्मचारियों ने नवम्बर, 1970 में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर धरना दिया।

(ग) अन्तरिम सहायता की दरें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। उक्त आयोग ने इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है।

लाइसेंस नीति को उदार बनाना

*739. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि देश के कम महत्वपूर्ण उद्योगों के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा क्षमता से अधिक के लाइसेंस उन्हें देने हेतु उदारता बरती जाये; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) : लाइसेंस नीति में किए गए कुछ परिवर्तनों के अनुसार सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि उन पार्टियों के आवेदनों के अतिरिक्त जो बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित हैं, मध्यम क्षेत्र के उन आवेदनों पर जिनमें एक करोड़ से पांच करोड़ रु० का विनियोजन निहित हो, पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा और उन्हें लाइसेंस उदारतापूर्वक जारी किए जाएंगे किन्तु उन आवेदनों को छोड़कर जिनमें कि विदेशी मुद्रा लगी होने के कारण उनकी ध्यान पूर्वक जांच-पड़ताल करना आवश्यक हो सरकार ने प्रयोगात्मक उपाय के रूप में 'प्रतिबंधित सूची' को भी समाप्त कर दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक गतिविधियों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और मांग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिये औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करते समय सरकार का विचार केवल क्षमता का कठोरता से पालन करने का नहीं है।

लाइसेंस प्राप्त नये एककों को कच्चे माल का आवंटन जब भी वे आवेदन करेंगे सामान्य रूप से प्रचलित आयात नीति तथा इस प्रकार के एककों के लिये आयात लाइसेंस प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित सुविधाओं या प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

कागज की कमी

*740. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज की विशेषकर छपाई के सफेद कागज की भारी कमी है;

(ख) क्या छपाई के सफेद कागज का नाम इसलिये बदल दिया गया है कि अधिक मूल्य प्राप्त हो सके ;

(ग) गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में कागज का निर्यात किया गया; और

(घ) निर्माताओं ने भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्री के साथ किये गये वायदों को कहां तक पूरा किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) छपाई के सफेद कागज की सप्लाई में कमी नहीं है ।

(ख) कागज उद्योग संबंधी तदर्थ समिति को ऐसे समाचार मिले हैं कि कुछ किस्मों के कागज के भिन्न-भिन्न नाम रखकर उनके अपेक्षाकृत अधिक मूल्य लिए जा रहे हैं । तदर्थ समिति इस संबंध में जांच कर रही हैं ।

(ग) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में गत्ते सहित सभी प्रकार के कागज का निर्यात क्रमश: 5.14 करोड़ रु० और 4.88 करोड़ रु० का हुआ ।

(घ) जैसा कि तदर्थ समिति द्वारा निर्देश दिया गया था, कागज उद्योग ने मई से लेकर जुलाई,1970 तक छपाई के 15,000 मी० टन सफेद कागज के अतिरिक्त सप्लाई करने के अपने वचन को पूरा किया ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर तालाबन्दी

*741. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप बंगलौर तथा अन्य स्थानों में अपने कारखानों में की गई तालाबन्दी को इस बीच समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या कर्मचारियों ने तब तक काम पुन: आरम्भ करने से इंकार कर दिया है जब तक कि उनकी कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता और कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[मंत्रालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4574/70]

छोटे उद्योगों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा में संशोधन

*742. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे उद्योगों में पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संशोधन के फलस्वरूप देश में छोटे उद्योगों को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध

*743 **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन वस्तुओं के लिए, एक करोड़ रुपये की सीमा के बावजूद भी, लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है; और

(ख) ऐसी वस्तुओं के लिए लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबन्ध तथा सीमाएं रखने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : **(क) और (ख)** : एक करोड़ रु० की छूट की सीमा तीन वर्गों के उद्योगों पर और ऐसे उद्योगों पर लागू नहीं होगी जिनकी ज़मीन इमारत और मशीनों की स्थिर

आस्तियों के 10 प्रतिशत भाग से अधिक या आयातित पूंजीगत उपकरणों के रूप में 10 लाख रु० (जो भी कम हो) या आयातित कच्चे माल के लिए तीन लाख रु० (जो भी कम हो) की आवश्यकता होगी अथवा जिन्हें तीन साल से अधिक समय के लिए आयातित पुर्जों की आवश्यकता होगी। बड़े औद्योगिक गृहों, विदेशी फर्मों तथा प्रधान उपक्रमों के अथवा उनके द्वारा नियंत्रित औद्योगिक कारखाने भी इस छूट के हकदार नहीं होंगे। ऊपर बताये गये तीन प्रकार के उद्योग इस प्रकार हैं :—

1. छः उद्योगों में, उदाहरणार्थ—कोयला, कपड़ा, वनस्पति, दियासलाई, चमड़ा और गोला अलोर मिलिंग को इस बात का ध्यान रखे बिना कि उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है लाइसेंस लेना होगा। यह उपलब्ध इस बात का सुनिश्चय करने के लिए किया गया है कि इन उद्योगों के संबंध में लाइसेंस प्रणाली के द्वारा विशेष संरक्षण और/अथवा निगरानी रखी जा सके ताकि कुटीर उद्योग की सुरक्षा के लिए अथवा लोकहित की अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रतिष्ठान को विनियमित किया जा सके।

2. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग के संबंध में संयंत्र और मशीनों के रूप में 7.5 लाख रु० से अधिक की स्थिर आस्तियों सहित कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा ताकि लघु उद्योग क्षेत्र में आने वाले कारखानों के अलावा और कोई कारखाना बिना लाइसेंस के स्थापित न किया जा सके।

3. प्रमुख उद्योग; इनके बारे में विस्तृत उत्पादन योजनाएं तैयार की जायेंगी और औद्योगिक लाइसेंस पद्धति का ठीक प्रयोग किया जायेगा ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इन उद्योगों के संबंध में लाइसेंस के बिना विस्तृत योजना बनाना संभव नहीं होगा।

इस्पात वितरण सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

*744. **श्री गाडिलिंगन गोड़** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात वितरण सम्बन्धी अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक संघों के मूलभूत अधिकार

*745. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन पंजीकृत कार्मिक संघों के मूलभूत अधिकारों में कमी करने के कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

फ्रांस की रेनोल्ट कार कम्पनी के प्रतिनिधियों का दौरा

*746. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की रेनोल्ट कार कम्पनी के आठ इंजीनियरों का एक दल हाल ही में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या उन्होंने भारत में छोटी कार का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) उस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर कार बनाने के लिए भारत में मोटर गाड़ियों की सहायक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए दल ने भारत भ्रमण किया।

(ग) जी, हां।

(घ) फ्रांस के मैसर्स रेनोल्ट से प्राप्त प्रस्ताव अन्य विदेशी पार्टियों से प्राप्त हुए इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ ही अभी विचाराधीन है।

Misappropriation of Funds in Punjab Khadi Gramodyog Sangh

*747 **Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether there is mismanagement in the working of Punjab Khadi Gramodyog Sangh and lakhs of rupees have been misappropriated ;

(b) whether Government propose to conduct an enquiry through the Central Bureau of Investigation into these financial irregularities ; if so, by what time and if not, the reasons therefor ; and

(c) whether the Sarvodaya Sanstha has got any legal connections with this Sangh or whether the Sangh is legally responsible to meet the financial demands of the workers' of the Sarvodaya Sanstha ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) (a). The Khadi and Village Industries Commission has stated that it has received reports of some cases of mismanagement and suspected embezzlement and misappropriation to the tune of Rs. 6 to 7 lakhs.

(b) The Khadi and Village Industries Commission also states that complaints on the cases of suspected embezzlement were registered by the Khadi Gramodyog Sangh with the local Police and are under investigation.

(c) The Khadi and Village Industries Commission has stated that it has no information on the existence of the Sarvodaya Sanstha.

जमाएत-ए-इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना

*748. **श्री हेम बरुआ :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने जमाएत-ए-इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल को अखिल भारतीय दल के रूप में मान्यता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो एक ही प्रतीक के प्रयोग के लिए इस को किन राज्यों में मान्यता प्रदान की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) निर्वाचन आयोग ने आयोग की अधिसूचना का० आ० 3156, तारीख 17 अक्तूबर, 1966 की सूची "क"

में जमाएत-ए-इस्लामी को सम्मिलित करने का निर्णय किया है, जो उसमें सम्मिलित किए गए किसी भी राजनीतिक दल को आरक्षित प्रतीक के आवंटन का हकदार बनाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का कार्य

*749. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा गत तीन महीनों में अपने कार्यों में, जैसा कि उनके मासिक प्रतिवेदन से प्रकट होता है, क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इन संयंत्रों में उपस्थिति पूरी रही हैं, यदि नहीं, तो किन संयंत्रों में उपस्थिति कम हो गई हैं, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त अवधि में इन संयंत्रों में औद्योगिक शांति बनी रही है, और यदि हां, तो इस दौरान यदि कुछ उत्पादन बढ़ा है तो कितना ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री श्री (ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का सितम्बर से नवम्बर 1970 के महीनों तथा पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों का इस्पात पिण्डों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(टन)

	सितम्बर-नवम्बर, 1970	सितम्बर-नवम्बर, 1969
भिलाई	480,000	453,303
दुर्गापुर	123,000	200,518
राउरकेला	256,000	286,178
जोड़	859,000	940,999

मालिक-मज़दूर सम्बन्धों में सुधार होने से ऐसी आशा है कि आगामी महीनों में उत्पादन में कुछ और वृद्धि होगी।

सितम्बर से नवम्बर 1970 की अवधि में भिलाई में उपस्थिति सामान्य थी और मालिक-मज़दूर सम्बन्ध संतोषजनक थे। राउरकेला में रोलिंग मिलों के क्रेन चालकों की 1-8 सितम्बर 1970 तक की हड़ताल को छोड़कर श्रम-स्थिति प्रायः शान्तिपूर्ण थी। हड़ताल की अवधि में रोलिंग मिलों को छोड़कर उपस्थिति भी सामान्य थी। दुर्गापुर में काम करने से इन्कार करने की छुट-पुट घटनाओं तथा प्रदर्शनों के कारण काम बन्द करने के अलावा इस्पात पिघलाने वाले कारखाने के कर्मचारियों ने 26 सितम्बर, 1970 से हड़ताल कर दी थी। विवश होकर प्रबन्धकों को इस शाप में तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी जो 20 अक्तूबर 1970 तक चली परन्तु तालाबन्दी समाप्त करने के पश्चात् भी कर्मचारी काम पर नहीं आए और 31 अक्तूबर, 1970 को यूनियन के साथ समझौता हो जाने के पश्चात् ही स्थिति सामान्य हुई। कारखाने के दूसरे अनुभागों में उपस्थिति प्रायः सामान्य थी।

बम्बई के स्टाक यार्डों में इस्पात के भण्डारों का जमा होना

*750. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के स्टाक यार्डों में इस्पात का बड़ा भण्डार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस्पात की अपर्याप्त तथा अनियमित सप्लाई के बारे में व्यापारियों तथा छोटे उपभोक्ताओं की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो व्यापारियों तथा छोटे उपभोक्ताओं को इस्पात का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) : चूंकि इस्पात की उपलब्धि देश की मांग से बहुत कम है इसलिए कई उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों से कम तथा अनियमित सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वितरण की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध उत्पादन का अधिकांश वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई किया जाता है। कुछ प्रतिशत माल व्यापारियों तथा स्टाकिस्टों को दिया जाता है। इस्पात प्राथमिकता समिति लघु उद्योग निगमों तथा कुछ राज्य प्रशासनों

द्वारा स्थापित कच्चे माल के डिपुओं की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देती है। व्यापारियों को इस्पात के आवंटन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति नियुक्त की गई है।

छोटे उद्योगों को आयातित इस्पात की सप्लाई

4574. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों द्वारा छोटे उद्योगों को आयातित इस्पात की सप्लाई करने सम्बन्धी सुझाव दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) जी, हां।

(ख) देश में मात्र लघु उद्योगों को संभरण करने हेतु 10 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा तक विदेशी मुद्रा में से काफी मात्रा में हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा 58,670 मी० टन इस्पात की चदरों तथा प्लेटों के प्रपंज आयात करने का प्रबन्ध किया गया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लघु उद्योगों के संभरणार्थ बर्तनों के बनाने के लिए, अन्य वस्तुओं के साथ ही, उपयुक्त 2000 मी० टन स्टेनलैस स्टील की चदरों के आयात की भी व्यवस्था की गई है। आयात लाइसेंस नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ताओं की भांति ही लघु एककों को भी इस्पात की विभिन्न लाइसेंस योग्य श्रेणीयों के आयात करने की अनुमति दे दी गई है। 1970-71 की आयात लाइसेंस नीति के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं को उनकी विगत वर्ष अर्थात् 1969-70 की खपत के 50 प्रतिशत के बराबर इस्पात की कुछ किस्मों के अतिरिक्त आयात की अनुमति दे दी गई है।

पिछड़े इलाकों में छोटे उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने के लिए राज्यों में शिखर निकायों का गठन

4575. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े इलाकों में छोटे उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने के लिए प्रत्येक राज्य में उच्चस्तरीय निकायों के गठन करने के सुझाव दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास का प्रभाव

4576. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री मयावन :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष द्वारा 13 नवम्बर, 1970 को नई दिल्ली में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि औद्योगिक विकास की दर बढ़ाने से ही देश की आर्थिक समस्यायें हल होंगी ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि नीति सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही की जाए तथा अनुरोध किया कि कर नीति में अन्तर्निहित तथ्यों पर नये सिरे से विचार किया जाए ।

(ग) छठवें दशक में आर्थिक विकास तथा सातवें दशक के वहिर्वेशन (इक्नामिक ग्रोथ इन सिक्सटीज़ इण्ड प्रोजेक्सन्स फार सैवनटीज़) पर हाल में आयोजित विचार गोष्ठी में क्या-क्या सुझाव प्रस्तुत किये गये थे; और

(घ) इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ) : गोष्ठी में विभिन्न सामान्य सुझाव दिये गये, इसी प्रकार के सुझाव अन्य मंचों पर भी दिये जा चुके हैं । इनमें से पहला सुझाव यह है कि कच्चे मालों की कमी विशेषकर इस्पात की कमी को दूर किया जाना है, दूसरा यह कि गैर-सरकारी क्षेत्र पर लगे विभिन्न नियंत्रणों को हटाया जाना चाहिए तीसरे आवेदन-पत्रों पर होने वाली देरी में कमी की जाये । चौथी विदेशी प्राद्योगिकी का अधिक विस्तृत आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाये, पांचवां यह कि कर भार घटाया जाए

और अन्तिम यह कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये (आधुनिक प्राद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए), एवं बहुत बड़े एककों पर अधिक उत्पादन करने तथा विविधीकरण पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धनों को हटाया जाये ।

उपनिर्दिष्ट समस्याओं में से कुछ पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा उदार आयात द्वारा कच्चे सामान और इस्पात की कमी की समस्या को, जहां कहीं घरेलू उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों तथा पूंजीगत माल और अन्य सामान के आयात लाइसेंसों को शीघ्र निपटाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। अन्य मालों के बारे में, सरकार को अर्थव्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं, अधिकाधिक रोजगार के साधन जुटाने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत तथा अधिक पूंजी लगाने की बजाय अधिक श्रमिकों को काम में लगाने की उत्पादन प्रवधि को अपनाना और अन्य बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जैसे योजना के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना सुविधाओं और जिन अन्य आवश्यक विनियोजना की आवश्यकता पड़ती है उन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के ढलाई संयंत्र में आग लग जाना

4577. **श्री बाबूराव पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के ढलाई संयंत्र में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और उससे कितनी तथा किस प्रकार की क्षति हुई तथा कितने रुपये की हानि हुई; और

(ग) इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात तथा इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) **और** (ख) : भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट की एक कर्मशाला के एक सब-स्टेशन में 16 अक्तूबर, 1970 को बिजली से आग लगी थी जिससे 15,000 रुपये की हानि हुई। आग शार्ट सरकिट के कारण लगी ।

(ग) इस दुर्घटना के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में हुई दुर्घटनायें

4578. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से नवम्बर, 1970 तक भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में तोड़-फोड़, उपेक्षा तथा अन्य समान कारणों से कुल कितनी दुर्घटनायें हुई और इससे सरकार को कुल कितने रुपयों की हानि हुई; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा विदेशी फर्मों को दिया गया परामर्श-शुल्क

4579. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा गत दो वर्षों में किन-किन विदेशी फर्मों को परामर्श-शुल्क दिया गया तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक फर्म को कुल कितनी राशि दी गई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

	1968-69	1969-70
मेसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट, प्राग, चैकोस्लोवाकिया	371,497·12 रु०	3,80,341·87 रु०
मेसर्स जापान कंसल्टिंग इन्स्टीट्यूट	302,000 रु०	

दिल्ली नगर निगम द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम के परियोजना विभाग को दिये गये क्रियादेश

4580. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने भारी इंजीनियरिंग निगम के परियोजना विभाग को क्रियादेश दिये हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार के क्रियादेश दिये गये और उनका मूल्य कितना था तथा उन्हें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत भट्टियों तथा मुख्य इस्पात संयंत्रों में नरम इस्पात धातु पिण्ड के निर्माण की लागत

4581. **श्री गजराज सिंह राव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत भट्टियों तथा मुख्य इस्पात संयंत्रों में नरम इस्पात-धातु पिण्ड के निर्माण की औसत लागत कितनी है; और

(ख) अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970 और अप्रैल, 1970 से सितम्बर, 1970 तक विद्युत भट्टियों में कुल कितने नरम इस्पात, ढलवां इस्पातों तथा धातु पिण्डों/बिलेटों, विशिष्ट इस्पातों का उत्पादन हुआ ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया के अनुसार 1969 के कैलेन्डर वर्ष में इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेसेज़ द्वारा तरल धातु का उत्पादन 4,93,000 टन तथा जनवरी से सितम्बर, 1970 की अवधि में 5,60,346 टन था।

देशी भट्टी मालिकों द्वारा खरीदी गई कतरन

4582. **श्री गजराज सिंह राव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशी भट्टी मालिकों के नाम क्या हैं जो नम्बर 2 चादर के टुकड़ों तथा पंचिंग का प्रयोग करते हैं और अप्रैल/सितम्बर, 1970 के दौरान उन्होंने कितनी मात्रा में लोहे की छीलन खरीदी;

(ख) क्या व्यापारियों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि उनके सदस्य इस पद का स्टाक जमा कर रहे हैं तथा गांठ बनाने की क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि देशी उपभोक्ता नहीं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति के अन्तर्गत इस पद को गुण-दोष के आधार पर निर्यात करने की अनुमति दी गई है, किन्तु निर्बाधिता पत्र जारी नहीं किया गया जिनसे इसके इकट्ठा करने में अव्यवस्था हो गई है तथा कतरन के व्यापारियों को कठिनाई उत्पन्न हुई है और कतरन इकट्ठा करने वालों में बेरोजगारी फैल गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इस अवांछित कतरन को हटाने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसे प्राप्त करके सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) आइरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया ने अभ्यावेदन दिया है कि इसके संघटकों के पास यह माल कुछ मात्रा में जमा हो गया है।

(ग) और (घ) : चूंकि इस माल का निर्यात गुण-अवगुण के आधार पर किया जाता है इसलिए निर्यात की अनुमति तभी दी जा सकती है जब इसकी मात्रा देशीय आवश्यकताओं से अधिक हो। इसका कोई प्रमाण नहीं है। सरकार इस स्थिति पर सतत ध्यान दे रही है।

विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों का निर्माण

4583. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को 30 नवम्बर, 1970 तक विदेशी सहयोगियों से सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों के निर्माण के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन विदेशी सहयोगियों के नाम तथा उनके प्रस्तावों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

(ग) इनकी छानबीन कब तक पूरी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ग) : सरकारी क्षेत्र में यात्री कारों के उत्पादन के लिए सहयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित विदेशी फर्मों से प्राप्त हुए हैं :

1. मैं० रेगी नेशनल डी० यूसिनस रेनाल्ट, फ्रांस
2. मैं० फोर्ड प्रो० कम्पनी, आस्ट्रेलिया

3. मै० फिएट एस० पी० ए०, इटली

4. मै० टोयो कोगयो कम्पनी लि० जापान, और

5. मै० जैवेदी क्रेवीना जोस्टेवा, यगोस्लोवाकिया ।

इसके अलावा पश्चिम जर्मनी की फर्म मै० वोलकस्वागेन ने भी यह सूचना दी है कि उन्होंने भी अपना प्रस्ताव भेजा है किन्तु उनका प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । अब तक प्राप्त हुए प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं, इस अवस्था में इन प्रस्तावों का ब्यौरा बताना उचित नहीं समझा जाता ।

(ग) यद्यपि इन प्रस्तावों की शीघ्र जांच करने की पूरी कोशिश की जा रही है फिर भी इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि इन सब प्रस्तावों की जांच किस तारीख तक पूरी हो जाएगी ।

रोहतक और नई दिल्ली स्टेशनों (उत्तर रेलवे) पर स्थानीय रेलगाड़ियों का विलम्ब से आना

4584. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 से रोहतक-दिल्ली सैक्शन पर 1 डी के आर और 2 डी के आर उपनगरीय रेलगाड़ियां रोहतक तथा दिल्ली स्टेशनों पर साधारणत: अनुसूचित समय के बाद पहुंचती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके समय पर पहुंचने की स्थिति सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, परन्तु इन गाड़ियों का चालन सन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) इनके चालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । इनके चालन पर खतरे की जंजीरें खींचे जाने, पूरी क्षमता तक उपयोग में आने वाले इस इकहरी लाइन खण्ड पर यातायात का बहुत भारी घनत्व होने आदि कई कारणों का दुष्प्रभाव पड़ता है । क्षमता बढ़ाने के लिए शकूरबस्ती-रोहतक खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है ।

लाइसेंस देने के कार्य से सम्बन्धित औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिकारी

4585. **श्री प० मु० सईद :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम 1951 के अधीन गैर सरकारी फर्मों को लाइसेंस देने वाले केन्द्रीय मंत्रालय के उप सचिव तथा उसके ऊपर के पद के अधिकारियों के नाम क्या हैं और वे किन-किन उद्योगों को लाइसेंस देते हैं; और

(ख) भाग (क) में बताये गए उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके माता-पिता, पुत्र, पुत्रियां, भाई व साले, बहनोई फर्मों में नियुक्त किये गये हैं जिनको ये लाइसेंस देते हैं और संबंधियों की नियुक्ति कब हुई थी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) :(क) **और** (ख) : उप-सचिव पद वाले और उससे उच्च पदों के अधिकारी या तो केन्द्रीय सिविल सेवाओं की श्रेणी 1 से या अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित होते हैं। उन पर लागू होने वाले आचरण नियमों से सम्बन्धित उपबन्धों में विहित है कि :

1. अधिकारियों को अपने निकट सम्बन्धियों अर्थात् पुत्रों, पुत्रियों और अन्य आश्रितों को काम दिलाने के लिए (सरकारी सरक्षण प्राप्त गैर सरकारी उपक्रमों में) सरकार से अनुमति लेनी चाहिए ।

2. अधिकारियों को ऐसी फर्मों के मामलों को जिनमें अनेक उनके रिश्तेदार या आश्रित काम पर लगे हुए हैं, अनुदेशों के लिए अपने से उच्च अधिकारियों को दिखाना चाहिए ।

3. उप-सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को नियत किये गये काम के विषयों को समय-समय पर बदलना अतिभावुकता है और समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखा जाना भी कठिन है। माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई जानकारी को इकट्ठा करना पर्याप्त श्रम साध्य है और इसमें पर्याप्त समय भी लगेगा जबकि इसके परिणाम इस अनुपात में लाभप्रद नहीं होंगे ।

टिकट एजेण्टों द्वारा कौन्नाक्काडू (दक्षिण रेलवे) में टिकटों की प्रतिबन्धित बिक्री

4586. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोन्नाक्काडू हाल्ट स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के टिकट एजेण्ट को दूसरी श्रेणी के टिकट खरीदने की अनुमति दी गई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या टिकट एजेन्ट ने उत्तर में मद्रास तथा दक्षिण में रामनाथपुरम तक के टिकट देने का अनुरोध किया था, परन्तु उन पर विचार नहीं किया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कोन्नाक्काडू स्टेशन पर टिकट उपलब्ध न होने के कारण रेलवे को भारी हानि हो रही है और इसके कारण स्टेशन की आय में कमी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियां स्टेशन पर नहीं रुक रही हैं, यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलव मंत्री (श्री नन्दा) :(क) जी नहीं। साधारणतः गाड़ी हाल्ट स्टेशनों से केवल तीसरे दर्जे के साधारण टिकट जारी किये जाते हैं। ऊंचे दर्जे के टिकट जारी करने के अनुरोध के बारे में उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। कोन्नाक्काडू हाल्ट स्टेशन से ऊंचे दर्जे के टिकट जारी करने के लिए हाल्ट एजेंट या जनता से कोई अनुरोध नहीं मिला है।

(ख) हाल्ट एजेंट से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। हाल्ट स्टेशन पर यातायात अच्छा हो रहा है और यह लाभप्रद है।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रेलवे विद्युतीकरण के लिये नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती

4587. **श्री गणेश घोष :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे के विद्युतीकरण विभाग में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सेवा वाले बहुत से कर्मचारियों ने, जिन्होंने हाल में

शांतिपूर्ण संघर्ष में भाग लिया था, स्थानीय अधिकारियों से पुन: कार्य पर लेने की अपील की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय अधिकारियों ने उपरोक्त नैमित्तिक कर्मचारियों में से किसी को भी कार्य पर वापस नहीं लिया है;

(ग) क्या इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे विद्युतीकरण विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने 5-8-70 और 15-11-70 के बीच काफी सख्या में नैमित्तिक कर्मचारियों को भर्ती किया है; और

(घ) यदि हां, तो पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों को वापस कार्य पर न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री श्री नन्दा : (क) कुछ नैमित्तिक मजदूरों ने ड्यूटी पर वापस लेने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अपील की थी ।

(ख) से (घ) जो नैमित्तिक मजदूर असंतोषजनक कार्य के लिए कार्य मुक्त हुए थे और जो गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये थे तथा जिनके विरुद्ध पुलिस के मामले चल रहे थे उन्हें छोड़कर नियोजन के लिए जो अन्य व्यक्ति उपस्थित उन्हें यथा-सम्भव पुन: काम पर ले लिया गया । इनमें रेल बिजली योजना के पुराने कर्मचारी तथा वे भी शामिल हैं जो कार्यभार कम होने के कारण कार्य-मुक्त कर दिये गये थे ।

रेलवे विद्युतीकरण विभाग (उत्तर रेलवे) के नैमित्तिक कर्मचारियों के लिये नियमित वेतनमान

4588. **श्री गणेश घोष :**

श्री झारखण्डेराय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय में यह कहा गया है कि इण्डियन रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के नियम 2501 के अनुसार रेलवे विद्युतीकरण संगठन कोई परियोजना नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे विद्युतीकरण के नैमित्तिक कर्मचारियों ने उपरोक्त निर्णय के अनुसार नियमित वेतनमान की मांग की है;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने इस निर्णय के विरुद्ध कोई विशेष अपील दायर की है;

(घ) क्या उक्त विशेष अपील में यह कहा गया है कि गत 1 अप्रैल, 1968 से रेलवे विद्युतीकरण कार्य निरन्तर हो रहा है;

(ङ) क्या छः महीने से अधिक सेवा वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1968 से नियमित वेतनमान पाने का अधिकार है; और

(च) यदि हां, तो कितने नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया गया है ?

रेलवे मंत्री श्री नन्दा : (क) माननीय न्यायाधीश श्री माथुर ने अपने निर्णय में यह कहा है कि रेल बिजली योजना अस्थायी संगठन नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे विद्युतीकरण (उत्तर रेलवे) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अनुपूरक विशेष अपील

4589. **श्री गणेश घोष :**

श्री इसहाक सर्मली :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, जिसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल, 1968 से रेलवे विद्युतीकरण कार्य उत्तर रेलवे का दिन प्रतिदिन का कार्य है, के विरुद्ध की गई विशेष अपील में दिये गये तर्कों को वापस लेने की अनुमति के लिये प्रार्थना करते हुए कोई अनुपूरक विशेष अपील दायर की है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण के नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा पहले दायर की गई अपील के आधार पर नियमित वेतनमान के लिये अपील किये जाने पर रेलवे प्रशासन द्वारा यही प्रार्थना की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रार्थना क्यों की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रेलवे अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के खुलने पर मियाद के अन्दर पहली बार अपील के आधार, प्रशासन से अनुमोदित कराये बिना दायर कर दिये थे । जब प्रशासन के नोटिस में यह बात आयी तो उसने रेलवे अधिवक्ता को एक पुनरीक्षण (रीविज़न) दायर करने को कहा ।

रेलवे विद्युतीकरण विभाग के नैमित्तिक कर्मचारियों का शिफ्ट ड्यूटी तथा रात की ड्यूटी में उपयोग

4590. **श्री गणेश घोष :**

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवायें स्थानान्तरणीय नहीं होती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किन्हीं भी परिस्थितियों में दिन में आठ घंटे से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या यह सच है कि नैमित्तिक कर्मचारियों को शिफ्ट ड्यूटी तथा रात की ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण विभाग में नैमित्तिक कर्मचारियों को शिफ्ट तथा रात की ड्यूटी पर लगाया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी रेलवे के जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर चोरियों और लूटपाट में अन्तर्ग्रस्त रेलवे कर्मचारी

4591. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे अधिकारियों ने पटना-गया लाइन पर जहानाबाद कोर्ट

स्टेशन पर इस समय कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन किसी समय करवाया था;

(ख) क्या यह तथ्य प्रगट हुआ है कि इस स्टेशन पर कार्य करने वाले कुछ कर्मचारी इस प्रकार के हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गाड़ियों में चोरियों अथवा लूटमार में संलग्न थे और एक न एक बार विशेष पुलिस संस्थान या रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को इस स्टेशन पर रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के तत्वों को इस स्टेशन से हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा कब तक कार्रवाई की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स एसकार्टस द्वारा फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात

4592. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मैसर्स एसकार्टस को फोर्ड ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति इस विचार से दी गई है कि देश में निर्माण इस ट्रैक्टर को बनाने की अनुमति दी जा चुकी है;

(ख) क्या जिस आधार पर फोर्ड ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई है, वह आधार उस वक्तव्य से मेल नहीं खाता जिसमें कहा गया है कि एकाधिकार था प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के अधीन मैसर्स एसकार्टस औद्योगिक लाइसेंस (आशय पत्र पाने के अधिकारी नहीं) है;

(ग) क्या मैसर्स एसकार्टस (एक प्रमुख उपक्रम) को फोर्ड ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति देकर इस कम्पनी के साथ विशेष रियायत की गई है; और

(घ) यह कम्पनी एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के आधीन अनुमति दिये बिना औद्योगिक लाइसेंस को प्रयोग न कर सके, क्या इसके लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) इस समय ट्रैक्टरों की मांग और देश में हो रहे उनके उत्पादन के बीच काफी अन्तर है। इस अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से देश में जिन मार्का और माडलों ट्रैक्टरों के उत्पादन को स्वीकृति दी गई है, उनके आयात को यथा सम्भव व्यवस्था की जा रही है। ट्रेक्टरों की समूची मांग और उनके अनुमानित देशी उत्पादन को ध्यान में रख कर के ही कृषि विभाग द्वारा उनके आयात की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1969-70 के लिए पूर्ण रूप से तैयार 35,000 ट्रैक्टरों के आयत करने के लिए सहमति हो गई थी। इस स्वीकृत संख्या में 850 फोर्ड--3000 ट्रैक्टरों का आयात राज्य वा व्यापार निगम के माध्यम से खुली हालात में किया जा रहा है। यद्यपि एस्कार्ट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग ट्रैक्टरों को जोड़कर तैयार करने में किया जाएगा तथापि उनका वितरण एस्कार्ट के माध्यम से न करके राज्य कृषि उद्योग नियमों के माध्यम से ही किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एस्कार्ट को फोर्ड ट्रैक्टरों के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गई है। कुल 35,000 ट्रैक्टरों में से 850 फोर्ड-3000 ट्रैक्टरों का राज्य व्यापार-निगम के माध्यम से आयात कराने में मै० एस्कार्टस लि० को कोई वरीयता नहीं दी गई है।

(घ) मै० एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लि० ने एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत फोर्ड ट्रैक्टरों का उत्पादन करने के लिए एक उपक्रम स्थापित करने हेतु अपने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए एक आवेदन पत्र समवाय-कार्य विभाग में दिया है। उनका आवेदन इस समय इस विभाग के विचाराधीन हैं। अपने आवेदन में कम्पनी ने वह दलील दी है कि इस बात को देखते हुए कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के 21 जून, 1970 को लागू होने से पहले ही उन्होंने योजना के कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए थे, उदत्त अधिनियम के उपबन्ध उनके मामले में लागू नहीं होते। कुछ भी सही। कम्पनी को पहले ही यह सूचित कर दिया गया है कि उनको दिए गए औद्योगिक लाइसेंस से एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया अधिनियम 1969 के अनुसार मिलने वाला उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जहां कहीं भी उन्हें इस प्रकार की अनुमति या स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। वह उन्हें औद्योगिक लाइसेंस की क्रियान्विति के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाने के पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिए।

मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों का आयात

4593. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री 24 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बड़े उपक्रम मैसर्स एस्कार्टस को लगभग एक करोड़ रुपए के मूल्य के फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इस कम्पनी को इतने अधिक मूल्य के आयात के लिए लाइसेंस दिया जाना जबकि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के आधीन इस कम्पनी द्वारा अनुमति पत्र प्रदान न करना सरकार की वर्तमान नीति के विरुद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो मैसर्स एस्कार्टस को इन ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) (क) से (ग) : मै० एस्कोर्ट लि० को पूर्ण रूप से तैयार फोर्ड ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी 850 नग फोर्ड 3000 ट्रैक्टरों का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जा रहा है। एस्कार्ट को उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग ट्रैक्टरों के तैयार करने में किया जाएगा किन्तु उनके द्वारा तैयार किए गए ट्रैक्टरों का वितरण एस्कार्ट के द्वारा न किया जाकर राज्य कृषि उद्योग नियमों द्वारा किया जाएगा।

पाइलेट गाड़ियों के अभाव में जींद स्टेशन (उत्तर रेलवे) में भरी हुई माल गाड़ियों का रुकना

4594. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जींद स्टेशन पर (उत्तर रेलवे) भरी हुई माल गाड़ियों को रेलवे कर्मचारियों द्वारा माल पाने वालों को विलम्ब शुल्क देने से बचाने के लिए, इस बहाने से कि पाइलेट गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं, अनुसूचित समय से अधिक समय तक रोका रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में हुई ऐसी घटनाओं का व्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : जी नहीं। जींद-जाखल खण्ड पर पायलट गाड़ियां रोजाना चलती हैं, जब कि जींद-पानीपत और नरवाना-कुरुक्षेत्र खण्ड पर ये एक दिन छोड़ कर चलती हैं। नवम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले 6 महीनों के

183 दिनों में जींद-जाखल खण्ड पर 129, जींद-पानीपत खण्ड पर 94 और नरवाना-कुरुक्षेत्र खण्ड पर 102 पायलट गाड़ियां चलायी गयी थीं। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है जिसमें छोटे स्टेशनों के परेषितियों को कोई अनुचित लाभ देने के लिए किसी निर्माण गाड़ी या पायलट गाड़ी को रद्द किया गया था।

(ग) इस आशय की हिदायतें पहले से ही लागू हैं कि जब भार को देखते हुए औचित्य हो, तो अधिक बार पायलट गाड़ियां चलायी जायें।

हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति

4595. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कोई विधायक नहीं होगा;

(ख) क्या हरियाणा में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राज्य के विधान मण्डल के एक सदस्य को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हरियाणा में उक्त अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड के सभी संसाधनों का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों के लिए किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श के साथ की जाती है। सामान्य पद्धति यह है कि राज्य विधान मण्डल/संसद के किसी सदस्य को राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के एक भूतपूर्व कर्मचारी से इस मामले में शिकायत मिली थी।

(घ) जी हां। जांच से पता चला है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन में कमी

4596. **श्री गणेश घोष :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 7 अक्तूबर, 1970 को नई दिल्ली में संवाददाताओं को कहा था कि महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में कमी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में तेजी के साथ वृद्धि नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है;

(ग) किन-किन उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी कमी हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) से (घ) : समझा जाता है कि प्रश्न का सम्बन्ध औद्योगिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति के अन्य पहलुओं पर योजना आयोग द्वारा हाल ही में किये गये मूल्यांकन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति से हैं। औद्योगिक परिस्थिति की समीक्षा करते हुए योजना आयोग ने बताया है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार कुछ मूलभूत उद्योगों जैसे इस्पात, उर्वरक इत्यादि में लक्ष्यों में काफी कमी होने की आशंका है। यह भी बताया गया है कि यह कमी विभिन्न क्षेत्रों तथा परियोजनाओं में कई कारणों तथा परिस्थितियों के कारण होगी। यद्यपि कई उत्पादन क्षेत्रों में क्षमता की वर्तमान प्रयोग दर सन्तोषजनक है किन्तु कई आवश्यकता क्षेत्रों जैसे इस्पात, उर्वरक, भारी धातु कार्मिक उपकरणों जैसे उद्योगों में यह अपर्याप्त समझी जाती है। कुछ अन्य मामलों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। यह दोनों पहलू सरकारी क्षेत्र के संदर्भ में रखे गये हैं और इसमें अयस्क कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, पेट्रो रसायन जैसों के उत्पादन लक्ष्य भी सम्मिलित हैं। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्रों का सम्बन्ध है योजना आयोग ने इस पर बल दिया है कि यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समूची प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो विनियोजन तथा उत्पादन दर में गति लानी होगी। योजना आयोग द्वारा औद्योगिक स्थिति का किया गया मूल्यांकन, तथा आयोग द्वारा प्रक्रिया में सुधार के कुछ सुझाव जो पहले ही विचाराधीन थे, सरकार के विचाराधीन हैं और जहां आवश्यक होगा आगे अभ्युपाय किये जायेंगे।

हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट, हैदराबाद द्वारा इटली के सहयोग से उर्वरक संयंत्रों के लिए मशीनरी का निर्माण

4597. **श्रीमति सुचेता कृपालानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रीकल प्लांट, हैदराबाद ने उर्वरक संयंत्रों के लिए मशीनरी का निर्माण करने हेतु इटली के नोवो पिगनोनो के साथ किसी सहयोग करार को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या है; और

(ग) अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) (क) **और** (ख) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड उर्वरक संयंत्रों के लिए अपेक्षित सैन्ट्रीफयुगल कम्प्रेसरों के उत्पादन के लिए कुछ समय से इटली की एक फर्म के साथ बातचीत कर रहा है। सरकार इस समय करार की शर्तों की जांच कर रही है।

(ग) जब पूरी क्षमता से उत्पादन होने लगेगा तब उत्पादन का अनुमित मूल्य लगभग 3.3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो जायेगा।

चीनी मिलों द्वारा खोई पर आधारित कागज के कारखानों की स्थापना

4598. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय चीनी मिलों ने खोई पर आधारित कागज के कारखानों की स्थापना के प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मिलों ने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों से मिलों को अपनी क्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) **से** (ग) : यद्यपि गन्ने की खोई की प्रधान कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके कागज तथा कागज का गत्ता बनाने की कुछ योजनाएं पहले स्वीकृत की गई थीं

किन्तु उनमें से किसी को कार्यन्वित नहीं हुई। राज्य में गन्ने की खोई पर आधारित अखबारी कागज के साथ कागज संयंत्र स्थापित करने के बारे में महाराष्ट्र राज्य के एक सहकारी चीनी कारखाने के प्रस्ताव को 1964 में स्वीकृति दी गई थी, किन्तु कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। हाल ही में उन्होंने प्रस्ताव में पुनः अपनी रुचि दिखाई है और इस संबंध में फर्म के आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि भारत में पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रम

4599. **श्री केदार नाथ सिंह :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का विचार है कि 19 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के पोषाहार सम्बन्धी बड़े स्तर के कार्यक्रम के लिये भारत में 6 नगरों को चुना जाये;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन नगरों को चुना गया है तथा चुनाव की कसौटी क्या है; और

(ग) योजना का दूसरा ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योग बोर्ड द्वारा परिवहन सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने का अनुरोध

4600. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड ने परिवहन सम्बन्धी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन करने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) लघु उद्योग बोर्ड ने 5 और 6 नवम्बर, 1970 को भुवनेश्वर में हुई अपनी 28वीं बैठक में सिफारिश की थी कि उत्तरपूर्वी भारत और जम्मू व काश्मीर के दूर से होने और वहां पर यातायात की सुविधाओं के न होने से वहां पर पैदा होने वाली विशेष समस्याओं का भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन कराना चाहिए और उनके उपयुक्त हल ढूढ़ने चाहिए।

(ख) सरकार इस समय मामले पर विचार कर रही है।

बोकारो इस्पात कारखाने तथा अन्य इस्पात परियोजनाओं के लिये मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा परामर्श-कार्य

4601. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सदन में यह घोषणा की थी कि इस्पात तथा अन्य औद्योगिक कारखानों की स्थापना में भारतीय सलाहकारों को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि बोकारो इस्पात कारखाने तथा अन्य प्रस्तावित इस्पात परियोजनाओं के विस्तार कार्य के लिये परामर्श कार्य मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को दिया जायेगा; और

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को परामर्श कार्य के लिये यह आदेश नहीं दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सदन को विश्वास दिलाया है कि बोकारो इस्पात परियोजना के द्वितीय-चरण के उन सभी कामों में जो प्रथम-चरण में दस्तूर कम्पनी को सौंपे गये थे उनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

(ग) सिद्धान्तः बोकारो इस्पात परियोजना के द्वितीय चरण के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो को मुख्य सलाहकार नियुक्त करने तथा ऊपर (ख) में उल्लिखित आश्वासन के अनुसार दस्तूर कम्पनी का इस काम में सहयोग प्राप्त करने का निश्चय पहले ही किया जा चुका है। काम की शर्तों के बारे में परियोजना प्रबन्धकों तथा इन दोनों एजेन्सिओं से बातचीत चल रही है।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

4602. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1969 से अब तक कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) इन में कितने लाइसेंस सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को दिये गये ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) 1 जून, 1969 से 31 अक्तूबर, 1970 तक की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमा 1951 के अधीन कुल 362 लाइसेंस जारी किये गये थे। इन लाइसेंसों के अलावा, उसी अवधि में 515 आशय-पत्र भी जारी किये गये थे।

(ख) सरकारी क्षेत्र में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये 6 लाइसेंस और 28 आशय-पत्र जारी किये गये थे।

रेलों की बड़ी दुर्घटनाओं की जांच

4603. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आठ दिनों की अवधि के भीतर तीन बड़ी रेल दुर्घटनाएं एक रिवाड़ी के निकट (हरियाणा), दूसरी खुर्जा में (दिल्ली के निकट) और तीसरी मद्रास के निकट हुई थी;

(ख) क्या इन तीन दुर्घटनाओं में से दो का कारण मशीनरी की असफलता न हो कर मानवीय गलती प्रतीत होता है;

(ग) क्या देश में कुछ प्रमुख पत्रिकाओं (उदाहरणार्थ 3 नवम्बर, 1970 का इकोनामिक टाइम्स) ने यह निर्देश किया है कि सामान्य रूप से की जाने वाली केवल सरकारी जांच इस प्रकार के मामलों के लिए पर्याप्त सन्तोषजनक नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में नीति के रूप में इस प्रकार की जाचें बाहर के सक्षम लोगों को सौंपने के लिए कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ये दुर्घटनाएं क्रमश: 22-10-70, 26-10-70 और 31-10-70 को हुई थीं।

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच रेल संरक्षा के अपर आयुक्तों द्वारा की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) दुर्घटनाओं और रेल अधिनियम में उल्लिखित संरक्षा से सम्बन्धित अन्य मामलों की जांच करने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9वां) की धारा 4 के अधीन रेलवे निरीक्षक पहले से ही नियुक्त किये जा रहे हैं। रेलवे संरक्षा के आयुक्त जो रेल संरक्षा आयोग के प्रधान होते हैं और रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जो भारतीय रेलों के अलग-अलग भागों के इन्चार्ज होते हैं, रेल निरीक्षकों के विभिन्न विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं जिनमें गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच करना भी शामिल है। रेल संरक्षा का आयुक्त पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है और रेल प्रशासन के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होता है। रेल संरक्षा के अपर आयुक्त वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें रेल संचालन और तकनालोजी का वृहद अनुभव और सम्यक ज्ञान होता है, इस प्रकार वे रेल दुर्घटनाओं की तकनीकी जांच के लिए पूर्णत: सक्षम होते हैं।

रेल दुर्घटनाओं की जांच के सम्बन्ध में जांच करने की वर्तमान नीति और परिपाटी तथा विधिक उपबन्ध, जो समय की मांग के अनुसार खरे उतरे हैं, पर्याप्त और सन्तोषजनक समझे जाते हैं और सरकार इस विषय में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं रखती।

लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि आपवादिक मामलों में सरकार, अत्यन्त गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के लिए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच आयोग नियुक्त करती है।

जापान को कच्चे लोहे का निर्यात

4604. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान को 6 लाख मीटरी टन कच्चे लोहे के निर्यात हेतु जापान के साथ वस्तु विनियम समझौते को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टरों का निर्माण

4605. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक समवाय को पश्चिम जर्मन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया है;

(ख) क्या इस समवाय के हिस्सेदार वही व्यक्ति हैं जो उस कम्पनी के हिस्सेदार हैं जिसे आर० एस०–09 ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया था;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कम्पनी को 50 लाख रुपयों का ऋण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) मै० किर्लोस्कर ट्रैकटर्स लि० को डयूटज ट्रैक्टरों (प० जर्मन) का निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। प० जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से हनोमैग ट्रैक्टरों का निर्माण करने के बारे में पटियाला के मै० परफेक्ट ट्रैक्टर्स लि० से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। मै० इण्डिया एग्रो मशीन द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है। इस कम्पनी के निदेशक बोर्ड और कम्पनी जिसने प० जर्मनी के हनोमैग ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है, का निदेशक ही उभयनिष्ठ है।

(ग) जानकारी राज्य सरकार से इकठ्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डिया टोबैको कम्पनी

4606. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्पीरियल टोबैको कम्पनी (वर्तमान इण्डिया टोबैको कम्पनी) तथा इससे सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा दिखाये गये व्यापार चिह्नों की पूंजीगत साख तथा मूल्य क्या है;

(ख) क्या ये मूल्य भविष्य में वापस देश में भेजे जा सकेंगे,

(ग) सरकार का इसे कैसे रोकने की विचार है;

(घ) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी तथा इससे सम्बद्ध प्रत्येक कम्पनी द्वारा अदा किये गये लाभांश की दर क्या है; और

(ङ.) इसी अवधि में उक्त कम्पनी तथा इससे सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में कितनी पूंजी लाई गई ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) से (ङ.) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रैक्टरों की चोर बाजारी के बारे में शिकायत

4607. **श्री साधूराम :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले प्रमुख उपक्रम ने व्यापारियों की छूट को घटाकर 300 रुपया प्रति ट्रैक्टर कर दिया है तथा उनसे ट्रैक्टरों को चोर बाजारी से बेचने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या ट्रैक्टर का निर्माण करने वाले प्रयुक्त उपक्रम ने टैरिफ कमीशन ट्रिबुनल के समक्ष यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि व्यापारी न्यूनतम 1,800 रुपये प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से काम चला सकता है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) ऐस्कोर्ट ट्रैक्टरों के निर्माताओं ने बताया है कि जून, 1970 से उनके विक्रेताओं ने स्वेच्छा से ऐस्कोर्ट-37 तथा ऐस्कोर्ट-27 ट्रैक्टरों की बिक्री पर अपनी 1500 रु० की सामान्य कटौती में कमी करके 300 रु० प्रति ट्रैक्टर लेना स्वीकार कर लिया है।

(ख) देश में कृषि ट्रैक्टरों के कारखाने से निकलते समय का अधिकतम बिक्री मूल्य जून, 1968 में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित मूल्यों के अन्दर-अन्दर निर्माताओं को अपने विक्रेताओं को देने वाले कमीशन में समंजन करने की स्वतन्त्रता है।

(ग) मैसर्स ऐस्कोर्ट्स से प्राप्त ऐसे किसी भी अध्यावेदन का अभिलेख कि विक्रेता का काम कम से कम 1,800 रु० से चल सकता है, प्रशुल्क आयोग के पास उपलब्ध नहीं है।

त्रिपुरा के आदिवासियों में शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं

4608. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में त्रिपुरा के आदिवासियों में शिक्षा के विकास के लिए, बनाई गई किन्हीं योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय त्रिपुरा के आदिवासियों तथा अन्य व्यक्तियों को तथा सभी व्यक्तियों की साक्षरता से सम्बन्धित आंकड़े क्या हैं तथा इन आंकड़ों की सम्पूर्ण देश के लिए सम्बन्धित आंकड़ों के साथ क्या तुलना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) त्रिपुरा के आदिवासियों में शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित योजनाओं को 1970-71 में कार्यन्वित किया जा रहा है :—

1. पहली तथा दूसरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें।
2. तीसरी से पांचवी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुस्तक अनुदान।
3. छठी से आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुस्तक अनुदान।
4. तीसरी से आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली आदिवासी लड़कियों के लिए वस्त्र।
5. स्कुल भवनों की मुरम्मत के लिए प्राथमिक स्कूलों को अनुदान।
6. सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों को छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान।

7. लोक कलाओं का पुनर-द्धार ।

8. आदिम जातीय भाषाओं को सीखने के लिए पुरस्कार ।

9. छात्रावास वजीफे ।

10. बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए परीक्षा फीसों का प्रतिपूर्ति ।

11. मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां ।

12. लड़कियों के होस्टल ।

(घ) 1961 **की जनगणना के अनुसार साभरता दर**

	सामान्य	अनुसूचित आदिम जातियां
(1) अखिल भारतीय	24.00	8.54
(2) त्रिपुरा	25.20	10.01

नेपन सम्बन्धित आँकड़े शामिल नहीं हैं ।

त्रिपुरा की जनता की कठिनाइयां

4609. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक पत्र, जो 15 नवम्बर, 1970 के 'त्रिपुरा टाइम्स' से प्रकाशित हुआ था, कि ओर दिलाया गया है जिसमें त्रिपुरा की जनता की कुछ माँगें बताई गई हैं जिनमें (एक) अगरतला में टिकट बांटने तथा स्थान सुरक्षित कराने के कार्यालय की स्थापना, (दो) त्रिपुरा के लोगों को, विशेषकर ग्रीष्मकाल तथा पूजा के दिनों में, किराये में छूट देना और (तीन) त्रिपुरा की जनता को, रेलवे में उचित प्रतिनिधित्व देना, भी सम्मिलित हैं; और

(ख) त्रिपुरा की जनता की इन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) 15 नवम्बर, 1970 के त्रिपुरा टाइम्स में प्रकाशित पत्र में उल्लिखित मांगों के ब्योरों का पता लगाया जा रहा है । इनकी जांच की जायेगी और निष्कर्षों को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

Compensation Paid to the Families of Travelling Ticket Inspectors Killed during drive against Ticketless Travellers

*4610. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Ram Singh Agarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Travelling Ticket Inspectors killed and injured during the last two years in the drive against ticketless travellers; and

(b) the amount of compensation paid by Government to their families during the above period ?

Minister for Railways : (Shri Nanda) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Railway accidents on Western Railway

*4611. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway accidents on the Western Railway during the last five months ;

(b) the loss of railway property as a result of these accidents ; and

(c) the number of persons killed and also of those injured as a result there of ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1-7-70 to 30-11-70 there were 56 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Western Railway.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 2,55,500/-.

(c) In these accidents one person was killed and two sustained injuries.

Non-Payment of Overtime Allowance to Guards of Western Railway in Time

*4612. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Guards on the Western Railway are not paid overtime allowance in time; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to remedy the situation in this regard ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (b) Normally, there is no delay in arranging payment of overtime allowance. However, sometimes on account of delayed submission of overtime vouchers by the subordinate units or the information submitted being incomplete or incorrect, some delay takes place. In any case, efforts continue to be made to arrange timely payment of overtime.

इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक कारखानों में इस्पात की कमी

4613. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की भारी कमी है जिससे कई इंजीनियरिंग तथा अन्य औद्योगिक कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या नवम्बर, 1970 के आरम्भ में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बम्बई माल-गोदाम में लगभग 15,000 मीट्रिक टन, जिसमें 4,000 मीट्रिक टन आयातित सी० आर० सी० ए० चादरें सम्मिलित हैं, माल था;

(ग) क्या इण्डियन आयरन और टाटा आयरन के बम्बई स्टाकयार्डों में भी क्रमश: लगभग 7,000 तथा 3,500 मीट्रिक टन माल था;

(घ) यदि हां, तो देश में इस्पात की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्पात के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार अधिक उत्पादों के वितरण पर नियंत्रण न लगाने के बारे में भी विचार कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के बम्बई मालगोदाम में नवम्बर 1970 में इस्पात के सामान के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

(टन)

संवरण स्कन्ध	कच्चा लोहा	इस्पात का दूसरा सामान	मिश्र-इस्पात का सामान	आयातित सामान		
				प्लेटें	चादरें	कुण्डल
1-11-1970	3,535	4,272	138	1,533	3,981	1,543
15-11-1970	2,583	6,238	391	1,160	3,981	1,386
30-11-1970	1,952	7,169	403	809	3,931	1,338

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) : सभी प्रकार के इस्पात की वर्तमान कमी को देखते हुए इस्पात की वितरण नीति में सुधार किया गया है तथा इसे सुप्रवाही बनाया गया है। इस्पात का संभरण अधिकतया इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किये गये आवण्टन के अनुसार किया जाता है जिससे वितरण में सन्तुलन बना रहे ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात का आयात

4614. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने वर्ष 1970-71 में अब तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया है तथा वर्ष के शेष महीनों में मुख्य श्रेणियों के अनुसार कितना आयात किया जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अप्रैल, 1970 से नवम्बर, 1970 की अवधि में आयात किये गये इस्पात की मात्रा और मूल्य इस प्रकार है :—

ठण्डी बेलित्त चादरें	14,556	(मीट्रिक टन)
ठण्डे बेलित्त क्वायल्स	3,459	"
प्लेटें	12,701	"

ऊपरलिखित आयात का मूल्य लगभग 4.78 करोड़ रुपये है। 1970-71 के बाकी महीनों में हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा 129,065 टन इस्पात का आयात करने की संभावना है जिसका मूल्य 16.31 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रिफ्रेक्टरों की सप्लाई

4615. **श्री केदार नाथ सिंह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रिफ्रेक्टरों की सप्लाई में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी देरी हुई तथा इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस, कारखाने को देशीय संसाधनों के अन्य उपकरणों की सप्लाई में भी देरी हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(घ) देशीय संसाधनों से इन सभी वस्तुओं की सप्लाई में देरी होने से इस कारखाने के पूरा होने पर कुल कितना प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्द शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी, हां। कारखाने की तीन धमन भट्ठियों और चार कोक भट्ठियों के लिए लगभग 148,000 टन ताप सह ईंटों की आवश्यकता थी जबकि नवम्बर, 1970 के अन्त तक 64730 टन ताप सह ईंटें ही प्राप्त हुई थीं और इस प्रकार देशीय निर्माताओं ने ठेके की शर्तों के अनुसार 23,800 टन ताप सह ईंटें कम सप्लाई की थीं। 148,000 टन में से लगभग 43,100 टन ताप सह ईंटें सोवियत रूस से आयात की जा रही है और सोवियत रूस से इन की सप्लाई में कोई कमी नहीं रही है। देशीय आपूर्ति में विलम्ब के कई कारण हैं जैसे वित्तीय कठिनाइयां, क्षमता से अधिक आर्डर बुक करना, दूसरे खरीददारों से अधिक मूल्य पर माल खरीदने की पेशकशें, बोकारो इस्पात कारखाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक कड़ी विशिष्टियों और हाई एल्यूमिना ब्रिक्स जैसी कुछ विशेष प्रकार की ईंटों के निर्माण के बारे में तकनीकी जानकारी के विकास की समस्यायें।

(ग) देशीय स्त्रोतों से संयंत्र और उपकरण तथा इस्पात के ढांचों की आपूर्ति में भी विलम्ब हुआ है। अक्तूबर 1970 के अन्त में स्थिति इस प्रकार थी :

(टन)

सम्भारक का नाम	आर्डर की पूरी मात्रा	कार्यक्रम के अनुसार डिलीवरी	वास्तविक आपूर्ति
उपकरण			
भारी इंजीनियरी निगम	72,234	42,265	16,755
खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम	10,493	8,272	1,676
सरकारी क्षेत्र के अन्य सम्भारक	9,072	—	4,693
निजि क्षेत्र	79,936	27,130	11,422
संरचनात्मक			
हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कैंस्ट्रक्शन लि०	149,884	98,001	59,887
भारी इंजीनियरी निगम	26,656	—	23,996
निजी क्षेत्र	42,849	24,751	6,532

(घ) डिलीवरी में तेजी लाने और निर्माण कार्यक्रम को सुप्रवाही बनाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा हो सके जिसके अनुसार प्रथम धमन भट्ठी समूह को दिसम्बर 1971 तक और 17 लाख टन इस्पात पिण्ड वार्षिक क्षमता के सम्पूर्ण प्रथम चरण को मार्च 1973 तक पूरा होना है ।

दिल्ली में रिंग रेलवे पर स्थानीय रेलगाड़ियों में वृद्धि

4616. **श्री बलराज मधोक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिंग रेलवे पर स्थानीय रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उसके विद्युतीकरण के लिये कोई योजना बनाई गई है ताकि दिल्ली में परिवहन की स्थिति को सुविधाजनक बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : दिल्ली के लिए किसी 'रिंग रेलवे' की व्यवस्था नहीं की गयी है । सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय दिल्ली की 'दिल्ली परिहार लाइन' से है जिसका मुख्य आशय माल यातायात को सुप्रवाही बनाना है । इस लाइन के किसी माप पर पहले से चलने वाली गाड़ियों के अलावा कोई सवारी गाड़ी चलाना न तो यातायात को देखते हुए औचित्यपूर्ण है और न ही परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ऐसा करना व्यावहारिक है । दिल्ली में 'दिल्ली परिहार लाइन' पर बिजली कर्षण से सवारी गाड़ियां चलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Insufficient space in goods shed and platforms of Allahabad station

*4617. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the godown shed and platforms at Allahabad Railway station are very small causing inconvenience in loading and unloading of goods; and

(b) whether Government have received any request for bringing about improvements in the godown and parcel office at the said railway station ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No. The space in the godown shed and the platform at Allahabad Railway station is sufficient to deal with normal traffic.

(b) Yes. The proposals received are under examination.

Auction of Railway land near Phaphamau Station

4618. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the railway land near Phaphamau station of Allahabad has been auctioned;

(b) whether the different plots carved out of the said land were auctioned to the farmers at different rates; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : **(a) & (b).** Four plots of surplus railway land (A, B, C & D) were auctioned in October, 1969 and plots A and B were licensed to the highest bidder for Rs. 30,151/- and Rs. 7,000.75 per annum respectively, while there was no response for plots C and D. The licences for A and B were, however, rescinded due to failure on the part of licencees to deposit the security amount. In the case of plot A, the licensee has also gone to court and brought out an injunction. Thereafter auctions for plots B, C and D were conducted. The offers were received only for plot B which also has not been accepted as the bid was too low.

(c) The rates quoted in the open auction were offered by the bidders keeping in view the difference in agricultural potentialities and other facilities available and the Railway Administration only accepted the highest bid tendered.

Number of Houses Constructed for Harijans in Madhya Pradesh

4619. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the number of houses constructed by Government for Harijans and other landless people in Madhya Pradesh is quite negligible as compared to that of other States;

(b) if so, the number of houses proposed to be constructed by Government for Harijans and the landless people in Madhya Pradesh during the current financial year and during the Fourth Five Year Plan period and the progress made in this direction so far; and

(c) whether Government have formulated any scheme in this regard at the block level ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c) : The details are being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

कोरोड (केरल) में ऊपरी पुल

4620. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोरोड में ऊपरी पुल के निर्माण हेतु केरल में बड़ागरा नगर परिषद से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : **(क) और (ख)** : चिरोड में एक ऊपरी पुल बनाने के बारे में बड़ागरा म्युनिसिपल कांउसिल से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी, केरल राज्य सरकार से, चौथी योजना की अवधि में, बड़ागरा और नादपुरम रोड़ स्टेशनों के बीच 713/10-11 किलो मीटर पर वर्तमान समपार के बदले चिरोड में एक सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में एक अस्थायी प्रस्ताव मिला है। लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को निम्न प्राथमिकता प्रदान की है जैसे और जब राज्य सरकार अपने हिस्से की लागत को उठाने के लिए आवश्यक निधि का आवंटन कर देती है और वह पुल के पहुंच मार्गों पर काम करने की स्थिति में होती है, रेलवे पुल का ढांचा बनाने के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में रेलवे लाइनें बिछाना

4621. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में नई बड़ी तथा मीटर गेज की लाइनें बिछाने के यदि कोई प्रस्ताव हैं तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) इसके अनुसरण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : **(क) और (ख)** : रेलों का विकास किसी राज्यवार या क्षेत्रवार अवधारण के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि राष्ट्र हित में समग्र विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया। किंतु इस समय एरणाकुलम-कोल्लम-तिस्वर्नंतपुरम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने और कन्याकुमारी के रास्ते तिस्वर्नंतपुरम से तिरनेलवेली तक एक नयी लाइन बनाने के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इन परियोजनाओं के बारे में, जांच पूरी हो जाने के बाद, विनिश्चय किया जायेगा। एलप्पी के रास्ते एरणाकुलम से कायनकुलम तक तटीय बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है।

Pay scales of employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

4622. **Shri Chandrika Prasad :** Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether all the rules and regulations, pay scales and allowances applicable to the employees of the Khadi and Village Industries Commission are also applicable to the employees of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi being run under the auspices of the said Commission; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) No, Sir.

The Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, unlike the regular establishment is part of commercial activity directly undertaken by the KVI Commission and therefore, the pay etc. of its staff are generally guided by commercial considerations.

Outstanding Amount Against Delhi Charkha Mandal

4623. **Shri Chandrika Prasad :** Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Rs. 30,000 of Khadi and Village Industries Commission and Rs. 18,000 of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi are outstanding against 'Delhi Charkha Mandal' ; and

(b) if so, the action being taken by Government to recover the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) & (b) : Information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

बैरल स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड-मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई

4624. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के बारे में 18 अगस्त 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3068 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के रिकार्ड को सरकारी कार्यालयों में कितने वर्षों तक रखा जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : रिकार्ड रखने की अवधि के बारे में कार्यालय पद्धति में सामान्य अनुदेश दे दिये गये हैं। फिर भी, इस विशेष मामले में स्थिति को सुनिश्चय किया जा रहा है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को इस्पात की चादरों का दिया जाना

4625. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई को इस्पात की चादरों के बारे में 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त जानकारी को कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग) : अब तक सुनिश्चत की गई जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(1) 1959-60 से 1969-70 तक तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा क्रमश: तेल के पीपे और छोटे ढोल बनाने के लिए 18 गेज की 47006.75 मी० टन इस्पात की चादरों और 24 गेज की 1102.62 मी० टन इस्पात की चादरों का कुल आवंटन किया गया। इसके अलावा लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा जनवरी, 1964 में उन्हें पुन: पूर्ति कोटे के रूप में 9.625 मी० टन का कोटा प्रमाण पत्र भी दिया गया।

(2) 1959 के बाद तकनीकी विकास महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी को तेल के पीपों और छोटे ढोल बनाने के लिए दिए गये आयात लाइसेंस सम्बन्धी जानकारी अनुबन्ध 1 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4575/70]।

(3) स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल रिफायनरी कम्पनी से विटूमन ड्रमों के उत्पादन के लिए 1959 के बाद प्राप्त इस्पात की चादरों के बारे में जानकारी अनुबन्ध 2 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4575/70]।

(4) भारतीय तेल निगम (इण्डियन आयल कारपोरेशन) द्वारा तेल के पीपे बनाने के लिए उनके खाते में मिली इस्पात चादरों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

1966-67	3533.04 मी० टन
1967-68	1517.789 ,,
1968-69	3856.256 ,,
1969-70	कुछ नहीं

(5) कम्पनी को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त इस्पात चद्दरों सम्बन्धी विवरण अनुबन्ध 3 में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4575/70]

पठानकोट-जोगिन्दर नगर (उत्तर रेलवे) के रेलवे इन्जनों का जीवन काल

4626. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन पर चल रहे रेलवे इंजनों को किस वर्ष में खरीदा गया था;

(ख) निर्माताओं के अनुसार इसका जीवन काल कितना है; और

(ग) इसके स्थान पर नये इन्जन चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भाप इंजनों का कूट काल 40 वर्ष है लेकिन इंजनों की आयु एवं हालत के आधार पर अनुपयोगी घोषित किया जाता है। छोटी लाइनों के इंजनों का उपयोग अधिक नहीं होता जितना बड़ी और मीटर लाइनों के इंजनों का उपयोग हो रहा है और इसलिए उनका आर्थिक काल उनके कूट काल से अधिक होता है।

(ग) छोटी लाइन के इंजनों का पुनःस्थापन चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है।

विवरण

इंजनों की किस्म	लाइन पर संख्या	जिस वर्ष सेवा में लिया गया
जैड ई	2	1928-29
	9	1930-31
	2	1931-32
	2	1951-52
	2	1953-54
	2	1954-55
	2	1955-56
जोड़	21	
जैड एफ	4	1935-36
जैड एफ 1	5	1955-56
के-2	1	1904-05

लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का नियतन

4627. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक वर्षवार लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के लिये कच्चे माल का राज्यवार कितना-कितना कोटा नियत किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : लघु उद्योगों सम्बन्धी जानकारी अनुबन्ध 1 से 11 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4576/70]। वर्ष 1970-71 के लिये इस्पात का दुर्लभ वस्तु के आबंटन को इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय द्वारा 22 मई, 1970 को घोषित इस्पात के विवरण की नई नीति के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है। लघु उद्योग एकक इस्पात के लिए संयुक्त संयंत्र समिति को क्रयादेश देने में स्वतन्त्र है।

दरम्याने टर्न के उद्योगों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते क्योंकि उन्हें कच्चे माल का आवंटन सीधे ही किया जाता है न कि राज्यों के उद्योगों निदेशकों के माध्यम से जैसे कि लघु उद्योगों के बारे में किया जाता है ।

बालीगंज में रेलवे दुर्घटना

4628. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बालीगंज के निकट हाल ही में एक गम्भीर दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग): सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय 17-11-1970 को बालीगंज स्टेशन पर सियालदह-डायमेड हार्बर लोकल गाड़ी नं० 122 के पटरी से उतर जाने से है। उस दिन यह गाड़ी नं० एस० जी० 35 अप बज-बज लोकल से मेल लेने की प्रतीक्षा कर रही थी । प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में था। अचानक गाड़ी चलने लगी और कुछ गज़ आगे जाने के बाद 4 अगले बिजली चालित सवारी डिब्बे लूप लाइन के ट्रेप पाइंट पर पटरी से उतर गये ।

(ख) दुर्घटना के कारण के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है । फिर भी, प्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होता है कि कुछ बदमाशों द्वारा ड्राइवर को बेकाबू कर इंजन चला दिये जाने के कारण यह दुर्घटना हुई ।

विकलांग लोगों को कृत्रिम अंगों तथा उनके द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों की मुफ्त सप्लाई

4629. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य ने यह नियम बनाये हैं तथा इस सम्बन्ध में आदेश दिया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों के जो आय-कर नहीं देते हैं, (गरीब) बनावटी अंगों को मुफ्त लगाया जायेगा तथा उन्हें इनकी तथा विकलांग चिकित्सा उपकरणों की राज्य की लागत पर मुफ्त सप्लाई की जायेगी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में गरीब विकलांग व्यक्तियों को इसी प्रकार की सुविधा देने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार के निदेश जारी करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) सभी संघ राज्य-क्षेत्रों पर लागू होने वाला कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) यह राज्य विषय होने के कारण भारत सरकार के लिए इस सम्बन्ध में सभी राज्यों को निदेश जारी करना सम्भव नहीं होगा।

पुरुलिया से कोटशिला (दक्षिण पूर्व तक रेलवे) बड़ी रेलवे लाइन

4630. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन की पुरुलिया कोटशिला रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिया जायेगा; और

(ग) इस कार्य की अनुमानित लागत क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : अलाभकर शाखा लाइन समिति, 1969, की सिफारिशों के आधार पर पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए विस्तृत यातायात सर्वेक्षण किया गया है। इस बदलाव के सम्बन्ध में निर्णय सर्वेक्षण के पूरा होने और उसके परिणाम पता चलने पर लिया जायेगा।

सिगरेटों का उत्पादन कर रही कम्पनियां

4631. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन स्वदेशी फर्मों तथा/अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सिगरेट उत्पादन का कार्य आरम्भ किया था तथा जिन्हें गत 30 वर्षों में यह कार्य न करने के लिये विवश होना पड़ा;

(ख) उन्होंने कितनी पूंजी लगाई थी; और

(ग) उनकी विफलता के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क). निम्नलिखित 2 सिगरेट कम्पनियों के बन्द होने की सूचना थी :

1. मै० हिंद टुबैको कं० लि०, हैदराबाद ।

2. मै० यूनियन टुबैको कम्पनी, कलकत्ता ।

(ख) और (ग) : सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी-तेन्नेवेली रेलवे लाईन के बारे में सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन

4632. **श्री पी० विश्यम्भरन** : क्या रेलवे मंत्री तह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी तेन्नेवेली रेलेवे लाइनों के बारे में सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया और यदि हां, तो प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) सरकार का विचार रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य कब आरम्भ करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : **(क) और (ख)** : जी हां । सर्वेक्षण रिपोर्ट इस समय रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं; इन रिपर्टों पर विचार हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

Suggestions for change in route of passenger trains ru nning between Rae Bareli and Kanpur

4633. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some suggestions have been received in the past by the Government to divert the routes of the passenger trains running between Rae Bareli and

Kanpur via Unchahar and Dalmau and to run it from Rae Bareli to Daryaganj and from there direct to Dalmau via Ubanti;

(b) if so, the reasons for not fulfilling this important public demand so far; and

(c) whether Government would fulfil the public demand by running Rae-Bareli-Kanpur passenger train direct through Dalmau after reopening the Railway line from Daryaganj to Dalmau which had been dismantled during war time ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) : Representations have been received for providing a shorter connection between Rae Bareli and Kanpur by re-storing the Dalmau-Daryapur dismantled line. The restoration of this line was considered from time to time in the past but was not found justified.

Passengers beaten up by dacoits at Jhinjhak railway station—Uttar Pradesh.

4634. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Rillways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some days back, some passengers were beaten up and deprived of their luggage etc. by the dacoits at the Jhinjhak Railway Station in Uttar Pradesh:

(b) whether the said dacoits have been apprehended by the police and this case is being looked into by the G.R.P. Kanpur; and

(c) if so the reason for which the delay is being caused by the G.R.P., Kanpur in registering a case of dacoity against the said dacoits ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) : A complainant lodged a report at Police Station Bhognipur, district Kanpur on 12.11.1970, wherein he alleged that he and his companion were beaten by 9 persons and deprived of his cycle, cash Rs. 500/ and other articles on 11.11.1970 at Railway station Jhinjhak. On receipt of papers from the District Police, a case was registered under section 395/397 I.P.C. by Government Railway Police, Kanpur on 13.11.1970 which on investigation was found to be of 'marpit' and not a case of dacoity. Government Railway Police, Kanpur have altered the sections of the case to 147/323 I.P.C./120 Railway Act on 18.11.1970 and are investigating it.

ब्रिटिश रेलवे की पद्धति पर पार्सल सेवा चालू करना

4635. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात में प्रादेशिक परिवहन अधिकरण की मांग को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का विचार कन्टेनर सेवा का शीघ्रता से विस्तार करने

तथा छोटे पेक्टों को कम से कम रेल लाइन के निकट रहने वाले उपभोक्ताओं से लेने तथा देने के लिए ब्रिटिश रेलवे की पद्धति पर एक पार्सल सेवा चालू करने का भी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) : जी नहीं। सवाल नहीं उठता, क्योंकि प्रादेशिक प्राधिकारी परिवहन परिचालक नहीं हैं और कंटेनर और पार्सल का विस्तार केवल रेल यातायात को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं, रेलों के अधीन नहीं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कलकत्ता स्टाकयार्ड के कार्यालय से इस्पात के वितरण की नई प्रक्रिया

4636. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कलकत्ता स्टाकयार्ड के कार्यालय से इस्पात के वितरण की नई प्रक्रिया बनाई गई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) **और (ख)** : संयुक्त संयंत्र समिति कलकत्ता ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कलकत्ता के माल गोदाम सहित सभी मुख्य उत्पादकों के माल गोदामों से इस्पात के सामान के वितरण की एक जैसी प्रणाली बनाई है। माल गोदामों से वितरण की नई प्रणाली की, जो पहली नवम्बर, 1970 से लागू हो चुकी है, मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(क) माल गोदामों में प्राप्त बढ़िया किस्म के सामान का 20 प्रतिशत भाग केवल छोटे उद्योगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जो राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा आवंटित किया जाएगा !

(ख) माल गोदामों से प्राप्त छड़, गोल छड़ और हल्के संरचनात्मकों का 30 प्रतिशत भाग उन लोगों के लिए रखा जाएगा जिनको मकान आदि बनाने के लिए इस्पात चाहिए।

(ग) शेष बढ़िया सामान सरकार की तथा दूसरी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जिसमें से कुछ भाग व्यापारियों के लिए भी होगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन का विदेश-दौरा

4637. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन ने चालू वर्ष में कई देशों का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो इन दौरों का क्या उद्देश्य था; और

(ग) उन्होंने चालू वर्ष में किन-किन देशों का दौरा किया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) **और** (ग) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष चालू वर्ष में दो बार व्यापार कार्य से विदेश गये एक बार जुलाई 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय लोहा और इस्पात संस्थान की निष्पादक समिति की बैठक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए स्वीडन तथा दूसरी बार अक्टूबर 1970 में संस्थान की चौथी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए फ्रान्स। इस मौके का फायदा उठा कर वे कंपनी के विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में यू० के०, बेल्जियम, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रिया, सोवियत रूस, पोलैंड और अमेरिका भी गये। इन देशों के दौरे में उन्होंने जिन विषयों पर बात-चीत की वे इस प्रकार है : दुर्गापुर में विदेशी प्रविधिज्ञों की प्रतिनियुक्ति और भारतीय प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण, इस्पात का आयात, इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास, जोड़ रहित ट्यूब का निर्माण, राउरकेला इस्पात कारखाने की तकनीकी और संधारण सम्बन्धी समस्यायें, इस्पात के उत्पादन और लगातार ढलाई की प्रक्रिया के लिये आधारभूत आक्सीजन संयंत्र का रुपाँकन और संविरचन, इस्पात कारखाने की महत्वपूर्ण इकाईयों के रुपांकन और परियोजना इंजीनियरी में तकनीकी सहयोग के संबंध में त्याजप्रोमेक्सपोर्ते के साथ हुए समझौते का कार्यान्वयन, इस्पात कारखानों की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए संगणक

का प्रयोग, ग्रेन-ओरियन्टेड विद्युत चादरों का निर्माण, पिट्स वर्ग की यूनाइटेड इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री कंपनी के साथ हुए करार के अनुसार रौलिंग मिल के उपकरणों में निर्माण, आदि ।

सहायक स्टेशन मास्टरों की स्टेशन मास्टरों के पद पर उसी वेतनमान में पदोन्नति

4638. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के ऊंचे ग्रेड के पदों की कम प्रतिशतता के बारे में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 130-240 रुपये के ग्रेड के कितने सहायक स्टेशन मास्टरों को 205-250 रुपये के ग्रेड में स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 205-250 रुपये के ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टरों को इसी ग्रेड में स्टेशन मास्टर पदोन्नत किया जाता है ;

(ग) क्या इस प्रकार की पदोन्नति अन्य वर्गों तथा विभागों में भी विद्यमान है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की पदोन्नति से उनको क्या आर्थिक लाभ होता है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्धारित खण्डों से अधिक समय तक काम करने के लिये स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ता (उत्तर रेलवे)

4639. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे तथा अन्य रेलों में स्टेशन मास्टरों के काम के घंटे 9-00 17.30 तक हैं ।

(ख) क्या वे उन स्थानों पर जहाँ माल कल्कों की नियुक्ति नहीं की जाती वहां माल तथा माल के चढ़ाने तथा उतारने के बारे में 6.00 से 9.00 तथा 17.30 से 1.00 तक देखभाल करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें निर्धारित घंटों से अतिरिक्त घंटे काम करने के लिये समयोपरि भत्ता दिया जाता है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या स्टेशन मास्टरों के लिये उक्त कार्य करना अनिवार्य है और उक्त कार्य को ड्यूटि रोस्टर में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जिन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को रात में कम दिखाई देता है, उन्हें निम्न वर्ग में (दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे) लगाया जाना

4640 **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे के अनेक स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को जिनको रात को कम दिखाई देता है निम्न वर्ग में लगाया गया है ;

(ख) प्रशासन द्वारा उनको उसी वर्ग में नौकरी न देने के क्या कारण हैं क्योंकि कर्मचारियों की शक्ति और स्वास्थ्य में कमी रेलवे सेवा में रहते हुए होती है ; और

(ग) उस वर्ग में तत्पश्चात् स्थान रिक्त होने पर भी उक्त कर्मचारियों को नहीं लगाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को अधिक वेतनमान

4641. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डीवीजन के जंक्शनों पर एक ही समय दो प्रकार के स्टेशन मास्टर काम कर रहे हैं एक 205-250 रुपये के वेतनमान में ट्रेनडिस्पेचर के रूप में काम करता है जिसकी, ऐसी रेलगाड़ियों के संचालन में जिनकी दुर्घटना होने की अधिक सम्भावना है अधिक जिम्मेवारी है और दूसरा सहायक स्टेशन मास्टर जो 250-350 रुपये वेतनमान पर बाहरी सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में काम करता है और जिसकी जिम्मेवारी बहुत कम है ;

(ख) क्या उक्त वेतनमानों और जिम्मेवारियों का परस्पर सम्बन्ध नहीं है और वे ध्यानपूर्वक किये गये कार्य विश्लेषण के बाद निर्धारित की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो ट्रेन डिस्पेचर की तुलना में बाहरी सहायक स्टेशन मास्टर को अधिक वेतन मान देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के जंक्शन स्टेशनों पर 205-280 रु० और 250-380 रु० के अधिकृत वेतनमानों में (205-250 रु० और 250-350 रु० के पदक्रमों में नहीं जैसा कि कहा गया हैं) दो प्रकार के सहायक स्टेशन मास्टर हैं। यह कहना सही नहीं है कि 205-280 रु0 के अधिकृत वेतनमान में रहने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों अर्थात ट्रेन डिस्पैचरों की अपेक्षा 250-380 रु० के अधिकृत पदक्रम में रहने वाले बाहरी सहायक स्टेशन मास्टरों की जिमेदारियां बहुत कम हैं। उनकी ड्यूटी का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है और इसलिए उनकी जिम्मेदारियों की तुलना नहीं की जा सकती। सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पदक्रम नियत किये गये हैं।

(ख) पदक्रमों और जिम्मेदारियां का परस्पर सम्बन्ध है और वे कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि के कर्त्तव्यों के स्वरूप तथा जिम्मेदारियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निर्धारित की जाती है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में टक्कर होने तथा टक्कर से बचाने के लिए जिम्मेदार ठहराये गये ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर तथा गार्ड

4642. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मेल, एक्सप्रेस, यात्री तथा माल रेलगाड़ियों में टक्कर होने तथा टक्कर से बचाने के लिये कितने ड्राइवरों, स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा गार्डों को जिम्मेदार ठहराया गया।

(ख) उनमें से किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व अपेक्षतया कम तथा अधिक है;

(ग) क्या उनको मिलने वाला वेतन उनके उतरदायित्व के अनुकूल है और

(घ) प्रत्येक ग्रेड में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का (परिचालन भत्तों सहित) कुल वेतन कितना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जहां तक स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का सम्बन्ध है, सहायक स्टेशन मास्टरों की अपेक्षा स्टेशन मास्टरों का उत्तरदायित्व अधिक है। चूंकि स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, ड्राइवरों और गार्डों की ड्यूटी और उनके उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं, इसलिए दुर्घटनाओं के कारण के संदर्भ में यह तुलना करना ठीक नहीं है कि किस का उत्तरदायित्व अधिक है और किस का कम।

(ग) इन कर्मचारियों को आबंटित वेतन-मान वहीं हैं जिनके लिए दूसरे वेतन आयोग ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट रूप से सिफारिश की थी। 1964 में, बढ़े हुए यातायात के संदर्भ में बढ़े हुए उत्तरदायित्वों को देखते हुए, सहायक स्टेशन मास्टरों पर लागू 130-225 रुपये के वेतन मान को संशोधित करके 130-240 रुपये कर दिया गया जिसमें शुरू में कम से कम 150 रुपये दिये जाते हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पदनाम	मान	ग्रेड में माध्य वेतन	उस पर लागू महंगाई भत्ता	प्रति मास औसतन ट्रेनिंग भत्ता	जोड़
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
स्टेशन मास्टर	450-575	512.5	150.5	—	663
,, ,,	370-475	422.5	160	—	582.5
स्टेशन मास्टर/ सहायक स्टेशन मास्टर	335-425	380	146	—	526
,, ,,	25.0380	315	146	—	461
,, ,,	205-280	242.5	146	—	388.5
सहायक स्टेशन मास्टर	130-240 (शुरू में कम से कम 150 रुपये)	195	122	—	317
ड्राइवर ग्रेड 'ए'	335-425	380	146	324	850
ड्राइवर ग्रेड 'बी'	210-380	295	146	214	655
ड्राइवर ग्रेड 'सी'	150-240	195	122	180	497
गार्ड ग्रेड 'ए'	205-280	242.5	146	247	635.5
गार्ड ग्रेड 'बी'	150-240	195	122	170	487
गार्ड ग्रेड 'सी'	130-225	177.5	122	155	454.5

Doubling of Railway line between Gwalior and Jhansi and construction of Railway line between Gwalior and Ujjain.

4643. **Shri Atam Das :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work relating to the construction of the double Railway line between Gwalior and Jhansi in Madhya Pradesh has since been completed ;

(b) if not, the reasons for the delay and the time by which this work is likely to be completed;

(c) whether the work relating to the construction of Gwalior-Ujjain Railway line is in progress;

(d) if so, the time by which it would be completed ; and

(e) if the construction work has been stopped, the reasons therefor and the time by which the work is likely to be started again ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) & (b) : Of the 97 K.M. line between Gwalior and Jhansi, double line is available to the extent of 52 K.M. Work on the remaining portion is in progress and is expected to be completed by 1971. There is no delay in completing the work.

(c) No, Sir.

(d) & (e) : Do not arise.

If however, the reference is to the Guna-Maksi line, it may be mentioned that, the work on this is in progress and is expected to be completed in 1972.

Broad-Gauge line between Gwalior and Bhind Districts.

4644. **Shri Atam Das :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration a proposal to construct a broad-gauge line between Gwalior and Bhind Districts of Madhya Pradesh ; and

(b) if so the time by which this proposal is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a). No.

(b) Does not arise.

More Stations on Bhind-Gwalior Narrow-gauge Line.

4645. **Shri Atam Das :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up two more Railways Stations on the Bhind-Gwalior narrow-gauge line ; and

(b) if so, the time by which these new stations are proposed to be set up ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a). No.

(b) Does not arise.

Waiting Room at Soni Railway Station (Central Railway).

4646. **Shri Atam Das :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to construct a waiting-room at Soni Railway Station ; and

(b) if so, the time by which the proposed waiting-room is likely to be set up ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a). No.

(b) Does not arise.

Issue of licences for setting up of new industries in Madhya Pradesh.

4647. **Shri Atam Das :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether licences for setting up new industries have been issued in Madhya Pradesh during the year 1969-70;

(b) if so, the number of licences out of them granted for Gwalior ; and

(c) whether any investigations have been made against those persons who have been granted licences for setting up industries in Gwalior, but have not made any progress in this direction ; if so, the results thereof ?

The Deputy Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : Information relating to industrial licences is maintained on calender-year basis. During 1969 and 1970 (upto August), 2 licences were issued under the Industries (Development & Regulation) Act, 1961, for setting up of new industrial undertakings in Madhya Pradesh. Besides, 5 letters of intent were also issued during the said period for setting up of new industrial undertakings in that State.

(b) No licence has been issued for setting up new industrial undertakings in Gwalior. However one letter of intent has been issued for the purpose.

(c) Does not arise.

Rail link between Jhalawar Road and Jhalawar City (Western Railway).

4648. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct rail line on the 16 mile route between Jhalawar Road and Jhalawar City during the current plan or the next plan ;

(b) whether it is a fact that due to the absence of this rail line, the Jhalawar District has been economically backward ; and

(c) if so, whether his Ministry would give priority to the backward district for laying new railway lines ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) The Railways are not aware of any handicap in the development of this region due to non-provision of this line.

(c) In view of the difficult financial position of the Railways, the question of constructing new railway lines in the backward areas of the country will have to await better times for consideration.

लघु उद्योग क्षेत्र में हैरो तथा हलों का निर्माण

4649. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में हैरो तथा हलों के निर्माण हेतु लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित किये गये उद्योगों के नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में इंजीनियर उद्यमियों द्वारा स्थापित किये गये उद्योगों के नाम क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा हैरो तथा हलों की बिक्री में सहायता देने हेतु इंजीनियर उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इन उद्यमियों को अपने उद्योगों को स्थिर करने के लिये क्या प्रोत्साहन तथा सुविधायें दी जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) उपलब्ध जानकारी अनुबंध में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4577/70]

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) : कृषि उपकरण निर्माताओं को कोई विशिष्ट प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है केवल कृषि डिस्कों के लिए ही प्रोत्साहन मिलता है। इस उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग माना गया है। अतएवं आयात तथा कच्चे माल के देशी कोटे में उन्हें प्राथमिकता मिलती है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ऋण का भुगतान

4650. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड पर इस समय सरकारी विभाग तथा गैर-सरकारी फर्मों के ऋण की राशि अलग-अलग क्या है, और

(ख) उनका भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डियन) लि० के सरकारी विभागों तथा प्राइवेट पार्टियों पर 30 सितम्बर, 1970 तक कर्ज इस प्रकार है ।

(i) सरकारी विभाग	7,430,13 लाख रु०
(ii) प्राइवेट पार्टियां	1,715.45 लाख रु०

(ख) ज्यों ही कर्ज देय होते हैं उनकी अदायगी सरकार से ऋण लेकर तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में उपलब्ध ऋण सुविधाओं से की जा रही है ।

Medium of Instruction in Railway Training Centres.

4651. **Shri Om Parkash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway training Centres and the locations thereof;

(b) the number out of them where arrangements have been made to impart training both in English and Hindi in accordance with the bilingual formula of Government;

(c) the number of such training Centres out of them where training is imparted through English medium only;

(d) the time by which Government propose to make arrangement to impart training in both the languages in all the centres ; and

(e) if no such arrangements are proposed to be made, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (e) : Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Construction of overbridge on road crossings from Moradabad to Chandausi, Sambhal Hatim Sarai and Aligarh.

4652. **Shri Om Parkash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct an overbridge on the crossing of road going from Moradabad to Chandausi, Sambhal Hatim Sarai and Aligarh keeping in view the traffic difficulties there ;

(b) if so, the time by which the said overbridge is proposed to be constructed ; and

(c) if not the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) : A porposal for construction of road overbridge on Moradabad-Chandausi road crossing at Moradabad has been mooted by U.P. State P.W.D. The Scheme is still in the preliminary stage. The construction of the road overbridge will be programmed by the Northern Railway Administration in consultation with the State Government in due course.

Foreign exchange for small car proposal of Madan Mohan Rao.

4653. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government has refused to grant foreign exchange to Shri Madan Mohan Rao of Madras for getting the design made from foreign countries for the manufacture of his small car ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) & (b) : The letter of intent has been granted to Shri M. Madan Mohan Rao of Madras subject, *inter alia*, to the condition that no foreign collaboration or foreign consultancy arrangements will be permitted. However, he has made a request recently for release of $ 12,000 in foreign exchange for getting his car design examined and approved by a U.S. Consultant. A decision on his request has not yet been taken.

बिना टिकट यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारी

4654. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे तथा सी० आर० पी० के अधिकांश कर्मचारी बिना टिकट या उचित पास के यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जानी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : जी नहीं। जो रेल कर्मचारी बिना उचित टिकट या पास के यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, उनसे न केवल अन्य बिना टिकट यात्रियों की तरह किराया वसूल किया जाता है, बल्कि इसके अलावा उनके खिलाफ वह विभागीय कार्रवाही भी की जाती है, जो उपयुक्त समझी जाये।

पुलिस कर्मचारियों के मामले में, रेलवे की देय रकम वसूल करने के अलावा उपयुक्त विभागीय कार्यवाई करने के लिए मामले की ओर सम्बन्धित राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाता है।

इस्पात संयंत्रों के सप्लाई किये गये लोह अयस्क की मात्रा

4655. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे इस्पात संयंत्रों के अच्छे प्रकार का लोह अयस्क पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और इस कारण संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) क्या क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने से देश में इस्पात का अत्यधिक अभाव हो गया है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात का भारी मात्रा में आयात करना आवश्यक हो गया है; और

(ग) क्या अच्छे प्रकार के लोह अयस्क की कमी का कारण यह है कि भारत को सर्वोत्तम किस्म के लोह अयस्क का एक दीर्घावधि समझौते के अन्तर्गत जापान को निर्यात करना पड़ रहा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क). जी, नहीं।

(ख) इस्पात के आयात की आवश्यकता अंशत: इसलिए है कि इस्पात कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं कर रहे हैं इस्पात की मांग बढ़ रही है और अंशत: इसलिए है कि कुछ किस्मों का इस्पात देश में तैयार नहीं हो रहा है। उत्पादन में कमी विभिन्न कारणों से हुई है, जैसे—मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, विशेषतया दुर्गापुर बर्नपुर तथा राउरकेला में, उष्मसाहों की अप्रर्याप्त उपलब्धि तथा कुछ तकनीकी त्रुटियां आदि।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में औद्योगिक विकास सम्बन्धी गोष्ठी

4656. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रालयों के, सरकार के पांच महत्वपूर्ण सचिवों ने दिल्ली में हुई औद्योगिक विकास उसकी चुनौती तथा क्षमता सम्बन्धी गोष्ठी में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु लाइसेंस सम्बन्धी नीति को नई दिशा देने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ विशेष में ये घोषणाएं क्या थीं; और

(ग) क्या उद्योग के लिये कच्चे माल के उपलब्ध न होने की समस्या पर विचार किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) से (ग) : इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा आयोजित औद्योगिक विकास संगोष्ठी में भारत सरकार के पांच सचिवों ने भाग लिया तथा सरकारी नीति के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीति के विभिन्न आवश्यक पहलुओं और कच्चे माल की उपलब्धि स्थिति का स्पष्टीकरण किया । इन सचिवों व किसी नई नीति की घोषणा नहीं की ।

बाल अपराधों में वृद्धि

4657. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल अपराध इसलिये बढ़ रहा है कि जिन बच्चों को एक बार पकड़ लिया जाता है उन्हें तत्काल ही माता-पिता को नहीं सौंपा जाता अपितु लम्बे समय तक सुधार गृहों में रखा जाता है और कई बार माता-पिता बच्चों को स्वीकार नहीं करते; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में बेहतर सुधार संहिता तैयार करना चाहती है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) : केवल इस कारण यह कहना ठीक नहीं कि क्योंकि बच्चों को पकड़ लिए जाने के बाद उन्हें तत्काल ही उनके माता-पिता को नहीं सौंपा जाता है अथवा बच्चों को सुधार संस्थाओं में जितने समय के लिए सुपुर्द किया जाता, उससे अधिक समय तक उन्हें वहां रखा जाता है, इसलिए देश में बाल अपचार बढ़ रहा है । इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि कई बार संस्थाओं से छोड़े जाने पर वालदेन अपने बच्चों को स्वीकार नहीं करते हैं ।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पास किए गए बाल अधिनियमों में अदालत को सुपुर्द किए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित उपबन्ध शामिल हैं ।

भिखारियों तथा आवारागर्द व्यक्तियों के लिए रेन-बसेरों की व्यवस्था

4658. **श्री सागर गुह :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता शहर में हजारों भिखारी, आवारागर्द व्यक्ति और घूमने के लिए आने वाले व्यक्ति रात को पटरियों पर लगे शैडों को रात काटने के लिए प्रयोग करते हैं;

(ख) क्या वे लोग सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं जिससे कलकत्ता के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां रैन बसेरे खोलने का है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : **(क) से (ग) :** सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में आंतरिक व्यापार

4659. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में आंतरिक व्यापार तथा राज्य से बाहर व्यापार के विस्तार की संभावनाओं का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए ऐसे विस्तार की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या लघु और मध्यम स्तर के व्यापार तथा आंतरिक व्यापार की क्षमता और सम्भावना का पता लगाने के लिए सरकार का एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार आन्तरिक व्यापार के विस्तार के लिए ग्राम्य तथा हस्तशिल्पों के विकास हेतु एक निगम स्थापित करेगी ?

ओद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पिघला हुआ धातु मल खरीदने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा प्रस्तुत टेंडर

4660. **श्री स० कुन्दू : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती सीमेंट निगम ने दानेदार सीमेंट बनाने हेतु पिघला हुआ धातु मल खरीदने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को टेंडर दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) : कोई टेंडर नहीं दिया गया था। किन्तु मेंढर कारखाने में सीमेंट का उत्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा स्लैग की सप्लाई के बारे में एक पूछताछ की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

रूरकेला इस्पात कारखाने के उर्वरक का खराब होना

4661 **श्री स० कुन्दू : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला उर्वरक कारखाने में कई बार खराबी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी और भूल के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : हाल में रूरकेला उर्वरक कारखाने में बार-बार खराबी नहीं आई है। परन्तु नेफ्था रिफारमिंग यूनिट (जो उर्वरक कारखानों को कोक भट्टी गैस की सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है) और जिसे मरम्मत के पश्चात् अगस्त 1970 में चालू किया गया था, रिफार्मर आउटलेट हैडर पाइप्स की खराबी के कारण, सितम्बर 1970 में फिर बन्द करना पड़ा। चूंकि नेफ्था प्लान्ट को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा था इसलिए त्रुटियों को दूर करने के लिए सम्मारक इसकी मरम्मत कर रहे हैं।

बम्बई-हावड़ा लाइन को जोड़ने के लिए रूपसा से तलबंद तथा इसके विस्तार तक बड़ी लाइन

4662. **श्री स० कुन्दू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के रूपसा-तलबंद की संकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा बम्बई-हावड़ा लाइन को जोड़ने के लिये लाइन का विस्तार करने के कार्य के सर्वेक्षण सम्बन्धी प्राक्कलन मंजूरी कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने धन की मंजूरी दी गई है और कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्राक्कलनों को मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : 70,029 रुपये की अनुमानित लागत से रूपसा-तलबन्द छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी 18 सितम्बर, 1970 को दी गई है और इस सर्वेक्षण का काम जारी है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कानपुर में गोविन्दपुरी स्टेशन पर तेज गति वाली गाड़ियों का रुकना

4663. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के गोविन्दपुरी स्टेशन पर तेज गति वाली कोई गाड़ी नहीं रुकती;

(ख) क्या कानपुर के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुविधा के लिये उक्त स्टेशन का निर्माण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो गोविन्दपुरी स्टेशन पर तेज गति वाली गाड़ियों को न रोके जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, और इसी लिए इस स्टेशन पर 8 जोड़ी सवारी गाड़ियां रुकती हैं।

(ग) औचित्य का अभाव। चूंकि कानपुर जहां सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं, इस स्टेशन से, केवल 3 कि० मी० दूर है।

तालचर-बिमलगढ़ रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

4664. **श्री गु० च० नायक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचर-बिमलगढ़ रेलवे लाइन का कोहरा और बांसपांस रेलवे लाइन तक विस्तार करने के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

डांगुआपोस्टर (दक्षिण पूर्व रेलवे) में दिये गये विशेष प्रकार के निर्माण ठेके

4665. **श्री गु० च० नायक** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से मार्च, 1970 तक चक्रधरपुर डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के डांगुआपोस्ट सब डिवीजन पर दिये गये विशेष प्रकार के विभिन्न निर्माण-ठेकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कुल कितने ठेकों का निबटान किया गया तथा कितने ठेकों का निबटान नहीं किया गया और उन ठेकों का निबटारा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योग क्षेत्र में इस्पात की ट्यूबें बनाने वाले कारखानों को इस्पात की सप्लाई

4666. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में इस्पात की ट्यूबें बनाने वाले कारखानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कारखानों को पर्याप्त मात्रा में इस्पात नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि इस्पात कारखानों से इनको कच्चे माल को नियमित रूप से सप्लाई हो, कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) : अगस्त-सितम्बर, 1968 से इस्पात की कमी का बढ़ना शुरू हुआ है और अब भी कमी का बढ़ना जारी है। निर्यात संबंधी बढ़े हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए इस्पात की पक्षियों और स्कैल्पों का 45000 मी० टन का आवंटन हाल ही में घटा कर 23000 टन कर दिया गया है।

Demand for setting up of Stockyard in Gwalior for Iron and Steel.

4667. **Shri Ram avtar Sharma :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is fact that at present there is only one stockyard in Madhya Pradesh, namely at Indore, for Iron Steel and pig iron ;

(b) whether he has received a representation from the Madhya Pradesh Chamber of Commerce wherein it has been demanded that one more stockyard be setup in Gwalior, keeping in view the size of the State ; and

(c) if so, the decision taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) : At present, there is only one stockyard of Hindustan Steel Limited at Indore in Madhya Pradesh. A representation has only recently been received from the Madhya Pradesh Chamber of Commerce & Industry for opening another stockyard at Gwalior. A proposal to open a second stockyard in the State at a suitable location is being examined by Hindustan Steel Limited, in consultation with the State authorities.

Running of special train "Cotton King" on Central Railway

4668. **Shri Ram avtar Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the General Manager, Central Railway has given an assurance recently to the textile mills for running a special train 'Cotton King' for transporting cotton ;

(b) if so, whether the 'Cotton King' would also pass through the cities of Madhya Pradesh in order to supply cotton to the textile mills in Madhya Pradesh; and

(c) if so, the names of such cities and the details in regard to this new train ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) No. For the textiles mills located in Madhya Pradesh, such as, Indore and Ujjain, movement of cotton traffic from Central Railway is not substantial and is generally cleared by the all metre gauge route from Akola and Khandwa. The special train 'Cotton King' introduced from 15 November 1970 is clearing traffic in cotton (raw) from Badnera-Bhusaval section, including Amravati Branch, to Bombay, as sizeable traffic are offering from the area.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों को फरीदाबाद और गुड़गांवां में भूमि का आवंटन

4669. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ उद्योगपतियों ने अपने कारखाने को स्थापित करने के लिये फरीदाबाद और गुड़गांवां तहसील में उपजाऊ के अर्जन का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या सरकार उन्हें उस भूमि का आवंटन करेगी जिसको लेने के लिये उन्होंने प्रस्ताव रखा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने फरीदाबाद और गुड़गांवां में ऐसे औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के लिये केवल बंजर भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में भी विचार किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं । हां, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन करने के बारे में कुछ पार्टियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के बारे में राज्य सरकार ने इस बात का सुनिश्चय करने के प्रयत्न किये हैं कि जब तक स्थापना स्थल हेतु बंजर जमीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तब तक उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है।

रेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने के लिए दूरी सम्बन्धी रोक

4670. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 100 मील से कम की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए केवल स्थानीय रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति देने का है; और

(ख) क्या स्थानीय गाड़ियों की गति में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) लोकल गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार यातायात तथा परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप है। इन गाड़ियों की रफ्तार में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि ये सब स्टेशनों पर ठहरती हैं और इनकी रफ्तार को इससे अधिक बढ़ाना संभव नहीं है।

समाज-कल्याण पखवाड़ा

4671. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली में मनाये गये 'समाज-कल्याण पखवाड़े' की मुख्य बातें तथा उद्देश्य क्या थे; और

(ख) उक्त पखवाड़े में किन लोगों ने भाग लिया और क्या ऐसा पखवाड़ा भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर तथा विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में मनाया जाएगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली में "समाज कल्याण पखवाड़ा" 14 नवम्बर, 1970 से 18 नवम्बर 1970 तक मनाया गया था और इसका उद्देश्य दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किए जा रहे काम से

जनता को अभिज्ञ कराना था ताकि ये उपलब्ध विभिन्न समाज कल्याण सेवाओं से अधिक लाभ उठा सकें और इस क्षेत्र में वर्तमान सेवाओं को बढ़ाने ओर उनमें सहायता देने के लिए और अधिक स्वयंसेवी सहायता प्राप्त हो सके। इस की बिशेष बातें नीचे दी गई हैं :–

(1) दिल्ली में समाज कल्याण संस्थाओं तथा अभिकरण के निवासियों के खेल तथा क्रीड़ाएं (14 नवम्बर, 1970 से 20 नवम्बर, 1970 तक)।

(2) समाज कल्याण संस्थाओं तथा अभिकरणों और अन्य सम्बन्धित विभागों की कार्यवाहियां दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी (21 नवम्बर, 1970 से 27 नवम्बर, 1970)।

(3) बाल कल्याण सम्बन्धी एक अन्तर्राज्यीय विचार गोष्ठी (25 नवम्बर, 1970 से 27 नवम्बर, 1970)।

(4) 28 नवम्बर, 1970 को समाज कल्याण संस्थाओं तथा अभिकरणों के निवासियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाई जा रही समाज कल्याण संस्थाओं तथा सेवाओं स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों, सम्बन्धित सरकारी विभागों तथा पड़ौसी राज्यों ने इस पखवाड़े में भाग लिया था। अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे समारोहों का आयोजन करना राज्य सरकारों का काम है।

कागज की कमी

4672. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज मिलों में मोटा कागज़ अधिक मात्रा में बनाया जा रहा है और हल्के किस्म के कागज़ का अत्यधिक अभाव है और उसके लिये अत्यधिक मूल्य देना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) **और (ख) :** लिखने और छपाई वाले कागज की कुछ कमी वाकई है। यह आम शिकायत है कि लिखने और छापने का कागज बनाने वाली कागज की मिलें 60 जी० एस० एम० और उससे ऊपर का कागज बना रही है जबकि लिखने की कापियों और

पाठ्य पुस्तकों के लिए सामान्यता 56 जी० एस० एम० का कागज प्रयोग में लाया जाता है। सरकार द्वारा गठित कागज समिति ने कागज मिलों को यह निदेश दिया है कि वे 1968 वाले ढांचे के अनुरूप उत्पादन करें, जिसके अनुसार लिखने और छापने का कागज का उत्पादन कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत होना चाहिए। यह समिति कागज उद्योग की संयुक्त समिति के साथ विचार विमर्श करके कागज की कमी और उनके मूल्यों में वृद्धि संबंधी समस्याओं की बराबर जांच कर रही है। इसके अलावा स्थिति का सामना करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से एक क्रैश प्रोग्राम आरम्भ किया गया है। तदर्थ समिति उत्पादन के ढांचे तथा कागज के मूल्य और उसके वितरण को नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रही है।

भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिये व्यक्तियों को दिये गये निःशुल्क पास

4673. **श्री कुंवर लाल गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें सरकार ने भारत के किसी भाग में रेलवे से यात्रा करने के लिये प्रथम श्रेणी के तीन निःशुल्क पास दे रखे हैं ?

(ख) उक्त व्यक्तियों को निःशुल्क पास देने के क्या कारण हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने के लिये निःशुल्क पास दिये गये हैं; और

(घ) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें रेलवे ने निशुल्क प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पास दे रखे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) किसी भी व्यक्ति को पहले दर्जे के तीन अखिल भारतीय मानार्थ पास नहीं दिये गये हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) काका सहिब कालेलकर, राजघाट, नयी दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहले दर्जे का पास दिया गया है। उन्हें वातानुकूल डिब्बे में यात्रा करने का प्राधिकार है।

(घ) दूसरा दर्जा 7

तीसरा दर्जा 11

कुछ स्टेशनों पर माल डिब्बों में चोरी को रोकने के लिये साधुओं की सेवाओं का उपयोग किया जाना

4674. **श्री कुंवर लाल गुप्त :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ स्टेशनों पर माल डिब्बों से चोरी को रोकने के लिये साधुओं की सेवायें प्राप्त की थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त साधुओं की संख्या कितनी है और उन स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन साधुओं पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई और उनकी नियुक्ति के बाद माल डिब्बों से होने वाली चोरियों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

जोनल रेलवे के जनरल मैनेजरों के सम्मेलन में किये गये निर्णय

4675. **श्री रा० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों और रेलवे के कर्मचारियों को अध्ययन के लिये रेलवे के जनरल मैनेजरों का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या रेल यात्रा में सुधार करने विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करने के बारे में सिफारिशें की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। 26, 27 और 28 नवम्बर, 1970 को रेलवे बोर्ड के साथ महाप्रबन्धकों की एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग) : चर्चा सामान्यतः नीति सम्बन्धी मामलों तथा रेलों के दिन प्रतिदिन के संचालन से सम्बन्धित मामलों पर हुई। जिन विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

ऐसी बैठकों से महाप्रबन्धकों को आपस में तथा रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिलता है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता को बढ़ाना है और महाप्रबन्धक, स्थानीय स्थितियों को देखते हुए, बैठक में हुई चर्चा के प्रकाश में कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

विवरण

रेलवे बोर्ड के साथ हुई महाप्रबन्धकों की बैठक में चर्चित विषय

1. ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम, विशेष रूप से ईंधन में किफायत के संदर्भ में।
2. (क) परिचालन कार्य की समीक्षा--
   (i) लदान।
   (ii) अदला-बदली।
   (iii) यानान्तरण।
   (ख) सवारी गाड़ियों का समय-पालन
3. खेतिपूर्ति के दावे।
4. ऊंची दर के अधिक यातायात को रेलों की ओर आकृष्ट करने के तरीके और साधन।
5. बिना टिकट यात्रा।
6. रेलों पर वाणिज्यिक प्रचार के जरिए आमदनी को अधिकाधिक बढ़ाना।
7. खर्च में बचत करने के लिए अपनाये जाने वाले उपाय।
8. चौथी योजना के लिए यातायात के संशोधित लक्ष्य-निवेश की समीक्षा।
9. रेलों की दीर्घकालिक सामूहिक योजनाएं।
10. इस्पात की अत्यधिक कमी।
11. कार्य घंटा विनियम के अधीन "अनिवार्यत: सविरामी" के रूप में वर्गीकृत इंजन शैड के कर्मचारियों के काम के साप्ताहिक घटे 75 से कम करके अलग-अलग पारी की ड्यूटी रोस्टर के साथ 48 घंटे करने और जब आवश्यक हो तो ऐसे कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए सामान्य वेतन-दर से डेढ़ गुना दर पर समयोपरि भत्ता देने से सम्बन्धित प्रभाव।
12. बेकार कोचिंग स्टाक का प्रतिशत।
13. रेलों द्वारा संकलित आंकड़ों में अशुद्धियां।
14. रेलों के प्रधान कार्यालयों और मंडलों में विपणन और विक्रय की गतिविधियों का सांख्यिकीय मूल्यांकन।
15. रेल-पथ के सामानों की सप्लाई की कठिन स्थिति।

बिजली से गाड़ियां चलाने के लिये बिजली की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों का अनुरोध

4676. **श्री शंकर राव माने :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली से चलने वाली और अधिक रेलें चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या बिजली से गाड़ियां चलाने के लिये बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : कानपुर-टूंडला खण्ड का विद्यूतीकरण, जो पहले से चालू है और जहां बिजली कर्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को बिजली सप्लाई करना है, के अलावा नीचे लिखी परियोजनाओं का भी या तो अनुमोदन हो गया है या उन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। निम्नलिखित राज्य बिजली बोर्डों ने यह आश्वासन दिया है कि जब और ज्योंही ये खण्ड बिजली कर्षण के अन्तर्गत ला दिये जायेंगे, त्योंही उन्हें पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना का नाम		राज्य बिजली बोर्ड का नाम जिसे बिजली सप्लाई करनी है
पहले से अनुमोदित	1. विरार-साबरमती	महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बिजली बोर्ड।
	2. पंचकुड़ा-हल्दिया	पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड।
	3. वाल्टेयर-किरन्दुल	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड।
	4. टूंडला-दिल्ली	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।
	5. मद्रास-विजयवाड़ा	तामिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

विभिन्न राज्यों में खादी उद्योग में लगे कर्मचारियों की संख्या

4677. **श्री शंकर राव माने :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी उद्योग में इस समय राज्यवार कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इस उद्योग में राज्यवार कितने-कितने लोगों को रोजगार मिला है; और

(ग) देश तथा विदेशों में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) और (ख) : अब तक उपलब्ध सूचना वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) देश विदेशों में खादी को लोकप्रिए बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. देश विदेशों में होने वाली व्यापार प्रदर्शिनियों में भाग लेना।
2. गांधी जयन्ती समारोह के उपलक्ष में विशेष रियायत देना।
3. सरकारी कार्यालयों के श्रेणी 4 के कर्मचारियों की वर्दी बनाने के लिए खादी का प्रयोग।
4. देश तथा विदेशों में आधुनिक डिजाइन तथा पसन्द के खादी भण्डारों/भवनों द्वारा तैयार कपड़ो की बिक्री करना।
5. खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा निर्यात संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए समिति नियुक्त करना।

विवरण

क्र० सं० राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	1966-67	1967-68	1968-69
1. आन्ध्र प्रदेश	0.95	0.79	0.79
2. असम	0.11	0.11	0.11
3. बिहार	3.81	2.48	2.48
4. गुजरात	0.31	0.22	0.22
5. हरियाणा	—	0.73	0.73
6. जम्मू तथा काश्मीर	0.20	0.11	0.11
7. केरल	0.22	0.15	0.15
8. मध्य प्रदेश	0.14	0.11	0.11

क्र० सं०	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	1966-67	1967-68	1968-69
9.	मद्रास	3.38	2.45	2.45
10.	महाराष्ट्र	0.05	0.04	0.04
11.	मैसूर	0.53	0.36	0.35
12.	उड़ीसा	0.43	0.03	0.03
13.	पंजाब	2.33	1.16	1.16
14.	राजस्थान	0.84	0.60	0.60
15.	उ० प्र०	4.57	3.72	3.72
16.	प० बंगाल	0.29	0.21	0.21
17.	दिल्ली	0.05	0.02	0.03
18.	गोआ	—	—	—
19.	हिमाचल प्रदेश	—	0.04	0.04
20.	मनीपुर	0.01	—	—
21.	नेफा	0.02	0.01	—
22.	पांडिचेरी	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	नागालैण्ड	—	—	0.02
25.	विभागीय स्कीमें इत्यादि	0.36	—	—
	योग	18.60	13.35	13.35

कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण रेलवे को हानि

4678. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा विरोध के बावजूद कोयला उद्योग ने कोयले के मूल्यों को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला उद्योग के निर्णय के कारण रेलवे को हानि होगी;

(ग) कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण रेलवे को कितनी हानि होगी; और

(घ) कोयला उद्योग द्वारा किये गये इस निर्णय से उत्पन स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों को वर्ष 1971 में कोयला सप्लाई करने के लिए दिये गये अपने टेण्डरों में अधिकांश कोयला खानों ने कीमत में लगभग 3 रुपये प्रति मीटरिक टन की वृद्धि की मांग की है।

(ख) और (ग) : यदि कीमत में इस वृद्धि को मान लिया गया, तो इसके परिणामस्वरूप रेलों को प्रति वर्ष लगभग 4.8 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करना होगा।

(घ) टेण्डरदाताओं से बातचीत की जा रही है।

औद्योगिक नीति का पूंजी विनियोजन पर प्रभाव

4679. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय विनियोजन केन्द्र के अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की है कि भारतीय औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास में अड़चन पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो अनिश्चितता दूर करने और पूंजी विनियोजन के लिये उचित वातावरण तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : **(क) और (ख)** : 19 नवम्बर, 1970 को भारतीय विनियोजन केन्द्र की वार्षिक बैठक में बोलते हुए भारतीय विनियोजन केन्द्र के अध्यक्ष ने औद्योगिक नीति के कुछ पहलुओं और औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग संबंधी आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता पर अपने दृष्टिकोणों का उल्लेख किया था। भारत सरकार की दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक नीति में निर्धारण सामाजिक न्याय के साथ-साथ व्यापक और द्रुत औद्योगिक विकास से दृष्टि में रख कर किया गया है। जहां तक प्रक्रिया संबंधी विलम्ब का प्रश्न है सरकार औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग संबंधी आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता भली प्रकार समझती है। आवेदनों को तेजी से निबटाने और अधिक दिनों से अनिर्णीत पड़े प्रार्थना पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने की गति में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं।

केरल को इस्पात का आवंटन

4680. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल राज्य लोक निर्माण विभाग के कार्य इस्पात के अभाव में रुके पड़े हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनायें रुकी पड़ी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त-संयंत्र समिति में केरल राज्य लोक निर्माण विभाग के अक्तूबर-नवम्बर, 1970 के मांगपत्रों की जांच में विलम्ब के कारण इस्पात के आवंटन में कोई प्राथमिकता नहीं मिल पायी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केरल राज्य लोक निर्याण विभाग की मांगों को पूरा करना चाहती है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केरल राज्य से केरल लोक निर्माण विभाग को इस्पात सप्लाई करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने अक्तूबर-दिसम्बर 1970 की अवधि में अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए इस्पात प्राथमिकता समिति से समय रहते अनुरोध नहीं किया था फिर भी, इसी अवधि में लोहा और इस्पात नियन्त्रक के आरक्षित भण्डार में से उनको 303 टन गोल छड़ों का आवंटन किया गया था। केरल लोक-निर्माण को जनवरी-मार्च 1971 की अवधि में 768 टन गोल छड़ और सप्लाई करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

कालीकट-एरणाकुलम लाइन पर तेज गति वाली गाड़ी चलाया जाना

4681. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट एरणाकुलम लाइन पर तेज गति वाली गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) अलवाय-एरणाकुलम खण्ड पर क्षमता की कमी के कारण यह प्रस्ताव परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

कोजीकोड से ओलवाकोट (दक्षिणी रेलवे) तक दुहरी रेलवे लाइन को बनाना

4682. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोजीकोड-ओलवाकोट रेलवे लाइन को दुहरा बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : कोजीकोड और ओलवाकोट के बीच दुहरी लाइन बिछाने से सम्बन्धित कार्य को 1971-72 के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) लगभग तीन वर्ष।

Theft of Blankets from Railway Hospital, Samastipur (North Eastern Railway).

4683. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact 38 new blankets were stolen from the Samastipur Railway Hospital on the North Eastern Railway during the month of July or August last ;

(b) if so, how this theft took place and the persons responsible for it;

(c) whether any enquiry was conducted into the said incident, and if so, the outcome thereof; and

(d) the action taken against the persons found guilty ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. The theft was reported on 2nd/3rd September, 1970 and it is suspected to have occurred on different dates.

(b) 9 blankets were stolen from the Male Ward, 2 blankets from Female Ward and the remaining 27 blankets short are suspected to have been stolen during the period from 15th to 20th July, 1970 from an Iron Box kept in the duty room.

(c) & (d) : The matter has been reported to the Civil Police, who are investigating the case. A departmental enquiry into the case is in progress.

Promotion to the post of clerks class I in Accounts Department (Eastern Railway) on seniorty basis

4684. **Shri Ramavtar Shastri.**
Shri Chandrika Prasad.

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Appendix-II examination for promotion of Accounts Clerks of Eastern Railway was held in March, 1970 after an interval of six years ;

(b) whether it is also a fact that 25 per cent promotion from class II Clerks to Class I Clerks in the Accounts Department are made on seniority basis ;

(c) Whether it is further a fact that no promotions from Class II Clerks to Class I Clerks have been made on seniority basis on the Eastern Railway prior to the said examination ; and

(d) Whether instructions contained in Railway Board's letters No. E838/2/Misc./Acctt./Pt.II dated 4th February, 1970 and No. E(NG)170PM1/68 dated 7th July, 1970 in this regard have been implemented in the Eastern Railway and if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Does not arise. Letter No. E.839/2/Misc./Actt/Pt.II of 4-3-1970 (and not 4-2-70) is actually from the Eastern Railway to the Board asking for their orders on another point. Letter No. E(NG)170PM1/68 of 7-7-70 is from the Railway Board to the Eastern Railway asking for certain clarifications. The Railway's proposal is under examination.

Refusal of Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Eastern Railway to consider the Grievances of Clerks of Accounts Department

4685. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Financial Adviser and Chief Accounts Officer Eastern Railway had refused to consider the representations of Clerks working in the Accounts Department vide his letter No. A/341/53/Pt.III dated 18th July, 1970 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No. The request of the Accounts clerks was duly considered and not agreed to.

(b) Does not arise.

वैस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ियों में कोयम्बतूर से कोचीन तक सीधे जाने वाले डिब्बे

4686. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर वैस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ी में कोयम्बतूर से कोचीन तक सीधे जाने वाले डिब्बे बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार यात्रियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : वैस्ट कोस्ट एक्सप्रैस को लेकर चलने वाले डीजल इंजन के साथ इन्टेगरल कोच फैक्टरी में बने डिब्बों के जोड़ने में होने वाली कठिनाई के परिणाम स्वरूप शोरनपुर में रात के समय शन्टिग करने में प्रचालन सम्बन्धी कठिनाईयां होने के कारण वेस्ट कौस्ट एक्सप्रेस से कोयम्बतूर से कोचीन तक सीधे जाने वाला डिब्बा कुछ समय के लिए हटा लिया गया था।

(ग) और (घ) : डीजल इन्जन के इन हुको में, जो इन गाड़ियो को जोड़ते हैं, इस बीच सुधार कर दिया गया है और उसमें डिब्बा पुन: लगा दिया गया है।

टूला के मुद्रण-संयंत्र की स्थापना

*4687. **श्री विश्वनाथ मेनन : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल को कलमास्सिरी जिला एरणाकुलम में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का मुद्रण संयंत्र लगाने के लिए मंजूरी दे रही है ;

(ख) क्या सरकार को केरल से इस सम्बंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार ने विभिन्न प्रकार की मुद्रण मशीनों के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड तथा इटली के मेसर्स सोसायटा नेब्योला के बीच सहयोग करार की शर्तों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यद्यपि परियोजना तथा इसके स्थापना स्थल सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्राप्ति पर ही लिया जा सकता है स्थापित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने इस कलमशेरी में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मुद्रण मशीनरी निर्माण परियोजना को केरल में स्थापित करने के लिए पत्र वहाँ के मुख्य मन्त्री तथा दो संसद सदस्यों से

प्राप्त हुए थे । उन्हें सूचित किया गया था कि परियोजना पर विनियोजना सम्बन्धी निर्णय अभी किया जाना है किन्तु मुद्रण मशीनरी निर्माण परियोजना की स्थापना सम्बन्धी निर्णय करते समय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कलमशेशरी एकक की अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखा जायगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एरणाकुलम रेलवे स्टेशने का सुधार

4688. **श्री पा० गोपालन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एरणाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन का सुधार करने का है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) सामने के क्षेत्र और परिचलन क्षेत्र मे सुधार करने, तीसरे दर्ज के प्रतीक्षालयों का विस्तार करने, छः अतिरिक्त विश्रामालय और एक रेस्तरा बनाने का प्रस्ताव है ।

(ग) यह काम चालू वर्ष अर्थात 1970-71 में शुरू करने का प्रस्ताव है ।

Iron Powder developed by Sweden

4689. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government have studied the new method of making Iron Powder as developed by Sweden and which is famous by the name of Asea-Stora ; and

(b) if so, whether Government propose to set up steel Mills based on the above system ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Government are aware of the new technologies developed for production of Iron powder/steel dust as developed in Sweden and in other countries.

(b) Technology being new, Government will examine with the help of Consultants whether setting up of production facilities based on this process would be economically more viable and technically feasible.

Success in effecting economy in the consumption of coal on Railways

4690. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the success achieved so far in regard to the target of effecting a saving of rupees 10 crores in the consumption of coal and whether this target is likely to be achieved ; and

(b) the progress made so far in preventing pilferage of coal ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The result of the coal saving drive so far has been encouraging ; however, it is too early to assess the likely savings.

(b) The progress made so far in preventing of pilferage of coal has been satisfactory.

Standardisation of articles

4691. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the articles for which the Indian Standards Institution has fixed standards up till now and the number of the manufacturers who have made use of them ; and

(b) the details in regard to the programme in this regard for the next three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : The Indian Standards Institution (ISI) has published 6054 standards as on 30th November, 1970 pertaining to materials specifications, methods of test, codes of practice, terminology ete. which are given in the nine printed lists entitled "Sectional lists of Standards", a copy of which has been placed in the Library of the Parliament. Though the Indian standards are voluntary, they are being used not only by manufacturers but also by Central and State Governments, Public Sector Undertakings and utility services. The following information will give an idea of the extent of use ;

(i) All standard for materials, equipment and stores have been adopted by Central and State Governments and the majority of utility services;

(ii) 2477 licences for the use of ISI mark have been taken up by 920 manufacturers for 478 articles. The mark is an indication of the conformity of the relevant Indian standards in respect of quality;

(iii) During 1969-70, the value of goods covered under the ISI mark was of the order of Rs. 4200 million;

(iv) Apart from ISI Licences, many manufacturers claim to conform to Indian standards for their products.

(b) The ISI has prepared a detailed Fourth Five-Year Plan, which gives the various progamme of development during the plan period. According to the

the anticipated yearly production of standards to be published during the next three years is as follows :

Year	Number of new standards.
1971-72	840
1972-73	880
1973-74	920

The total number of licences to be issued under the ISI Certification Marking Scheme as anticipated in the ISI Plan during the next three years will be as below :

Year	Number of licences
1971-72	2730
1972-73	3010
1973-74	3300

कलकत्ता से उद्योगों का स्थानान्तरण

4692. **श्री शशि भूषण : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उद्योगों और बड़े औद्योगिक गृहों पर कलकत्ता में हुए उपद्रवों का बुरा प्रभाव पड़ा है और उनके नाम तथा उनसे सम्बद्ध अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उद्योगों और बड़े औद्योगिक गृहों की संख्या उनके नाम तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने उद्योगों तथा सम्पतियों को सस्ते दामों पर बेचकर अपने कार्यालय संयंत्र तथा फैक्टरियों को वहां से उठाकर अन्यत्र स्थापित कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने भी ऐसे कुछ उद्योगों और सम्पत्तियों को खरीदा है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रया है और कलकत्ता में उन उद्योगों की पुन: स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री : (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4578/70]**

रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन

4693. **श्री शशि भूषण : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970-71 में रूरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन उसके लक्ष्य से कम रहेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और संयंत्र में लक्षित्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उक्त संयंत्र द्वारा 1969-70 में कितना लाभ अर्जित किया गया और 32.5 करोड़ रुपये के पिछले घाटे को सरकार कैसे पूरा करना चाहती है और इस घाटे की पूर्ति में कितने वर्ष लगने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1970-71 में प्रत्याशित कम उत्पादन के मुख्य कारण मालिक-मज़दुर सम्बन्ध अच्छे न होना और तकनीकी तथा परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं ।

संयंत्र प्राधिकारियों ने पिक्लिंग लाइन की मरम्मत करने, स्ट्रिप्पर यार्ड क्रेन का पुनर्निमाण करने, एक और चूना भट्टी के लिए आर्डर देने, मरम्मत का पहले का रहा हुआ काम पूरा हो गया है शुरू हुआ काम पूरा करने, उत्पादन सुविधाओं में महत्वपूर्ण असंतुलन को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने, कुछ फालतू पुर्जों, ऊष्मसह, रेल के इंजन तथा दूसरा आवश्यक कच्चा माल आदि के आयात का प्रबन्ध करने तथा औद्योगिक सम्पर्कों में सुधार करने के लिए कदम उठाये हैं ।

(ग) 1969-70 के वर्ष में कारखाने को 7·83 करोड़ रुपये का लाभ हुआ परन्तु मार्च 1970 के अन्त तक संचयी हानि 32·1 करोड़ रुपये है (इस राशि में राउरकेला इस्पात कारखाने का उर्वरक संयंत्र शामिल नहीं है) आशा है कि उत्पादन में सुधार होने से संचयी हानि भी पूरी हो जाएगी । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि हानि को पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में बिजली की मशीनों के निर्माण के लिए एक नये उत्पादन का निर्माण

4694. **श्री शशि भूषण : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूरकेला इस्पात संयंत्र में एक नये उत्पादन, जिसका नाम "कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड शीट्स" है जो कि बिजली की मशीनों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊंची श्रेणी की प्लेट है, का निर्माण आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ सहयोग की बातचीत जारी है और उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी सहायता से राउरकेला इस्पात कारखाने में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड शीट्स के उत्पादन का प्रस्ताव है। चूंकि अभी इस विषय पर वार्ता हो रही है अत: और अधिक ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

भारतीय रेलवे में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती, स्थायीकरण तथा पदोन्नति

4695. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा 1967 तक विभिन्न विभागों में कितने अस्थाई अधिकारियों को भर्ती किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इन अस्थायी अधिकारियों के स्थायीकरण और/अथवा जूनियर स्केल से सीनियर स्केल तथा सीनियर स्केल से प्रशासनिक स्केल में पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं क्योंकि उनकी वरिष्ठता उनके स्थायीकरण की तिथि से निर्धारित की जाती है न कि सेवा में प्रवेश पाने की तिथि से;

(ग) जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में अथवा प्रशासनिक स्केल में ऐसे कितने प्रतिशत अस्थायी अधिकारियों को पदोन्नत किया गया और कितने प्रतिशत ऐसे अधिक अधिकारियों को स्थायी बनाया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुजंरू समिति तथा प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों में अस्थायी अधिकारियों को स्थायी संवर्ग में लाकर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तथा अस्थायी अधिकारियों के बीच विद्यमान विभेद को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस शिफारिश पर रेलवे मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1089।

(ख) अस्थायी सहायक अधिकारी खाली जगहों के वार्षिक कोटे को पूरा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रथम श्रेणी में स्थायी

नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र हैं। स्थायी नियुक्ति होने पर, वर्तमान नियमों के अधीन, संचालन पद पर जितने वर्ष उन्होंने काम किया हो उसके आधे समय का लाभ वरिष्ठता के लिए किया जाता है, लेकिन यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष होनी चाहिए।

(ग) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आपरेटरों को विशेष वेतन

4696. **श्री चित्ति बाबू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायनिर्णेता (adjudicatior) ने सर्किट की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेद भाव के हैवी सर्किटों पर काम करने वाले वायरलैस आपरेटरों तथा सिगनेलरों को परिश्रमी तथा लाइट सर्किटों पर काम करने वालों को अपेक्षाकृत कम परिश्रमी की श्रेणी में रखा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलिप्रिन्टरों पर काम करने वाले सिगनलरों को विशेष वेतन उनकी टाइप करने की अतिरिक्त योग्यता के कारण दिया जाता है न कि बोर्ड के 16 दिसम्बर 1969 के पत्रांक पी सी/69/एस पी 1/एस टी-5 के अनुसार और इसके विपरीत एक सीधे भर्ती किये गये टेलिप्रिन्टर आपरेटर को विशेष वेतन नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके पास 'मांस' पद्धति पर काम करने की अतिरिक्त योग्यता नहीं होती।

(ग) क्या यह भी सच है कि वायरलैस आपरेटरों के पास वह अपेक्षित अतिरिक्त योग्यता होती है, जिसका बोर्ड के 16 दिसम्बर 1969 के पत्रांक पी०सी०/69/एस० पी० 1/एस० टी०-5 में उल्लेख है और वे एक महीने में 10 दिन टेलीप्रिन्टर पर काम करते हैं; और

(घ) यदि हां तो रेडियो टेलिप्रिन्टरों पर काम करने के लिए उन्हें विशेष वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। तार बाबुओं को जब दूर-मुद्रक आपरेटरों के तौर पर नियोजित किया जाता है तब उन्हें प्रति महीने 15 रु० का विशेष वेतन मंजूर किया जाता है क्योंकि उनकी भर्ती दूर-मुद्रक आपरेटर के रूप में काम करने के लिए नहीं की गयी थी। दूर-मुद्रक सेवा में टाइप करने का काम निहित है। सीधे भर्ती किये गये दूर-मुद्रक आपरेटरों को कोई विशेष वेतन मंजूर नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) : माइक्रोवेव लगाने के कारण फालतू होने वाले बेतार आपरेटरों को दूर-मुद्रक आपरेटर के काम में लगाया जाता है। उनका वेतनमान 150-300 रु० है जो तार बाबुओं के विशेष वेतन सहित वेतनमान यानी 110-200 रु० या 150-240 रु० से काफी ऊंचा है। दरअसल बेतार आपरेटर के तौर पर उनके वर्तमान वेतन को बिना किसी कमी के सुरक्षित रखा गया है।

सुक्ष्मतरंग टेलीप्रिंटरों (दक्षिणी रेलवे) पर वायरलैस आपरेटरों के रूप में नियुक्त सिगनेलरों को विशेष भत्ता न दिया जाना

4797. **श्री चिति बाबू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वायरलैस आपरेटर फालतू हो जाते हैं यदि उनको दक्षिण रेलवे में सुक्ष्मतरंग टेलिप्रिटरों पर न लगाया जाता;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में वायरलैस आपरेटरों को सुक्ष्मतरंग टेलिप्रिटरों पर इस कारण लगाया गया क्योंकि जी एम/एम ए एस संख्या पी (आर टी) 469/III/363 के अनुसार वे ही इसके लिए सक्षम थे और इस कारण नहीं कि वे आवश्यकता से अधिक थे।

(ग) दक्षिण रेलवे में सुक्ष्मतरंग टेलिप्रिंटरों पर वायरलैस आपरेटरों के रूप में कार्य करने के परिणामस्वरूप टेलिप्रिंटरों पर काम करने के लिए कितने सिगनेलरों को विशेष भत्ते से वंचित होना पड़ा;

(घ) क्या यह सच है कि सिगनेलर ही हुबली/मद्रास और बेजवाड़ा/मद्रास के बीच स्थापित सम्पर्कों के सुक्ष्मतरंग टेलिप्रिन्टरों पर हुबली और बेजवाड़ा में कार्य करते हैं; और

(ङ) यदि हां तो दक्षिण रेलवे में भी ऐसी ही प्रक्रिया का अनुसरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य रेलवे में दूर-मुद्रक यंत्रों पर काम करने वाले सिगनेलरों को विशेष वेतन

4698. **श्री चिति बाबू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में दूर मुद्रक-यंत्रों पर काम करने वाले सिगनेलरों को वेतन का 10 प्रतिशत विशेष वेतन के रूप में मिलता है;

(ख) यदि हां तो दक्षिण रेलवे में दूर मुद्रक यंत्रों पर काम करने वाले सिगनेलरों के वेतन में 1 फरवरी 1968 से कटौती किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण रेलवे के दूर मुद्रक यंत्रों पर काम करने वाले सिगनेलरों को बोर्ड के 31 दिसम्बर 1957 के पत्र संख्या इ (एस) आइ-57/टी आर बी-30 के अनुसार वेतन का 10 प्रतिशत विशेष वेतन के रूप में दिया जाता था;

(घ) क्या सरकार को पता है कि 15 रु० की समान दर भुगतान के कारण उन कर्मचारियों को गत दस वर्षों से तथा द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वित के बाद भी जो वेतन प्राप्त हो रहा है उसमें भी कमी हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो बोर्ड के 31 दिसम्बर, 1957 के पत्र संख्या इ (एस) आई-57/टी आर बी-30 में उल्लिखित राष्ट्रपति के आदेश को पुनः लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यद्यपि वेतन के 10 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन जो कि कम से कम 15 रु० मासिक होता था, को बोर्ड के 24-2-61 के पत्र संख्या पी सी-60/पी एस-9बी / 7 और 18-5-62 के पत्र सं० पी सी-61/एस पी-1 /टी सी-1 के अन्तर्गत संशोधित करके समान दर पर 15 रु० मासिक कर दिया था लेकिन गलतफहमी के कारण, मध्य रेलवे ने 30-11-70 तक 10 रु० की पुरानी दर पर विशेष वेतन का भुगतान जारी रखा। अब मध्य रेलवे को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि इन कर्मचारियों को 15 रु० मासिक की समान दर पर विशेष वेतन का भुगतान किया जाये।

(ख) और (ग) : इसी प्रकार गलतफहमी के कारण दक्षिण रेलवे भी 5-3-68 तक 10 रु० की पुरानी दर पर विशेष वेतन का भुगतान करती रही थी। उसके बाद, वह इन कर्मचारियों को 15 रु० मासिक की सही दर पर विशेष वेतन दे रही है।

(घ) और (ङ) : ऊपर भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

निरमाली और भाबतियाही को पुल के द्वारा जोड़ा जाना

4699. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर भाबतियाही और वार भी था सूपाल रेलवे लाइनों के बीच गाड़ियों का चलना प्रारम्भ हो गया है;

(ख) क्या निरमाली और भाबतियाही को कोसी नदी पर पुल का निर्माण करके जोड़ने का विचार है ताकि गाड़ियों का चलना पुनः आरम्भ हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 16-11-1970 से सुपौल-थुरभिटा खंड पर तीन में से दो जोड़ी सवारी गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाकर भपतियाही स्टेशन, जिसका नाम बदलकर सरायगढ़ कर दिया गया है, तक कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) : कोसी नदी के दोनों तरफ पड़ने वाले निर्मली और भाबतियाही को जोड़ने का औचित्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे एक जायज़ा ले रही है । रेलवे से जायज़े की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे और विचार किया जायेगा ।

रेलवे इन्जनों में स्वचालित गति उपकरणों तथा गाड़ी रोकने वाले स्वचालित उपकरणों का लगाया जाना

4700. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैराम्बूर तथा अन्य स्थानों पर हाल में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारी भीड़ वाले स्टेशनों से निकलने वाली रेलवे इंजनों में स्वचालित क्षति उपकरण तथा गाड़ी रोकने वाले स्वचालित उपकरण न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : भारतीय रेलों पर स्वचल गाड़ी नियत्रंण शुरू करने का विनिश्चय किया गया है । हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग पर इस सुविधा की व्यवस्था के लिए अनुमोदन हो चुका है और इस काम को आरम्भ कर दिया गया है । इससे जो अनुभव प्राप्त होगा और स्वदेशी निर्माण की मात्रा सहित जितने साधन उपलब्ध होंगे, उनके आधार पर स्वचल गाड़ी नियत्रंण को अन्य ट्रंक मार्गों पर जहां, गाड़ियां 120 कि० मी० प्रति घंटा या इससे अधिक रफतार से चलती हैं, और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उपनगरीय खण्डों पर उत्तरोत्तर लगाया जायेगा ।

रेलवे के लिये अपेक्षित भूमि से अधिक भूमि का उपयोग

4701. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के लिये अपेक्षित भूमि से अधिक भूमि का जो बेकार पड़ी हैं, क्षेत्र कितना है और उसे पट्टे पर देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है और प्रगति पर ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : सम्भवत: अपेक्षित सूचना रेलवे की खेती योग्य फालतू भूमि के सम्बन्ध में है। यदि ऐसा है तो 31-3-1968 को रेलों पर ऐसी भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.21 लाख एकड़ था। केवल इसी समय तक की सूचना तत्काल उपलब्ध है।

जहां माँग होती है, वहां किसानों को सीधे अथवा राज्य सरकार के जरिए अधिक अन्न उपजाओ प्रयोजन के लिए रेलवे की खेती योग्य फालतू भूमि लाइसैंस पर दे दी जाती है। अब तक रेलों द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को 44839 एकड़ और प्रत्यक्षत: लाइसेंस पर 30639 एकड़ भूमि दी गयी है। रेल प्रशासन खेती के योग्य फालतू भूमि को लाइसेंस पर देने हेतु प्रार्थना-पत्र मांगने के लिए समय-समय पर सूचना जारी करते हैं। वास्तविक मांग के आधार पर अधिक से अधिक भूमि के आवंटन के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

रेलवे द्वारा ट्यूब लाइट का प्रयोग

4702. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 40 वाट की ट्यूब लाइट 100 वाट के बल्ब के बराबर प्रकाश देती है तथा बल्ब से पाँच गुना अधिक चलती है सरकार द्वारा स्टेशनों तथा गाड़ियों में बल्ब के स्थान पर ट्यूब लाइट प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या गाड़ियों में कमजोर बैटरियों से जलने वाले बल्बों के मन्द प्रकाश के स्थान पर ट्यूब लगाना उचित नहीं होगा ?

रेलवे मन्त्री श्री नन्दा : (क) **और ख** : यह सच है कि बल्ब की अपेक्षा ट्यूब लाइट के कई फायदे हैं, जैसे किसी निश्चित समय तक जलाए रखने में कम बिजली की खपत, अधिक दिन तक चलना, आदि। रेलें पहले से ही अपने स्टेशनों पर व्यापक रूप से ट्यूब लाइटों का इस्तेमाल कर रहीं हैं। फिर भी सवारी डिब्बों में जहाँ धुरा-चालित डाईनमों के जरिए केवल 24 वोल्ट डी सी बिजली उपलब्ध रहती है, ऐसी लाइट के लिए उपयुक्त इनवर्टर की आवश्यकता होगी जो अभी विकास की अवस्था में हैं।

Treating Travelling Ticket Examiners as Running Staff

4703. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the reasons for not treating Travelling Ticket Examiners as running staff in spite of the repeated efforts made by the Members of Parliament through different channels and in various forms in this direction;

(b) the total number of Travelling Ticket Examiners on the Indian Railways; and

(c) the amount of additional expenditure that Government would have to incur on the facilities to be provided to them in case they are treated as running staff ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Only such categories of staff as are directly incharge of and responsible for the movement of trains are treated as running staff. Although T. Ts. examine tickets on the running trains, their duties are not connected with the movement of trains.

(b) 7527.

(c) Question does not arise in view of reply to (a) above.

Non-Cooperation of Senior officials in Effecting Economy on Railways

4704. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the senior officers of the Railways are not extending their cooperation in regard to the steps taken by Government for effecting economy on the Railways;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government during the last two months to effect economy on the Railways and the results thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Continuous efforts are being made to effect economy on Indian Railways. More important among the measures adopted from time to time, and which continued to be actively pursued during the last two months, are:—

(i) Economy in the consumption of fuel, fuel oil, electricity and stores and reclamation/reconditioning of stores and materials;

(ii) Prevention of thefts and pilferages—the success of "Operation Mughal Sarai" deserves particular mention in this connection;

(iii) Economy in expenditure on staff;

(iv) Review of steam engine utilisation, resulting in reduction of steam engine holdings;

(v) Reduction in stores inventories through careful review, and the use of modern material management techniques ;

(vi) Review of marshalling arrangements, in order to make intensive use of major marshalling yards, and the running of block specials for better wagon utilisation and avoidance of detention ;

(vii) Economy in the cost of sanctioned works without reducing their scope or utility;

(viii) Method study and work studies for greater efficiency;

(ix) Extension of incentive schemes in railway workshop.

While it is not possible to make an assessment of the impact on these measures over all railways for the specific period of the last two months in precise terms, the indications are encouraging.

अखिल भारतीय आयकर अधिकरण में न्यायिक सदस्यों की भर्ती

4705. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयकर अधिकरण में न्यायिक सदस्य उन उम्मीदवारों में से भर्ती कर लिए हैं जिनके इन्टरव्यू वर्ष 1970 में हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो जो व्यक्ति चुने गए हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि चयन बोर्ड के फैसले का पालन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) : यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में एक चयन बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के कुछ पदों पर सदस्यों का चयन करने के लिए नियुक्त किया गया था। चयन बोर्ड ने उम्मीदवारों के इन्टरव्यू अगस्त, 1970 में पूरे कर लिए। चयन बोर्ड की शिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं।

पूर्वी रेलवे के बारासत-हसनाबाद सैक्शन पर दुहरी लाइन बनायी जाना

4706. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे के बारासत-हसनाबाद सैक्शन पर दुहरी लाइन व्यवस्था का कार्य प्रारम्भ करने का है ;

(ख) क्या उक्त सैक्शन पर बिजली लगाने का कार्य भी तुरन्त किया जायगा ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

टाटा नगर तथा अमृतसर के बीच तेज चलने वाली जनता रेलगाड़ियां

4707. **श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जमशेदपुर, रूरकेला, रांची और बोकारो के कर्मचारियों तथा निवासियों की इस निरन्तर मांग की ओर दिलाया गया है कि कम से कम सप्ताह में दो बार दोनों ओर से टाटा नगर और अमृतसर के बीच आसनसोल, पटना, वाराणसी होते हुए तेज चलने वाली एक जनता गाड़ी चलाई जाये ;

(ख) यदि हां तो, सरकार ने क्या अनुकूल निर्णय लिए हैं तथा यह रेलगाड़ी कब चलाई जयेगी ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब के यात्रियों के हितों को देखते हुए इस समय चलने वाली हावड़ा-वाराणसी लखनऊ यात्री रेलगाड़ी को खड़गपुर, टाटानगर और आसनसोल से होते हुए ले जाने अथवा इसका प्रस्थान तथा समाप्ति स्थान हावड़ा से बदलकर खड़गपुर अथवा टाटा नगर करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री श्री नन्दा : (क) जी हां ।

(ख) मांग पर विचार किया गया है लेकिन यातायात को देखते हुए उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है । यात्री 358 अप टाटा-आसनसोल सवारी गाड़ी और उसके साथ सम्बन्ध 5 अप हावड़ा-अमृतसर मेल से यात्रा कर सकते हैं । इसी प्रकार विपरीत दिशा में 6 डाउन अमृतसर-हावड़ा डाक गाड़ी का मेल 357 डाउन आसनसोल टाटा सवारी गड़ी के साथ होता है जिसके लिए आसनसोल में गाड़ी बदलनी होती है ।

(ग) जी नहीं । हावड़ा-लखनऊ ऐक्सप्रेस गाड़ी अधिकांशत: हावड़ा आसनसोल खण्ड के प्रारम्भिक यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करती है । इस गाड़ी को खड़गपुर टाटा के रास्ते चलाने से बहुत लम्बा मार्ग हो जाएगा और यात्रा में अधिक समय और किराया लगेगा इससे असुविधा होगों और इस गाड़ी का लाभ उठाने वाले यात्री इसे पसन्द नहीं करेंगे ।

Broad Gauge Line between Moradabad, Ramnagar and Kashipur Junction (North Eastern Railway)

4708. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any funds have been provided for under the Fourth Five Year Plan for constructing a broad-gauge railway line between Moradabad, Kashipur and Ram Nagar Mandi keeping in view the heavy increase in traffic and the difficulties being experienced by the public in this regard; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

घोगारदिहा स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर गुमती संख्या 72 को पुन: खोलना

4709. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता ने यह मांग की है कि घोगारदिहा स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर गुमती संख्या 72 को पुन: खोला जाय ; और

(ख) यदि हां, तो गुमटी को कब पुन: खोला जाएगा ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री श्री नन्दा : (क) जी नहीं ; घोगरदिहा स्टेशन के पश्चिमी सिरे पर 'सी' श्रेणी के समपार सं० 72 को बन्द नहीं किया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

ट्रैक्टर का मूल्य

4710. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ट्रैक्टरों के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नियंत्रित रखे जाते हैं,

(ख) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा अन्य प्राथमिक मदों के मूल्य भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नियन्त्रित रखे जाते हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ट्रैक्टर मूल्य नियंत्रण की इस पद्धति में दोष होने के कारण ट्रैक्टर निर्माताओं को भारी हानि हो रही है ; और यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का हैं ;

(घ) ट्रैक्टर निर्माता कितने समय से मूल्यों के बारे में शिकायतें करते आ रहे हैं तथा इन मूल्यों में संशोधन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि ट्रैक्टर एक आवश्यक वस्तु है, तो इस उद्योग को आवश्यक सेवा उद्योग घोषित न करने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए बहुत प्रकार के पुर्जो और कच्चे माल की आवश्यकता होती है । इनका उत्पादन छोटे मझौलें व बड़े क्षेत्रों के कई कारखानों द्वारा किया जा रहा है अत: यह आवश्यक अथवा सम्भव नहीं समझा जाता कि इन चीजों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियन्त्रण किया जाये।

(ग) और (घ) : कृषि के पहिएदार देशी ट्रैक्टरों के अधिकतम विक्रय मूल्य अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कर लिए गए थे और वह 31 मार्च, 1969 तक लागू किए गए थे। जून, 1969 में ट्रैक्टरों के उत्पादकों ने यह अभ्यावेदन दिए कि इन मूल्यों से कुछ बचत नहीं होती और इन में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तदनुसार यह पता लगाने के लिए कि कृषि टैक्टरों के मूल्यों के निर्धारण के बारे में प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन मूल्य 1967 में जो सिद्धान्त व सूत्र निर्धारित किए थे और जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे, उनके अन्तर्गत 31 मार्च, 1969 के बाद होने वाले परिवर्तनो के परिणाम स्वरुप कृषि ट्रैक्टरों के मूल्यों में कोई वृद्धि करना जरूरी हैं या नहीं, वित्त मन्त्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा लागत सम्बन्धी जांच की गई थी।

लागत लेखा शाखा की रिपोर्ट मिलने और उसकी परीक्षा करने के उपरान्त यह देखा गया कि प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्त व सूत्र के अन्तर्गत मूल्यों में कोई वृद्धि करना जरूरी नहीं हैं। तथापि उत्पादक अपने टैक्टरों के मूल्य में वृद्धि के लिए जोर देते रहे अत: लागत और मूल्य ब्यूरों से निवेदन किया गया कि वह टैक्टरों का उत्पादन करने वाले प्रत्येक कारखाने की शुरू से लागत संबन्धी व्यापक जांच करे ब्यूरों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही हैं। मूल्यों में वृद्धि के लिए टैक्टरों के उत्पादकों से प्राप्त आवेदनों पर आगे कार्यवाही ब्यूरों की रिपोर्ट मिल जाने तथा उनकी जांच हो जाने के बाद ही की जायेगी।

(ङ) सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि अत्यावश्यक वस्तु वाले प्रत्येक उद्योग को अत्यावश्यक सेवाओं के उद्योग के रूप में घोषित किया जाये।

Chittor-Kota Railway line declared Uneconomical

4711. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have declared Chittor-Kota railway line as uneconomical ;

(b) whether the people of Bundi had demanded the construction of railway line from Kota to Bundi which is a stretch of 22 miles only; and

(c) if so, whether Government propose to consider the scheme of constructing the said 22 mile-long railway line ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The latest appreciation of traffic prospects made for this line has shown that the Kota-Chittorgarh link would be unremunerative.

(b) Yes.

(c) Even the short stretch of the line from Kota to Bundi is expected to be unremunerative. Hence this proposal is not being pursued.

उद्योगों में विदेशी पूंजी

4712. **श्री मीठा लाल मीना :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी अंश अब के बाद केवल 40 प्रतिशत तक करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या इससे देश में निजी विदेशी पूंजी के आगमन में कुछ कमी आयेगी और यदि हां तो किन कारणों से सरकार को विदेशी पूंजी पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाना पड़ा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) ऐसे जटिल प्रकार क्षेत्रों में जहां भारतीय प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, सरकार निरन्तर उन्नत प्रौद्योगिक जानकारी की देश में प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव करती रहती है । जहां कहीं आवश्यक होता है वहां वह विदेशी पूंजी के सहयोग का भी स्वागत करती है । जहां कहीं विदेशी पूंजी की साझेदारी आवश्यक समझी जाती है, वहां सामान्यत: केवल अल्पांश में ही साझेदारी की अनुमति दी जाती है । प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और इस हेतु किसी निर्धारित प्रतिशत को मानना या उस पर दृढ़ रहना कठिन होगा । आमतौर पर साझेदारी को 40 प्रतिशत तक या उससे कम तक ही करने को वरीयता दी जाती है ।

सरकार की वही नीति है जो अब तक रही है और परिवर्तन करने के किसी निर्णय को हाल ही में घोषित नहीं किया गया हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for setting up of Industries

4713. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being extended any special facilities for setting up small scale industries or for the revival of old industries;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to provide them with special facilities in future in this regard; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d) : The State Government provide subsidies and loans for setting up Cottage Industries by the Scheduled Castes and Tribes.

भिलाई इस्पात संयंत्र को प्राप्त हुए निर्यात क्रयादेश

4714. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र को गत तीन वर्षों में प्राप्त हुए निर्यात क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकारी कोष को कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये माल तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न है ।

विवरण

(मात्रा हजार टनों में तथा मूल्य दस लाख रुपयों में है)

उत्पादक	1967-68		1968-69		1969-70	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्चा लोहा	394.9	113.9	369.7	97.3	292.6	120.7
बिलेट	66.4	31.8	62.6	27.4	33.4	14.6
छड़ और गोल छड़	14.6	7.9	16.2	9.5	24.6	16.3
संरचनात्मक	115.2	67.5	252.7	150.6	202.8	129.1
रेल की पटरी	40.7	25.5	52.9	34.9	92.4	69.0
कुल लोहा और इस्पात	631.8	246.6	754.1	319.7	645.8	349.7
उपोत्पादक	0.7	0.2	—	—	3.1	1.1
कुल जोड़	632.5	246.8	754.1	319.7	648.9	350.8

भरण अनुदान की दर

4715. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरण अनुदान की दरें लगभग 15 पूर्व वर्ष निश्चित की गयी थी तथा उनका पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है यद्यपि जीवन यापन व्यय में तेजी के साथ वृद्धि हुई है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भरण अनुदान की दरों को पुनरीक्षित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) **और (ख) :** मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्ति योजना के अधीन छात्रवृत्ति की राशि में मासिक भरण पोषण अनुदान तथा अन्य रियायतें, जैसे कि विहित शिखर सीमा तक सभी लौटाई न जाने वाली फीसें, अध्ययन दौरे तथा थीसिस टाइपिन/मुद्रण खर्च की अदायगी, शामिल होती हैं।

यद्यपि फीसों में हुई सभी बढ़ोत्तरियों को सरकार ने पूरा कर दिया है, परन्तु धन की कमी के कारण मासिक भरण पोषण भत्ते को बढ़ाना अब तक सम्भव नहीं हो सका है। यह वांछनीय समझा गया कि उपलब्ध सीमित साधनों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए बजाए कि भरण पोषण भत्ते को बढ़ा दिया जाए जिससे कि छात्रवृत्ति योजना के अधीन आने वालों की संख्या में कमी हो जाए।

त्रिपुरा सरकार द्वारा आदिम जातीय लोगों का पुनर्वास

4716. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आदिम जातीय लोगों के पुनर्वास में त्रिपुरा सरकार से महान भूलें हुई हैं, यदि हां, तों उन भूलों का सही स्वरूप क्या है और उन भूलों के कारण कितने धन का अपव्यय हुआ है; और

(ख) आदिम जातीय लोगों की पुनर्वास सम्बन्धी योजनायों की क्रियानिन्वति के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया और उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) **और** (ख) : यह सूचना त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा उपल्बध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Impersonation Cases during Mid-term poll in Kerala

4717. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state the number of persons arrested on the charge of impersonation during mid-term poll help in Kerala in September, 1970 and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : The information is being collected from the Chief Electoral Officer, Kerala.

Scheduled Castes and Scheduled Tribe Candidates for the Post of Chief Parcel Clerks in Ferozepur Division (Northern Railway)

4718. **Shri P.L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number employees of Firozepur Division of Northern Railway who

were promoted during the period from 1967 to 1970 to the posts of Chief Parcel Clerks in the Grade of Rs. 250-380 (AS) on ad hoc basis or through selection and the number of employees out of them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) the basis of cancellation of selection made to the grade of Chief Parcel Clerks on the basis of the written examination held by the said Division in the year 1969 in which 4 Scheduled Castes e mployees had also appeared; and

(c) whether it is a fact that none of the 8 employees who have been offered the posts on the basis of selection made in the year 1970, belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the Post of Supervisor Special Ticket Examiner Grade (Delhi Division, Northern Railway)

4719. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees promoted on an ad hoc basis or on the basis of selection during the years 1967 to 1970 to the posts in the Supervisor special Ticket Examiner grade Rs. 250-380 (A.S.) in the Delhi Division of the Northern Railway and the number of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them; and

(b) the manner in which para 2 (for ad hoc promotions) of Railway Board's Circular No. E(S.C.T.) 68 CM.I./13, dated 6th December, 1969 has been given effect to and whether the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being ignored on the pretext of this Circular ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Abolition of Model Roster of Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4720. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the post at No.1 in the Model Roster of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes reservation for employees belonging to Scheduled Castes in services vide Railway Boards's Circular No. E(S.C.T)70, C: M: I: 5/10, dated 29th April, 1970 has been abolished; and

(b) if so, whether remedial steps are being taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

Ad-hoc Selection of Conductors in Firozepur Division (Northen Railway)

4721. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether it is a fact that the posts of Conductors in Gr. 250-380 in Firozepur Division of Northern Railway are filled up on an ad hoc basis for the last few years and no selection has so far been made as a result of which Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees are being deprived of their due ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Shed on the Bridge constructed at Tundla Railway Station

4722. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no shed on the bridge constructed at the Tundla Railway Station;

(b) if so, the time by which Government propose to get a shed constructed on the said bridge; and

(c) the reasons for not constructing any shed at Tundla Junction so far ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) & (c) : There is no such proposal at present. Passenger Amenity Works like provision of shed over foot overbridges are provided on a programmed basis in consultation with the Railway Users' Amenities Committee who take into consideration the relative priorities of such works at other stations and availabilities of funds.

Extension of Dankaur-New Delhi Shuttle service to Khurja

4723. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passengers travelling between Khurja and Delhi have demanded that Dankaur-New Delhi shuttle service be extended upto Khurja; and

(b) if so the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Extention of 1 DGR Dankaur—Rohtak shuttle from Khurja is not operation feasible at present for want of requisite terminal facilities at Khurja.

Compensation paid to the families of Harijans in Khurja accident

4724. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons killed or injured in the recent Railway accident at Khurja Junction were mostly Harijans;

(b) if so, the amount of compensation or immediate relief paid to the families of the deceased in each case; and

(c) the names and addresses of the deceased persons ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) This information cannot be furnished since particulars regarding caste of those who are killed or injured in a railway accident are nat recorded.

(b) Ex-gratia payment of Rs. 3000/- was made to the next of keen of 6 persons, including two railway employees, who died in this accident. No ex-gratia payment could be made in the case of three other persons who sustained fatal injuries as their next of kin did not turn up to receive the payment. The question of payment of compensation to the deceased railway employees under the Workmens' Compensation Act and to the others under section 82A of the Indian Railways Act and the Railway Accidents (Compensation) Rules framed thereunder, is being considered separately.

(c) (1) Shri Chowdhry, Dri ver of No. 1 AJD passenger train.

(2) Shri Harbans Singh, Fireman of No. 1 AJD passenger train.

(3) Shrimati Dhanwanti wife of Shri Mahi Lal, village Namsa, District Aligarh.

(4) Shri Rattan Lal, son of Shri Bhu Deo, village Namsa, District Aligarh.

(5) Kumari Neksi, daughter of Shri Mahabir, village Talwar, District Bulandshahr.

(6) Papoo, son of Shri Giasi Ram, village Namsa District Aligarh.

(7) Shrimati Bisha, wife of Shri Giasi Ram, village Namsa, District Aligarh.

(8) Shri Dinesh Kumar, son of Shri Ramesh Chand, House No. 340, Mohalla Moharram, Shahdara, Delhi.

(9) Shri Bhu Deo, son of Shri Kundan, village Namsa, District Aligarh.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए योजनाएं

4725. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें कौन-कौन सी योजनाएं 1970-71 और 1971-72 में पूरी हो जायेंगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) निम्नलिखित नई योजनाएं इस विभाग के विचाराधीन हैं :

(1) दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अन्तर्राज्यीत विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के लिए प्रायोगिक परियोजना ।

(2) मैट्रिक-उपरान्त अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थितों को गुण छात्रवृत्तियां ।

(ख) इन दोनों मामलों में निर्णय शीघ्र किए जाएंगे ।

उड़ीसा तथा मैसूर में हरिजनों के लिये भूमि का आवंटन

4726. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** . क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा तथा मैसूर राज्यों में हरिजनों को कितनी भूमि दी गई है;

(ख) इन राज्यों में कितने हरिजन भूमिहीन हैं; और

(ग) उन राज्यों में सरकार हरिजनों की भूमि कब तक दे सकेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : सूचना उड़ीसा तथा मैसूर सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

मुकेरियां तथा तलवाड़ा के (उत्तर रेलवे) बीच सवारी गाड़ी का चलाया जाना

4727. **श्री जय सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मुकेरियां और तलवाड़ा टाउनशिप के मध्य सवारी गाड़ियां न चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उक्त दो रेलवे स्टेशनों के बीच सवारी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मुकेरियां और तलवाड़ा के बीच की रेलवे लाइन केवल एक साइडिंग है जो पौंग बांध प्राधिकारियों के स्वामित्व में है और इस पर यात्री यातायात नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

Peaceful demonstration before the Divisional Superintendent, Samastipur (North Eastern Railway)

4728. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that during the course of inspection tour of Divisional Superintendent, Samastipur Division, North Eastern Railway to Narkatiaganj on 2nd November, 1970, the Railway employees there staged a peaceful demonstration before him in support of their demands and also handed over a charter of demands to him and took him round the colony;

(b) if so, the issues towards which the Railway employees of Narkatiaganj had drawn the attention of the Divisional Superintendent and the action taken by Government to solve those problems; and

(c) the action taken thereon ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Satyagraha and Hunger Strike by employees under the auspices of Purvottar Railway Mazdoor Sabha.

4729. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the auspices of Purvottar Railway Majdoor Sabha the Railway employees of Samastipur Division of North Eastern

Railway have observed mass satyagraha and hunger strike from 15t October, 1970 to 1st November 1970 before the Divisional Superintendent, Samastipur in order to get their 68-point just demands fulfiled;

(b) whether it is also a fact that about six thousand railway employees had staged a peaceful demonstration on 23rd October before the Divisional Superintendent, Samastipur in support of their demands;

(c) whether Government have taken any steps to meet the said demands of the railway employees; and

(d) if so, the details thereof?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) : Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Construction of Overbridge at Narkatiaganj Junction (North Eastern Railway)

4730. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the over-bridge at the Narkatiaganj Junction of the North Eastern Railway does not cover the yard as well as the Loco Shed fully and

(b) whether Government propose to reconstruct it and if so, by when ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : **(a) and (b).** The existing foot overbridge at Narkatiaganj connects the two platforms for the use of bona fide passengers. There is no proposal either reconstruct it or to extend it for public use.

If a new foot overbridge accross the Railway tracks is required or public use, such a facility, if other wise found feasible, can be constructed at the cost of local civil authority as "deposit" work on requisition by the concerned local civil authority.

बलसाड़ (पश्चिम रेलवे) में पार्सल तथा टिकट घरों के लिये कर्मचारी

4731. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री बलसाड़ (पश्चिमी रेलवे) में पार्सल तथा टिकट-घरों के लिये कर्मचारियों के सम्बन्ध में 11 अगस्त, 1970 के अतारांक्ति प्रश्न संख्या 2362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बलसाड़ में आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल सेवा आयोग के जारिए अब उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है। तैनाती के लिए जब ये उम्मीदवार उपलब्ध होंगे, तो बलसाड़ स्टेशन पर आवश्यक कर्मचारियों को तैनात कर दिया जायेगा।

जनता के दावों के निपटारे में विलम्ब के कारणों सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशें

4732. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प० ला० बारू पाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री जनता के दावों के निपटारे में बिलम्ब के कारणों सम्बन्धी जांच अयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में 5 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड ने अब तक विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विचारित सिफारिशों पर अलग-अलग सरकार ने क्या निर्णय किया हैं;

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्क्ति करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

(घ) रेलवे प्रशासन ने उन सिफारिशों की तत्काल क्रियान्क्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है; और

(ड) क्या रेलवे बोर्ड ने अब तक इन सिफारिशों को प्रकाशित किया है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 331 सिफारिशों में से 310 सिफारिशों पर अभी तक विचार किया जा चुका है शेष शिफारिशें विचार-मात्र हैं।

(ख) संलग्न सूची में उन सिफारिशों का विवरण दिया गया है जो पूर्णत: या अंशत : या आशोंधित रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं और जो स्वीकार नहीं की गयीं तथा जिस पर विचार किया जा रहा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4579/70]**

(ग) और (घ) : स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं रेल प्रशासनों को कहा गया है कि वे स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वित पर निगरानी रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करे ।

(ड) जी नहीं, क्योंकि यह समिति एक विभागीय समिति थी और उसकी रिपोर्ट सरकारी उपयोग के लिए है ।

अजमेर (पश्चिम रेलवे) स्थित मंडलीय अधीक्षक के कार्यालय के सिब्बन्दी अनुभाग में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें

4733. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने अजमेर मंडल के मंडलीय अधीक्षक के कार्यालय के सिब्बन्दी अनुभाग में भ्रष्टाचार के बारे में कई बुलेटन जारी किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक तथा अजमेर के मंडलीय अधीक्षक को एक खुला पत्र दिया था जिसमें इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम था ;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को दिनांक 4 नवम्बर 1970 का एक गुमनाम खुला पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अजमेर मंडल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कदाचार और कार्य कुशलता कतियम आरोप लगाये गये थे। पत्र के गुमनाम होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

To be Answered on the 15th December 1970.

Industrial Estates for Landless Persons in Madhya Pradesh

4734. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any Industrial Estate for the landless persons in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Allocation of Money for Scholarships in Madhya Pradesh

4735. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount allocated by the Central Government for Madhya Pradesh during the current financial year for granting scholarships to tribal students studying in colleges;

(b) whether in accordance with the existing orders scholarships have been granted only to those students who do not belong to Scheduled Tribes; and

(c) if so, the reasons therefor and the details in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department or Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) Rs. 2.84 lakhs in addition to the Committed expenditure provided by the State Government.

(b) & (c): Under the regulations of the Government of India Post-Matric Scholarships Scheme only those candidates who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are eligible. As such question of award of scholarships meant for Scheduled Tribes to those students who do not belong to that category does not arise.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैकचरिंग कम्पनी द्वारा एकमात्र वितरक की नियुक्ति

4736. **श्री अजमल खां** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊटकामण्ड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी ने चलचित्र फिल्मों के पोजिटिवों के लिये सारे देश के लिए एक मात्र वितरक की नियुक्ति की थी,

(क) क्या उक्त वितरक का सेवा काल बढ़ा दिया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा निर्मित चलचित्र फिल्मों के पोजिटिवों के वितरण में एकाधिकार को लेने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण)

(क) जी हां ।

(ख) कम्पनी के वितरक की संविदा को जैसे समय पर बढाया था जबकि वितरण के लिए उसी व्यवस्था के बनाये रखने की आवश्यकता का अनुभव किया गया था क्योंकि यह उत्पाद अपेक्षाकृत नया है । फिर भी, समय में विस्तार करने का दूसरा कारण यह भी था कि यह अनुभव किया गया कि अभी तक व्यापार की मात्रा इतनी अधिक नहीं हो पाई है कि नये अथवा अधिक वितरकों की नियुक्ति की जाये । यह भी अनुभव किया गया था कि इस अवसर पर समय-वृद्धि करने से कम्पनी को अपने उत्पादन पर अधिकाधिक ध्यान देने में सहायता मिलेगी बजाय इसके कि वह नये और अनुभवहीन अभिकरणों के द्वारा किए गये वितरण से उत्पन्न समस्याओं में उलझती रहे ।

(ग) वर्तमान वितरक की संविदा में 31 दिसम्बर 1970 तक समय-वृद्धि की गई है । संविदा के बढाये हुए समय के समाप्त होने से पूर्व ही समय के अन्दर-अन्दर नये अथवा अधिक वितरकों की नियुक्ति पर इस उपक्रम के विभिन्न उत्पादों के वितरणार्थ समय नीति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा ।

रेलवे आसूचना विभाग द्वारा उत्तर रेलवे में आरक्षण के मामले में होने वाली चोर बाजारी के बारे में रिपोर्ट

4737. **श्री बाल गोविन्द वर्मा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन के रेलवे आसूचना विभाग ने मंडलीय अधिक्षक, उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक और रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को आरक्षण के मामले में होने वाली चोर बाजारी के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं ; और

(ग) रेलवे अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं है, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मताधिकार के लिए आयु का घटाया जाना

4738. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री अदिजन :

श्री दे० अमात :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मतदान की आयु घटा कर 18 वर्ष करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और युवा संगठनों के अभ्यावेदनों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी की ओर से श्री जार्ज फरनेन्डीज, संसद सदस्य द्वारा 6 अप्रैल, 1970 का एक ज्ञापन, जिसमें **अन्य बातों के साथ-साथ** मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग भी थी, 30 अप्रैल, 1970 को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया था। ऐसे ही कुछ और अभ्यावेदन कुछ अन्य संगठनों की ओर से भी प्राप्त हुए थे।

(ख) इन पर विचार करने के बाद सरकार यह अनुभव करती है कि इस सम्बन्ध में कोई भी तब्दीली करना अभी आवश्यक नहीं है।

इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये निगम

4739. **श्री स० कुन्दु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंजीनियरिंग उत्पादों के संबंध में एक निगम की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नया इंजीनियरिंग निगम किन विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) से (ग) : राज्य व्यापार निगम के पूर्णरूप से स्वाभाविकायुक्त सहायक निगम के रूप में भारत का परियोजना व उपकरण निगम स्थापित करने का निश्चय

किया गया है यह निर्यातोन्मुख एकक बड़ी परियोजनाओं व विदेशों में टर्न की योजनाओं को देखेगा और इन बातों पर अपने प्रयास केन्द्रित करेगा : (1) रेल इंजनों और अन्य डिब्बों, मालडिब्बों, रेल की लाईनों व सिगनल के उपकरणों आदि सहित रेलवे प्रणालियों ; (2) सम्पूर्ण औद्योगिक संयंत्र व परियोजनाएं, (3) सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुएं ; (4) ढ़ाल कर बनाई जाने वाली वस्तुएं ; गढ़ाई के तरीके से बनाई जाने वाली वस्तुएं, सहायक उपकरण व वस्तुएं ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारी पर हमला

4740. **श्री स० कुन्दु :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रशासन अधिकारी को 22 नवम्बर, 1970 को डियुटी से लौटते समय छुरा मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अधिकारियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की कई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) और (ख)** : दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रशासक अधिकारी श्री जी० सी० मुखर्जी को 22-11-70 को सायं 8 बजे के करीब बेनाचित्ति के निकट इस्पात मार्केट में कुछ गुण्डों ने छुरा भोंक दिया था ।

(ग) कारखाने के प्राधिकारी सुरक्षा के प्रबन्धों को और भी अच्छा बना रहे है तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार समाज विरोधी तत्वों से निपटने के लिए उचित कार्यवाही कर रही है ।

विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण

4741. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण के लिये स्कूटर के किसी माडल अथवा माडलों का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों या फर्मों के नाम क्या है जिन्होंने माडल दिये हैं ; और

(ग) क्या किसी फर्म के साथ सहयोग की शर्तें तय कर ली गई है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण). (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठते।

पूंजी निवेश में कमी

4742. **श्री डी० एन० पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पूंजी निवेश केन्द्र के अध्यक्ष ने यह कहा बताते है कि एकाधिकार तथा पेन्टेट अधिनियमों के कारण निर्णय लेने में बाधा पड़ी है तथा भारतीय और विदेश उद्यमियों में अनिश्चितता तथा भ्रम की स्थिति पैदा हुई है ;

(ख) क्या इन दोनों क्षेत्रों की ओर से पूंजी निवेश में कमी हुई ; और

(ग) उक्त परिणाम का उपरोक्त (क) भाग में वर्णित स्थिति से क्या सम्बन्ध है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): **(क) से (ग)**: 19 दिसम्बर को हुई भारतीय विनियोजन केन्द्र की वार्षिक आम बैठक में भारतीय विनियोजन केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा दिए गये भाषण की सरकार को सूचना मिली है। फिर भी सरकार के विचार से इस समय भारत में चल रही नीति और उसके औचित्य के ढ़ाचे के अन्दर भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के विनियोजन के लिए पर्याप्त गुंजाइश है तथा वातावरण स्थिति इस प्रकार के विनियोजनों के अनुकूल है। नयी औद्योगिक नीति अभी कुछ ही महीने पूर्व घोषित की गई है अतः इस स्थिति में उसके प्रभाव का अंकन करना शीघ्रता होगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

4743. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार करने के प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा की गई किसी आपत्ति के कारण ऐसा किया जा रहा हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

कागज नगर (आंध्र प्रदेश) में कागज मिल

4744. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) जिले में कागज नगर में स्थित कागज मिल के कार्य के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : **(क) से (ग)** : कागज नगर में कागज मिल के काम करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि कागज नगर जिला आदिलाबाद के कुछ कारखानों के कर्मचारियों की ओर से श्री अब्दुल रसूल द्वारा प्रधानमंत्री सचिवालय में तीन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कारखानों के प्रबन्ध के बारे में कुछ शिकायतें की गई है, मंजूरी बोर्ड की स्थापना के लिए मांग की गई है और हड़ताल की धमकी दी गई है । ये पत्र श्रम, रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय (श्रम व रोजगार विभाग) को भेज दिये गये हैं ।

शटल तथा लोकल गाड़ियों का समय पर चलना

4745. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देश में शटल तथा लोकल गाड़ियों को विशेषकर उन गाड़ियों को जिनसे दफ्तर जाने वाले रोज़ाना यात्रा करते हैं समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : रेल प्रशासन सवारी गाड़ियों को समय से चलाने के प्रश्न को सदा अत्यन्त महत्व देते रहे हैं । जहां तक उपनगरीय गाड़ियों को चलाने का

सवाल है, उपनगरीय गाड़ियों का, डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की भी अपेक्षा, अधिक महत्व जाता है और एक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों की तुलना में भी इन गाड़ियों को तरजीह दी जाती है। फलस्वरूप विभिन्न रेलों पर उपनगरीय गाड़ियों का समय-पालन, बिजली गाड़ियों के मामले में 90 प्रतिशत तक और भाप गाड़ियों के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत तक अधिक रहा है।

रेलवे	उपनगरीय गाड़ियों का समय पालन	
	बिजली	बिजली से इतर
पूर्व	89.9	81.3
दक्षिण पूर्व	93.6	90.8
पश्चिम	94.3	—
मध्य	91.3	—
दक्षिण	95.2	85.1

मंडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सवारी गाड़ियों के देर से पहुंचने की सभी घटनाओं का सविस्तार विश्लेषण किया जाता है और देर से पहुंचने की परिहार्य घटनाओं के बारे में, ऐसी घटना होने के तुरन्त बाद, सुधारात्मक/दण्डात्मक उपाय बरते जाते हैं। रेलों के क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी देर से पहुंचने की घटनाओं की समीक्षा प्रतिदिन की जाती है।

जहां तक देर से पहुंचने की अपरिहार्य घटनाओं का सम्बन्ध है, निवारक उपाय असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। फिर भी, जहां तक व्यवहारिक होता है इन कारणों को दूर करने का हर सम्भव उपाय किया जाता है, उदाहरण के लिए :—

(i) खतरे की जंजीर की बुराई को दूर करने के सम्बन्ध में शैक्षिणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों की सहायता से शिक्षात्मक प्रोपोगंडा किया जाता है और रेल सुरक्षा दल तथा पुलिस की सहायता से अचानक छापे मारे जाते हैं।

(ii) संचार के तारों की चोरी की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तांबे के तारों के बदले इस्पात के तार लगाये जा रहे हैं और माइक्रोवेव प्रणाली एवं रेडियो टेलीफोनों की व्यवस्था की जा रही है।

(iii) खम्भों के ऊपर लगे तारों की चोरी की घटनाएं होने के लिए जैसे और जब सम्भव होता है, सधनरूप से गश्त लगाने की व्यवस्था की जाती है।

तामिलनाडु में टायर तथा ट्यूब के कारखाने के लिये आवेदन

4746. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने तामिलनाडु में एक टायर तथा ट्यूब के कारखाने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) : तामिलनाडु औद्योगिक निगम ने तमिलनाडु में मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया था। प्रतिवर्ष लाख मोटर गाडी के टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण करने के लिये उन्हें एक आशय.पत्र जारी करने का निश्चय किया गया है।

तामिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खादी की बिक्री

4747. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने तामिलनाडु राज्य में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों पर खादी उधार देने की योजना लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

मदुरा डिविज़न (दक्षिण रेलवे) से वाणिज्यिक लिपिकों के पदों का वापिस लिया जाना

4748. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मदुरा डिविज़न के स्टेशनों पर से वाणिज्यिक लिपिको के पद वापस लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वापस लिये गये पदों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बारे में मदुरा के अखिल भारतीय वाणिज्यिक लिपिक संघ ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक तथा मदुरा के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक ज्ञापन पेश किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उद्योगों में पूंजी निवेश पर दत्त पेनल प्रतिवेदन

4749. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दन्त पेनल प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचारों के कारण विदेशी पूंजी का निवेश रुक गया है,

(ख) क्या 'सरकार आयोग की सूची में 20 बड़े औद्योगिक गृहों और 60 बड़ी स्वतंत्र कम्पनियों को शामिल किये जाने के कारण हमारे उद्योगों में विदेशियों की दिलचस्पी समाप्त हो गई है, यदि नहीं, तो उसके कोई अन्य कारण है,

(ग) क्या सरकार, बिना विदेशी सहयोग के ही, आधुनिकतम जानकारी के आधार पर उद्योगों का विकास करने और उत्पादन में सुधार करने तथा रोजगार में वृद्धि करने की आशा करती है, और

(घ) एकाधिकारिता तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को अब तक कितने आवेदन-पत्र मिले हैं, यदि कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला है तो आयोग के जारी रखने में क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) से (ग) : जी नहीं। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि भारत में इस समय प्रचलित नीति के अन्तर्गत देश में गैर-सरकारी विनियोजन के लिये काफी गुंजाइश है। भारत में तकनीकी जानकारी और पूंजी विनियोजन के प्रवाह की समस्या पर सम्पूर्ण आर्थिक सरकार की नीतियों और सामाजिक उद्देश्यों और भारत में अब तक हुए विकास के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

सरकार अब भी तकनीकी और आर्थिक विदेशी सहयोग की आवश्यकता और महत्त्व को विशेष कर उत्पादन के जटिल क्षेत्रों में इसे स्वीकार करती है। विदेशी सहयोग और विनियोजन के मामलें में एक चुनी हुई नीति अपनाई गई हैं ताकि जटिल उद्योगों के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी और विदेशी विनियोजन का एक ओर आयात होता रहे और दूसरी ओर देश में हुए अनुसंधान और विकास पर पूरा ध्यान दिया जा सके।

(घ) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्म व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969, के अध्याय 3 के अधीन एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से आशा की जाती है कि वह इस प्रकार के विस्तार के लिए आवेदन पत्रों, नये उपक्रमों की स्थापना करने अथवा उन उपक्रमों को मिलाने के लिये जो धारा 20 के अधीन आते हैं और जिन्हें इसके पास जाँच और रिपोर्ट के लिये भेजा जायेगा पर सरकार को परामर्श देगा। अब तक इस प्रकार के कुछ आवेदन पत्र समवाय-कार्य विभाग को प्राप्त हुए हैं और इन पर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से सरकार विचार कर रही है। सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे आवेदनों पर या तो प्रत्यक्ष निर्णय ले ले या उचित समझने पर और उन्हें और आगे जाँच के लिए आयोग को भेज दे। ऐसे मामलों में आयोग उपयुक्त सुनवाई के बाद आवेदन पत्र के बारे में अपनी रिपोर्ट/सलाह सरकार को देगा। अब तक जाँच किये गये किसी भी मामले में आयोग की राय नही मांगी गई है। जहाँ तक अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन आने वाले प्रतिबन्धात्मक व्यापार समझौतों का संबंध है, आयोग ऐसे व्यापार समझौतों की गैर सरकारी शिकायतों पर अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा भेजे जाने या केन्द्र या राज्य सरकार के कहने पर या आयोग स्वयं अपनी जानकारी पर उपयुक्त आदेश पास कर सकता है इसी प्रकार अधिनियम में परिभाषित किन्हीं व्यापार प्रक्रियाओं पर केन्द्रीय सरकार के कहने पर अथवा स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर आयोग जाँच पड़ताल कर सकता है और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम की योजना के अन्तर्गत एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग एक अनिवार्य और स्थायी शासन तन्त्र है।

शोलापुर डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के डिवीजनल कार्यालय में अनुसूचित जातियों के लिपिक कर्मचारी

4750. **श्री सोनावने :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे में शोलापुर डिवीजन के मुख्य कार्यालय के डिवीजनल कार्यालय के कर्मचारियों में इस समय अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लिपिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त संख्या अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कोटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दस ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण ।

(घ) लिपिकों की भर्ती के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध को आंशिक रूप में हटा लिया गया है और रेल सेवा आयोग को मांगपत्र भेजा गया है ।

शोलापुर डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में अनुसूचित जातियों के कोटे का पूरा न किया जाना

4751. **श्री सोनावने** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के शोलापुर डिवीजन में इस समय अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित एक भी लोको-इंस्पेकटर, सहायक लोको-फोरमैन, फोरमैन, कन्ट्रोलर तथा कार्मशियल इंस्पेकटर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित कोटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लातूर से मिराज तक बड़ी लाइन

4752. **श्री सोनावने** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातूर से मिराज तक छोटी लाइन को बड़ी में परिवर्तित करने के बारे में (अलाभप्रद ब्रांच लाइन समिति के प्रतिदिन से पहले) यातायात सम्बन्धी इंजीनियरिंग तथा तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में इस प्रकार के कार्यों पर धन खर्च करने का क्या लाभ है; और

(ग) दक्षिण मध्य जोनल रेलवे से प्रतिवेदन पूरा करने के लिए प्राप्त हो गये हैं और 1970-71 में परिवर्तन के लिये कोई नया सर्वेक्षण किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) और (ख) : मिरज कुरुडुवाडी-लातूर छोटी लाईन खण्ड को बड़ी लाईन में बदलने के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण 1956-57 में किये गये थे और यह परियोजन अलाभप्रद पायी गई। अलाभकर शाखा लाईन समिति, 1969 की सिफारिशों के आधार पर, वर्तमान यातायात की संभावनाओं और केवल कुरुडुवाडी पढंरपुर छोटी लाईन खण्ड की बढ़ी लाईन से बदलने के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए यातायात सर्वेक्षण अब शुरु किया गया है।

कुरुडुवाडी-पंढरपुर खण्ड का यातायात सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

अन्दूल-कलकत्ता कार्ड लिन्क प्रोजेक्ट (पूर्व रेलवे) में काम कर रह नैमितिक मजदूरों को खपाना

4753. **श्री भगवान दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में अन्दूल-कलकत्ता कार्ड लिक प्रोजेक्ट में वर्ष 1964 से कार्य कर रहे सभी नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी कर दी गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक ने नैमित्तिक मजदूरों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें खुली लाइन रख-रखाव कार्य तथा अन्य परियोजनाओं में काम पर रख लिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त आश्वासन को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बर्खास्त किये गये मजदूरों को अन्य काम पर लगा कर बहाल करने के लिये क्या सरकार का विचार तुरन्त ही कोई कार्यवाही करने का है; यदि हां, तो उन्हें कब तक खपा लिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास के निकट पैराम्बूर में हुई रेल दुर्घटना से सम्बन्धित जांच प्रतिवेदन का प्रकाशन

4754. **श्री अ० के० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने 31 अक्तूबर, 1970 को मद्रास के निकट पैराम्बूर में हुई 19 मद्रास-कोचीन मेल की दुर्घटना की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उक्त जांच प्रतिवेदन को प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : दुर्घटना के कारण और उसकी जिम्मेदारी के सम्बन्ध में रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की रिपोर्ट का इन्तज़ार है ।

हवील सेटों की कमी

4755. **श्री पी० राममूर्ति** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1970 को "स्टेटसमैन" के कलकत्ता संस्करण में "वैगन निर्माताओं के सामने संकट" (वैगन बिल्डर्स फेसिंग क्राइसिस) शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हवील सेटों की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

(ग) पांच तथा छः मिलीमीटर की इस्पात प्लेटों की कमी होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्ला ये इस्पात-प्लेटें खुले बाजार में अत्यधिक मूल्यों पर उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ये इस्पात-प्लेटें खुले बाजार में किस प्रकार सुलभ हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बढ़ी हुई मांग की तुलना में इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी रही हैं ।

(घ) और (ङ) : ऐसी सूचना मिली है कि खुले बाजार में इस प्रकार की प्लेटें उपलब्ध हैं । इस्पात कारखानों और उनके माल गोदामों से व्यापारियों को सीमित मात्रा में इनकी सप्लाई की जाती है । सरकार द्वारा इस बारे में पहले ही कदम उठाये गये हैं कि वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई किया गया माल खुले बाजार में न पहुंचने पाये ।

बनगांव-बारासात डब्लिंग योजना के अन्तर्गत अन्दूल-कलकत्ता लिंक प्रोजेक्ट के छंटनी किये गये कर्मचारियों का खपाना

4756. **श्री पी० राममूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के प्रशासन ने बनगांव-बारासात डब्लिंग योजना के निर्माण कार्य का तुरन्त ही आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना में अन्दूल-कलकत्ता लिंक प्रोजेक्ट के छंटनी किये गये कर्मचारियों के खपाने के बारे में विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) : जी नहीं ।

(ख) से (घ) : सवाल नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे में टेलिप्रिन्टर आपरेटरों के बारे में स्पष्टीकरण

4757. **श्री चित्तिबाबू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे को छोड़कर सभी जोनल रेलवेज़ में टेलीप्रिन्टरों पर प्राप्त होने वाले सन्देशों पर नम्बर डाले जाते हैं तथा उन पर अलग कर्मचारी (टेबल ड्यूटी पर तैनात सिगनलर/सीनियर सिगनलर) कार्यवाही करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल दक्षिण रेलवे में ही टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को उनके द्वारा प्राप्त संदेशों पर नम्बर डालने तथा पंजीकृत करने (टी सी नम्बर डालना तथा टी सी नम्बर बुक में पंजीकृत करना) को कहा जाता है जबकि अन्य जोनल रेलवेज में ऐसा नहीं किया जाता;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे को अनुदेश जारी किये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या दक्षिण रेलवे के टेलीप्रिन्टर आपरेटरों के कार्य को "भारी कार्य" की संज्ञा दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीनियर वायरलैस आपरेटरों/वायरलैस ट्रैफ़िक सुपरवाइजरों (दक्षिण रेलवे) के रिक्त पद

4758. **श्री चित्तिबाबू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में सीनियर वायरलैस आपरेटरों/वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइजरों के 210-380 रुपये के वेतन-मान वाले कुछ पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) : जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली के स्टेशनों पर घटिया किस्म की चाय की बिक्री

4759. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली तथा दिल्ली स्टेशनों पर खोम्चे वालों द्वारा बेची जाने वाली चाय बहुत घटिया किस्म की होती है और चाय के अन्य तत्वों से रहित केवल गर्म पानी होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यह सच नहीं है कि नयी दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों पर बेची जाने वाली चाय घटिया किस्म की है । यह इस बात से स्पष्ट है कि 1.1.1970 से 15.11.1970 तक की अवधि में रेल प्रशासन को दिल्ली मेन स्टेशन पर बेंची जाने वाली चाय की घटिया किस्म के बारे में केवल एक शिकायत मिली है ।

(ख) केवल इसी एक शिकायत पर दोषी पाये गये खोम्चे वाले के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर बेची जाने वाली चाय अच्छे किस्म की हो, नियमित रूप से उनकी अचानक जांच की जाती है।

दिल्ली से नागपुर तक विद्युत-चालित गाड़ी

4760. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से नागपुर तक विद्युत-चालित गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क). जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) विद्युतीकरण की परियोजनाओं पर शुरू में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है जिसमें काफी विदेशी मुद्रा भी शामिल है। केवल उन्हीं खण्डों के विद्युतीकरण का औचित्य होता है जिन पर इतना अधिक यातायात होता है जिसे ग्रेडों आदि के कारण भाप इंजनों द्वारा नहीं ढोया जा सकता और जहां डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाये जाने की अपेक्षा बिजली से गाड़ियां चलाये जाने का विकल्प सस्ता पड़ता है। धन और विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में अर्थापाय की स्थिति सीमित होने के कारण विद्युतिकरण के काम को उपयुक्त रूप से चरणबद्ध करना आवश्यक है। जैसा कि वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि सम्भवत : दिल्ली से नागपुर (1094 मार्ग किलोमीटर) तक के विद्युतीकरण पर, जिस पर शुरू में भारी रकम और विदेशी मुद्रा खर्च होगी, निकट भविष्य में विचार नहीं किया जा सकेगा।

मुद्रण कागज की कमी

4761. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाठ्य पुस्तकों के लिये छपाई के कागज की बहुत अधिक कमी है और इसके परिणामस्वरूप पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता में अत्यधिक कमी की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कागज की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी की पूर्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : **(क) से (ग)** : लिखने और छापने के कागज की कुछ कमी तो वास्तव में हैं। इन कागजों का उत्पादन करने वाली कागज की मिलों के बारे में खबर मिली है कि वे 60 जी० एस० एम० और उससे ऊपर का कागज बना रही हैं जबकि लिखने की कापियों और पाठ्य पुस्तकों के लिए सामान्यतया 56 जी० एस० एम० का कागज इस्तेमाल किया जाता हैं। सरकार द्वारा गठित कागज सम्बंधी तदर्थ समिति विशेषरूप से लिखने और छापने के कागज की बढ़ती हुई कमी की समस्याओं की जांच कर रही है और कागज उद्योग की सयुंक्त समिति से बातचीत करके मई से लेकर जुलाई, 1970 तक 56 जी० एस० एम० के लिखने व छापने के 15 हजार मी० टन कागज की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन सप्लाई की व्यवस्था की है, इसके अलावा स्थिति का सामना करने के लिए वर्तमान कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केश प्रोग्राम शुरू किया गया है। वर्तमान क्षमताओं के विस्तार के लिए लासेंइस भी दिए गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में नई क्षमताए मंजूर की गई हैं। कागज उद्योग संबन्धी तदर्थ समिति उत्पादन के ढांचे और कागज के मूल्यों व वितरण को नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा रही है।

Expenditure on Education in Schools Run by Railways.

4762. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the expenditure being incurred per student in Railway Schools is comparatively more than that being incurred in other Government Schools:

(b) If so, the extent of additional expenditure incurred per student in Railway schools;

(c) The estimated additional expenditure incurred in all the Railway Schools on account of this difference; and

(d) whether Government propose to hand over these schools to the Ministry of Education, and if not, the reasons therefor?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) to (d): Do not arise.

औद्योगिक विकास

4763. **श्री एस० के सम्बन्धन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षित्त कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की गति में रुकावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक यह रुकावट आई है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की रुकावटों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): **(क) से (ग)** : देश में तकनीकी जानकार हैं जिनमें इन्जीनियर कौशल प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषक्षता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसे क्षेत्रों में और विशेशकर जटिल उत्पादन क्षेंत्र में आरम्भ में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी होती है। तदपि यह कहना सही नहीं होगा कि इस कारण औद्योगिक प्रगति में अड़चन पड़ी है।

खादी उद्योग को सहायता

4764. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी उद्योग को सहायता देने की वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उस उद्योग के लिये कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या सहायता की व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सम्बद्ध जानकारी खादी ग्रामोद्योग आयोग की पैटर्न आफ असेस्टेंस फार खादी तथा विलेज इण्डस्ट्रीज शीर्षक की पुस्तिका में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय को संदर्भ के लिये प्रेषित की गई हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि सरकार द्वारा दी गई :

वर्ष	करोड़ रुपये
1967-68	11.41
1968-69	9.55
1969-70	9.86

(ग) कार्यकारी पूंजी के रूप में सहायता के ढंग को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

एम० एस० छड़ों की सप्लाई हेतु केरल सरकार से अभ्यावेदन

4765. **श्री मंगला थुमाडम :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि एम० एस० छड़ों की कमी के परिणामस्वरूप इसका निर्माण कार्य दुष्प्रभावित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार को पर्याप्त मात्रा में एम० एस० छड़ें सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने अक्तूबर-दिसम्बर, 1970 की अवधि में अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए इस्पात प्राथमिकता समिति से समय रहते अनुरोध नहीं किया था फिर भी इसी अवधि में लोहा और इस्पात नियन्त्रक के आरक्षित भण्डार में से उनको 303 टन गोल छड़ों का आवंटन किया गया था। केरल लोक-निर्माण विभाग को जनवरी-मार्च, 1971 की अवधि में 768 टन गोल छड़ और सप्लाई करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

खन्ना रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ियों का रुकना और खन्ना चण्डीगढ़ के बीच रेलवे लाइन का बनाया जाना

4766. **श्री बूटा सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खन्ना क्षेत्र निवासी संघ (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली ने एक अभ्यावेदन में खन्ना रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ियों के रुकने और खन्ना और चण्डीगढ़ के बीच रेलवे लाइनें बनाये जाने की मांग की है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उस क्षेत्र का उस उद्देश्य से सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 27 अप 28 डाउन फ्लाइंग मेल गाड़ियों को खन्ना स्टेशन पर ठहराने के सम्बन्ध में खन्ना एरिया रेजिडेंटस एसोसियेशन, नयी दिल्ली का 18-7-69 का एक अभ्यावेदन स्वयं संसद् सदस्य ने अग्रेषित किया था।

(ख) खन्ना-चण्डीगढ़ रेल सम्पर्क के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। परन्तु, चण्डीगढ़ के रास्ते जगाधरी से लुधियाना तक रेलवे लाइन के मार्ग निर्धारित करने के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण हाल में शुरू किया गया है और वह जारी है।

(ग) खन्ना स्टेशन पर यातायात की मात्रा और गाड़ियों की उपलब्धता को देखते हुए 27 अप 28 डाउन फ्लाइंग मेल गाड़ियों को वहाँ ठहराने का औचित्य नहीं पाया गया।

गोविन्दगढ़-खोखर रेलव स्टेशन पर प्लेटफार्म

4767. **श्री बूटा सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में गोविन्दगढ़-खोखर रेलवे स्टेशन पर उपयुक्त रेलवे प्लेटफार्म बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस स्टेशन पर पर्याप्त स्थान के अभाव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं नीची सतह वाला पक्का प्लेटफार्म पहले से मौजूद है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

पूर्व रेलवे के चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां

4768. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूर्व रेलवे के चिकित्सा विभाग में 250-380 रुपये के वेतनमान में सलेक्शन पद पर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया ; और

(ख) पूर्व रेलवे के चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये कितने प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोई नहीं।

(ख) तृतीय श्रेणी के प्रवरण पदों जहां सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाती, पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश : 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत तक पदों का आरक्षण स्वीकार्य है ।

रेलवे डाक्टरों की पदोन्नति के अवसर

4769. **श्री मसुरियादीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की कमजोर वित्तीय स्थिति और तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति के बावजूद भी रेलवे ने गत मास डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट और विभागों के अध्यक्षों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे डाक्टरों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार न करने के क्या कारण हैं जबकि उनका मामला 1964 से प्रशासन के विचाराधीन है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : **(क) और (ख)** : जी हां। मण्डल अधीक्षकों और विभागीय प्रधानों के वेतन-मानों में संशोधन के साथ-साथ 1-10-1970 से मुख्य चिकित्सा अधीकारियों के वेतनमान में भी संशोधन किया गया है जिसे 1800-100-2000 रु० से बढ़ा कर 1800-100-2000-125-2250 रु० तक कर दिया गया है। 1964 के बाद, रेलवे डाक्टरों की पदोन्नति की सम्भावनाओं एवं सेवा की शर्तों में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं :-

(i) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कुछ किया गया था, उसके अनुसार चिकित्सा स्नातक जो सहायक सर्जनों के पदों पर काम कर रहे थे, उनके सभी पदों का ग्रेड श्रेणी III में 335-650 रु० के वेतनमान से बढ़कर श्रेणी II में वेतन मान 350-900 रु० कर दिया गया है ।

(ii) 350-900 (श्रेणी II) वेतनमान में सहायक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि इस ग्रेड की 25% खाली जगहें 335-650 रु० (श्रेणी III) के वेतनमान में वर्तमान लाइसैंस-धारी सहायक सर्जनों की पदोन्नति द्वारा भरी जाएं ।

(iii) चिकित्सा अधीक्षकों की एक नयी कोटि बनायी गयी है जिसमें से कुछ 1600-1800 रु० के मध्यवर्ती प्रशासकीय ग्रेड में और शेष 1300-1600 रु० के कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में । यह कोटि चिकित्सा विभाग में अब तक नहीं थी ।

(iv) 350-900 रु० (श्रेणी II) के ग्रेड में सहायक चिकित्सा अधिकारियों की 700-1300 रु० (श्रेणी I) के ग्रेड में मण्डल चिकित्सा अधिकारियों के पदों में पदोन्नति का कोटा 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(v) प्रैक्टिस न करने के भत्ते की दरों में निम्नलिखित सुधार किया गया है :

पदनाम	प्रैक्टिस न करने का प्रतिबन्धित भत्ता	
	1-1-66 से पहले	1-1-66 से संशोधित
निदेशक, स्वास्थ्य, रेलवे बोर्ड	कुछ नहीं	500 रु० प्रति मास
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	कुछ नहीं	500 रु० प्रति मास
चिकित्सा अधीक्षक	कुछ नहीं	वेतन का 35% प्रति मास लेकिन अधिक से अधिक 500 रु० प्रति मास
मंडल चिकित्सा अधिकारी	वेतन का 20 प्रतिशत	वेतन का 35 प्रतिशत लेकिन अधिक से अधिक 400 रु० प्रति मास
सहायक चिकित्सा अधिकारी	वेतन का 20 प्रतिशत लेकिन कम से कम 125 रु० प्रति मास	वेतन का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत लेकिन कम से कम 150 रु० प्रतिमास
सहायक सर्जन@	,,	,,

@केवल वर्तमान लाइसैंसधारी सहायक सर्जनों पर लागू । यह कोटि अब समाप्त हो रही है ।

जबलपुर डिवीजन (मध्य रेलवे) में कोयले की खपत के सम्बन्ध में मितव्ययता अभियान

4770. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में कोयले की खपत के सम्बन्ध में मितव्ययता अभियान चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) कोयले की खपत में किफायत में सफलता मिली है ।

Solemnisation of Marriages in Violation of Prevention of Child Marriage Act

4771. Shri Omprakash Tyagi : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many marriages are being solemnised in India in violation of the Prevention of Child Marriage Act; and

(b) if so, the action in this regard proposed to be taken by Government ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) Government has no authentic information in the matter.

(b) Does not arise.

Committee for Industrial Development of Eastern U.P.

4772. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether a Committee for the industrial development of Eastern Districts of U.P. has been constituted under the Chairmanship of Shri P.D. Dube wherein it has been decided to set up Branches of the said Committee in the 15 Districts of the Eastern region and to get the Committee recognised by the Central and State Governments, as reported in 'Aaj' of 18th October, 1970 under the caption "Purvanchal Audyogic Vikas Samiti"; and

(b) if so, the terms of reference of the said Committee and the action being taken in this regard.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) and (b) : Information is being collected.

Multi-Purpose Survey of Eastern Districts of U.P.

4773. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in 'Aaj' dated the 18th October, 1970 under the caption "Vikas Karyon Ka Sarvekshan" regarding the multipurpose survey being conducted by the Survey of India in a number of districts in the northern part of India such as Gorakhpur, Deoria, Faizabad, Ajamgarh and Basti; and

(b) if so, the progress made in the said survey so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna): (a) No development survey is being conducted by the Survey of India in these districts and only normal topographical survey is being done by this body in parts of Gorakhpur, Deoria & Basti districts, control work for future topographical survey is in progress in Azamgarh district. No topographical survey work is being done at present in Faizabad district.

(b) Does not arise.

नरेशों की मान्यता समाप्त किये जाने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में

RE : SUPREME COURT'S JUDGEMENT ON DERECOGNITION OF PRINCES ORDER

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे····

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त हो जायेगा। **(व्यवधान)** आप सब बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)** **मुझे अभी इस आशय की कुछ पर्चियां मिली हैं कि उच्चतम न्यायालय ने नरेशों की मान्यता समाप्त करने को शक्ति के बाहर बताया है....

कुछ मानवीय सदस्य : शर्म, शर्म।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे वाद-विवाद नियमित करना है। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने मेरे पास पर्चियां भेजी हैं। वह इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। यदि किसी नियम के अधीन नियमित प्रस्ताव दिया जाता तो कहीं अधिक अच्छा होता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम सभी विशेषकर संसद् और देश के लोग निजी थैलियों की समाप्ति चाहते हैं···· **(व्यवधान)** उच्चतम न्यायालय ने नरेशों की मान्यता समाप्त करने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश को शक्ति-बाह्य ठहराया है। इस से नई स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि केवल प्रक्रिया के आधार पर

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

उच्चतम न्यायालय सामने आया है। उच्चतम न्यायालय चाहे कैसा भी निर्णय दे परन्तु संसद् को जनता के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाना है। अतः मेरा अनुरोध है कि संसद् स्थगित होने से पूर्व सरकार निजी थैलियों की समाप्ति सम्बन्धी विधेयक लाये और एक ही दिन में उसे पारित करे। मुझे आशा है कि दोनों सदन विधेयक का समर्थन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह वक्तव्य दे कि वह आज दोपहर में इस सदन में विधेयक ला रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Government had introduced a Bill for abolition of Princes Privy purses and privileges but that Bill was not passed in the Rajya Sabha. The Government should have waited and after expiry of six months they should have introduced another Bill but, they wanted to abolish the princes Privy purses and privileges through an executive order. The Supreme court has slapped the Government..... **(Interrpution)** If this Government feel ashamed, they should resign .....**(Interruption)**.....

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) :**

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Banerjee should withdraw his words.**

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस सदन में भाषण की स्वतन्त्रता होनी चाहिये **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह बाधा डालते गये तो कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You take a decision.**

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। यह गलत बात है। आप टिप्पणी करते समय सावधान रहिये। वे भी इस सदन की तरह प्रतिष्ठत निकाय है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This house will have to accept the judgement of the Supreme Court** Democracy cannot function like this in the country. I request.....**(Interruptions)** .....I demand..... **(Interruption)**.....

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : The whole Nation knows that millions and millions of people in the country welcomed the steps taken by the Government about nationalisation of Banks and abolition of the Purses..... **(Interruptions)**... The people of the country thought that they would get rid of the status quo situations and the weaker section would progress and advance.....**(Interruptions)**.

Although a serious situation has arisen as a result of the judgement of the Supreme Court but we must respect our judiciary and find out other democratic ways for abolition of the Purses.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the chair.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम इस सदन में प्रजातान्त्रिक संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। संविधान के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के लिये सदन अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की मिथ्या निन्दा करना उचित नहीं है। उस तरह से मेरे मानवीय मित्र कहते हैं कि निजी थैलियों की समाप्ति विधेयक को इस सदन में बहुमत से पारित किया गया था परन्तु यदि यह सदन संविधान में जो विशेष प्रक्रिया निश्चित की गई है उसके अनुसार कार्य करे तो कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि संसद् ने विधेयक को पारित किया है। **(व्यवधान)** यह पारित तो किया गया था परन्तु हार हुई थी। यदि सरकार प्रजातान्त्रिक परम्परायें कायम रखना चाहती थी तो उसी समय त्याग-पत्र दे देती परन्तु उसमें औचित्य निर्धारण करने की शक्ति नहीं होने के कारण वैसा नहीं किया।

तब, क्या हुआ ? उसने अप्रजातान्त्रिक तरीके से राष्ट्रपति से एक कार्यकारी आदेश जारी करवाया जो उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। सरकार को त्याग-पत्र दे कर पुनः विश्वास मत प्राप्त करके उचित प्रजातान्त्रिक और संवैधानिक तरीके से विधेयक को चाहे जिस रूप में पारित करना चाहिये।

गत कुछ दिनों से देश में ऐसा वातावरण बन गया है कि मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं अथवा नहीं। प्रधान मंत्री के लिये सुअवसर आ गया है कि वह जनता के पास जाये और उससे पूछे कि वह इस सरकार को चाहती है अथवा नहीं।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सरकार की अकार्यकुशलता, अयोग्यता और अधीरता से अच्छे विचार भी विवादास्पद बन जाते हैं। इस सदन ने विधेयक पारित कर दिया था परन्तु राज्य सभा ने उसे पारित नहीं किया। उस आधार पर सरकार को छः महीने रुक कर फिर एक विधेयक लाना चाहिये था परन्तु शीघ्रता से उसने नरेशों की मान्यता समाप्त कर दी। उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। यदि सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाती है तो उसे त्याग-पत्र देना चाहिये और जनता के पास जाकर उस का फैसला लेना चाहिये। प्रधान मंत्री साहस करके त्याग-पत्र दें। और जनता के समक्ष जायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह कुछ विचित्र लगता है जब संसद् सदस्य के रूप में हम में से कुछ व्यक्ति जनता और संसद् में जागरूक में रुचि नहीं लेते हैं। निस्सन्देह उच्चतम न्यायालय वर्तमान व्यवस्था में सम्मान का स्थान रखती है परन्तु न्यायपालिका द्वारा संसद् की महत्ता कम कर दी जाये, यह बात संसद् को कभी स्वीकार्य नहीं होगी। अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में जहां हमारे जैसे संविधान हैं, लोक-सभा जैसे लोकप्रिय सदन की भावनाओं को सर्वोच्च समझा जाता है। यहां क्या हुआ ? यदि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो सरकार को चाहिये कि वह कुछ कार्यवाही करे। यदि चुनाव हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन निर्वाचित होगा अथवा कौन नहीं होगा परन्तु जो इस देश में निहित स्वार्थी, नरेशों अथवा

अन्य किसी तुच्छ निहित स्वार्थ के सहारे आये है। वे इस सदन में पुनः नहीं आयेंगे। अतः मैं श्री द्विवेदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह कोई असाधारण अथवा विचित्र बात नहीं है। राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया और उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। ऐसा प्रायः होता है जब संसद् द्वारा पारित विधेयक अथवा राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये जाते हैं। अतः सरकार, यदि वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस सदन में नया विधेयक लाये। जहां तक मेरा विचार है, देश की अधिकांश जनता ऐसा विधेयक चाहती है और मुझे आशा है कि सरकार विधेयक पेश करने में कोई विलम्ब नहीं करेगी।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : गत एक वर्ष से क्या राज्यों और क्या केन्द्र में, जहाँ जनता के हित में कानून बनाये गये हैं उन्हें न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों का नाम ले कर रद्द कर दिया गया है। मूल अधिकार जनता के लिये हैं परन्तु बिड़ला तथा टाटा बन्धुओं के अलग मूल अधिकार हैं और श्रम जीवी जनता के लिये अलग मूल अधिकार हैं। न्यायालयों के अनुसार ये मूल अधिकार श्रमजीवी जनता के लिये न होकर निहित स्वार्थों के लिये है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार शीघ्र ही कानून बनाये और उसे न केवल लोक-सभा अपितु राज्य सभा का भी समर्थन मिलेगा।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : उच्चतम न्यायालय ने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है और हम सभी उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं। विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है कि यह हमारी शीघ्रता और अधीरता के कारण हुआ है। हमारे देश की जनता अधीर है और वह जानना चाहती है कि लोक-सभा और राज्य सभा में निजी थैलियों को समाप्त करने के लिये सरकार विधेयक लाने को तैयार है अथवा नहीं। न तो संसद् और न ही उच्चतम न्यायालय संप्रभु हैं परन्तु भारत की जनता संप्रभु है। इस जनता के पास जायें और संविधान में संशोधन करें···· (**व्यवधान**)

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सच तो यह है कि किसी ने फैसले को पढ़ा नहीं है, फैसला अभी घोषित नहीं हुआ है। उन्होंने किस आधार पर यह फैसला दिया है। केवल निर्णय करना ही फैसला नहीं होता है। फैसले पर फैसला करना मूर्खता है क्योंकि एक निर्णय दिया गया है जिसे कुछ लोग पसन्द नहीं करते हैं। निर्णय फैसला नहीं होता है। फैसला दोनों पक्ष के साक्ष्यों का विश्लेषण करता है, जब फैसला घोषित हो जायेगा तो सरकार उस का अध्ययन कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय हमारी स्वतन्त्रता की गारंटी है.... (**व्यवधान**) कार्यपालिका द्वारा कैद किये गये विरोधी दल के लोगों को उच्चतम न्यायालय

तथा उच्च न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया है। साम्यवादियों को भी उच्च-न्यायालयों द्वारा रिहा किया गया है।

यदि आप शान्ति नहीं रख सकते हैं तो मैं भाषण नहीं दे सकता हूं **(व्यवधान)**

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या प्रधान मंत्री अपने दल के सदस्यों से ऐसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के भाषण के समय बाधा न डालने के लिये नहीं कह सकतीं हैं ? **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे आचार्य कृपालानी का भाषण शान्तिपूर्वक सुनें। परन्तु मैं श्री मधोक तथा अन्य सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने स्वयं अन्य सदस्यों को सदन में नहीं बोलने दिया। **(व्यवधान)** अब श्री आचार्य कृपालानी भाषण दें।

श्री जी० भा० कृपालानी : मैं किसी सदस्य के भाषण में बाधा नहीं डालता हूं। अतः मेरा भाषण भी शान्तिपूर्वक सुना जाना चाहिये। सब को बोलने का अधिकार है। आप शान्ति बनाये रखें।

मैं यह कह रहा था कि अभी तक हमें फैसले का ब्यौरा नहीं मिला है। न्यायपालिका हमारी स्वतन्त्रता की गारंटी है। वह गारंटी हमें अन्यत्र कहां मिलती है ? वह हमें जनता के प्रतिनिधियों में भी नहीं मिलती है। यदि ऐसा होता तो अलग न्याय-पालिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती और सदन में उलझे हुये कानूनी मामलों को निपटाने के लिए समितियां बनायी जा सकती थीं।

मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार इस बात से सहमत होगी ही परन्तु मुझे आशा है कि वह इस बात से सहमत होगी कि यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे जल्दी में किया जाये। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री ऐसी सब बातों को समझेंगी कि उन्हें किसी विशेष तरीके से किया जाना चाहिये था, न कि इस तरीके से किया जाना चाहिये था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I often disagree with the judgement of the Supreme Court but no other body can safeguard the rights of the citizens than that institution.

It has been said here that the Supreme Court has struck down a certain decision of Parliament. It is not so. The executive got an order passed by the President and the Supreme Court is reported to have held that order unconstitutional. The Prime Minister and her consultants should take the responsibility of getting that order passed by the President. Parliament is not responsible for this. **(Interruptions)**

At present no controversy in the name of the Supreme Court versus Parliament arises. Some people are of the opinion that this situation may arise. Can the hon. Prime Minister deny the fact that I requested her to amend the rules of Parliament before passing this Bill ?

The motion to consider this Bill was rejected in the Rajya Sabha. It was not rejected as I think. Some of our friends wanted to move a motion only when the Chairman gave ruling but, as it is known from the newspapers, he did not give his ruling. This session is going on. We have been raising this issue that the judgment of the Supreme Court should not be awaited. Had the Government already brought a Bill and got it passed here and in the Rajya Sabha, this situation would not have arisen.

It is high time that the Government extend the period of this session and bring the Bill immediately. Now we shall support the Bill.

If the Government really want to do away with feudalism, they should bring the Bill immediately. So far as compensation is concerned, the princes getting Rs. fifty or hundred must be given compensation and compensation must not be given to the princes of Gwalior, Baroda, and Jaipur.

श्री अंबाजागन (तिरुचेगाडे) : सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय चाहे कुछ भी हो देश के कानून के आधार पर उसको निर्णय ही माना जाना चाहिए। इसका लोक सभा अथवा संसद् पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधेयक को लोक सभा का नैतिक समर्थन प्राप्त है। लोक सभा में यह विधेयक पास भी हो गया था परन्तु किसी त्रुटि के कारण यह राज्य सभा में पास नहीं हो सका था। हो सकता है इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई हो और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

मेरे विचार में इस सिद्धान्त को संसद् की सीधी स्वीकृति है। यदि संसद् द्वारा यह पास हो जाता तो सर्वोच्च न्यायालय इस में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि यह मूल अधिकारों के विरुद्ध होता तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप का अपना निर्णय दे सकता था। परन्तु संसद् को मूल अधिकारों में भी कुछ हद तक संशोधन करने का अधिकार है। अन्ततः अधिकार लोगों के पास है और संसद् उन का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे विचार में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद् के रवैये अथवा निर्णय के विरुद्ध नहीं है।

विभिन्न दलों को जैसाकि आचार्य जी ने कहा है इस मामले पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए चाहे उनकी नीतियाँ और सिद्धान्त कुछ भी हों। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार राज्य विधान मण्डलों अथवा संसद् द्वारा पास किये गये अधिनियमों को रद्द किया है। अतः मेरा अनुरोध है कि न्यायालय को निर्णय देने का पूरा अधिकार है परन्तु संसद को लोगों के विचार व्यक्त करने का अधिक अधिकार है। अतः मुझे आशा है कि इसे एक बार पुनः संसद् में लाया जायेगा और इस सभा तथा राज्य सभा में पास किया

जायेगा। हम चाहते हैं कि इसी रूप में पास हो जाये। हमें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। मुझे आशा है कि श्री वाजपयी तथा विरोधी दलों के अन्य नेता अब इसका समर्थन करेंगे।

श्री श्रीराज मेघराजजी धंरगधरा (सुरेन्द्र नगर) : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा अभी की जा रही है; अत: मामला अभी तक न्यायालय में ही है।

इस मामले के बारे में मैंने इस सभा में अनेक वक्तव्य दिये हैं तथा वचन भी दिये हैं। हम इन वचनों के अभी तक पाबन्ध हैं और हम इस मामले पर बातचीत करने को भी तैयार हैं चाहे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुछ भी हो।

श्री स० कुन्दु (बालासौर) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अनुच्छेद 366 के अन्तर्गत ऐसे शासकों के उत्तराधिकारियों की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि निजी थैलियों का अधिकार सम्पत्ति अधिकार के समान है। अत: यह मूल अधिकार है? यदि ऐसा है तो सम्पत्ति अधिकार को मूल अधिकारों से निकालने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक भी लाना आवश्यक होगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इन बातों का स्पष्टीकरण करे।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhuban) : It is not that we do not honour the judgement of the Supreme Court. We have full respect for the Supreme Court. I would request the Government to bring that Bill once again and get it passed in both the Houses as was done in the case of bank nationalisation.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोझीकोड) : हम सब न्यायपालिका का सामान करते हैं। परन्तु यह कहना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय देश के साधारण लोगों की भावनाओं के प्रतिकूल है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक बार पुन: विधेयक को संसद में प्रस्तुत करे। यदि उसमें मुआवजे की योजना भी सम्मिलित हुई तो मेरा दल भी उस विधेयक का समर्थन करेगा।

Shri Parkash Vir Shashtri (Hapur) : While commenting on the judgement of the Supreme Court we should not forget that it has also been created under the provisions of the constitution, I would request the Government to learn a lesson from the decision of the Supreme Court and it should not pass orders in hurry in future.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : निर्णय अभी दिया जा रहा है। पूरा निर्णय आने पर अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो जायेंगे और उनका गहन अध्ययन करना होगा। इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि सरकार राज्यों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकारों को उचित सांविधिक उपायों से समाप्त करने के लिए वचन बद्ध है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भाखड़ा में बिजली का उत्पादन बहुत तेजी से घट जाने के कारण उत्पन्न कथित गम्भीर संकट

Shri Meetha Lal Meena (Swai Madhopur) : I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported serious crises developing in the Northern states as a result of steep fall in the generators of power at Bhakra and steps taken to avert the power crises."

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : भाखड़ा जलाशय में कम जल पड़ने के कारण, यह अपनी सामान्य पूर्ण क्षमता के केवल 65 प्रतिशत तक भर पाया है। 14 दिसम्बर, 1970 को जलाशय का स्तर 1588.36 फुट था जबकि पिछले वर्ष इसी दिन यह स्तर 1633.91 फुट था। 15 दिसम्बर, 1970 से आरम्भ हो कर जून, 1971 तक की क्षीण अवधि के दौरान, जलाशय के वर्तमान निम्न स्तर के साथ, पानी इस प्रकार सप्लाई किया जाएगा कि इस अवधि के दौरान रबी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा विद्युत उत्पादन को अविच्छिन्न रूप से कायम रखा जाए। अतः 14 दिसम्बर, 1970 की अर्ध रात्रि से भाखड़ा जलाशय से जल निकास 15000 क्यूसेक से कम करके 11000 क्यूसेक कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भाखड़ा समूह से विद्युत उत्पादन को 135 लाख यूनिट प्रतिदिन से घटा कर 104 लाख यूनिट प्रतिदिन कर दिया जाएगा। लगभग 30 लाख यूनिट प्रतिदिन की इस कमी के कारण भाखड़ा से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को मिलने वाली बिजली में कमी हो जाएगी।

2. बिजली की इस कमी को यथासंभव पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) भाखड़ा से नांगल उर्वरक कारखाने को की जाने वाली विद्युत सप्लाई को लगभग 30 लाख यूनिट प्रतिदिन से घटा कर 23 लाख यूनिट प्रतिदिन कर दिया गया है।

(2) भाखड़ा से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ली जाने वाली बिजली को 10.3 लाख यूनिट प्रतिदिन से घटाकर 8.5 लाख यूनिट प्रतिदिन कर दिया गया है।

(3) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा चम्बल सतपुड़ा प्रणालियों के लिए 11 लाख यूनिट प्रतिदिन तक की अतिरिक्त सहायता देने के लिए प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

उपर्युक्त उपायों से 30 लाख यूनिट प्रतिदिन की कमी घट कर लगभग 10 लाख यूनिट प्रतिदिन हो जाएगी। चूंकि हरियाणा और राजस्थान को अन्य स्त्रोतों से भी बिजली मिलती है, इसलिए इन राज्यों में भाखड़ा के कारण बिजली की कमी बहुत नहीं होगी। पंजाब में इस कमी से 22 प्रतिशत बिजली की कटौती हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। देशी और विदेशी दोनों प्रकार के अतिरिक्त डीजल सेट मंगावाए जा रहे हैं और इन सेटों को लगभग 5 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पन्न करने के लिए अप्रैल, 1971 से उत्तरोत्तर चलाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में इन्द्र प्रस्थ विद्युत केन्द्र में 55 मैगावाट के पांचवें यूनिट को शीघ्र चालू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है जिससे 1971 की प्रथम तिमाही में 10 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन और उपलब्ध हो जाएगी।

नांगल उर्वरक कारखाने को सप्लाई की जाने वाली बिजली पर लगाई गई पाबन्धियों से यह कारखाना बन्द नहीं होगा बरहाल, नांगल उर्वरक कारखाने से होने वाला उत्पादन कम होकर, इसकी सामान्य उत्पादन क्षमता के लगभग दो तिहाई हो जाएगा ताकि भाखड़ा द्वारा सेवित क्षेत्र में अन्य उपभोकताओं के लिए बिजली सप्लाई बढ़ जाए और इसके साथ-साथ नांगल कारखाने में यथाव्यवहार्य अनिवार्य उत्पादन कायम रखा जाए।

Shri Meetha Lal Meena : This thing has happened twice or thrice earlier but the Government has not done anything to solve this problem. The hon. Minister has stated that so far as Punjab is concerned 20-22 percent cut will be effected. I may mention that 10 percent cut has already been effected in the case of Punjab. If supply of power to the Nangal Fertilizer is reduced by 60-70 thousand kilowat it will result in a loss of Rs. 52 lakhs within two months according to the contact and on the other hand Punjab will suffer a loss to the tune of 15 or 20 crores and 20 to 30 crores from industry and agriculture respectively. I would, therefore like to know whether any cut will be made in the power being supplied to Nangal Fertilizer ? May I also know whether the power saved by this cut will be supplied to industries and agriculturists in Punjab.

I would like to know whether the hon. Minister will give an assurance that electricity being supplied to Rajasthan will not be cut. At present 10 lakh units are being supplied to Rajasthan from Bhakra.

The people residing in Delhi are getting electricity at cheap rates and more in quantity as compared to the people living in Punjab or Haryana where electricity is generated. I would like to know whether this discrimination will be done away with ?

I would also like to know whether an Atomic Power Station will be set up to solve this problem permanently in the northern region ?

डा० कु० ल० राव : यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाब में 30 प्रतिशत कटौती की गई है। आज चूंकि पानी कम कर दिया गया है इसको बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया जायेगा इस समस्या को हल करने के लिए हमने अनेक योजनाओं को स्वीकृति दी है। वास्तव में उसी क्षेत्र में बिजली की माँग बढ़ रही है। हमारी आशा से यह मांग बहुत अधिक है। यदि भाखड़ा में पर्याप्त पानी भी डाल दिया जाये तो भी बिजली की इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है। राजस्थान के बारे में हमने इस समस्या का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया है राजस्थान में बिजली की बहुत अधिक कमी नहीं है। केवल पजांब में ही कुछ कमी होगी, उर्वरक कारखाने में बिजली की खपत को 164 मैगावाट से कम करके 94 मैगावाट कर दिया गया है। और अधिक कटौती करने से कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इस बारे में मैं श्री त्रिगुणसेन से आज बातचीत कर रहा हूं। इस समस्या की जांच की जाएगी।

राज्यस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है।

Shri Om Parkash Tyagi (Moradabad) : The Government has itself admitted that the generator of power in the Bhakra will be reduced by 30 lakh units due to shortage of water. What will be the situation if there are no rains at all in next year ? It has been stated that power supply will be cut down by 22 per cent. It will result in a loss of Rs. 40 crores in agriculture and Rs. 30 crores in industry. I would like to know how the Government propose to meet the situation if there is a drought in the next year in Punjab ? I would like to know whether Government will consider of closing down the Fertilizer factory and power saved thereby will be supplied to industries and agriculture in Punjab ?

I would also like to know the time by which the Beas Project will be completed ? I would like to know further whether Government will take steps to complete the Beas Project before 1973 ? May I know whether Government will take a decision to utilize electricity for productive purposes only ?

डा० कु० ल० राव : यदि अगले वर्ष भी सूखा पड़ता है तो बहुत अधिक हानि होगी क्योंकि सिचांई के लिए बहुत अधिक भूमि भाखड़ा पर निर्भर करती है। इस वर्ष रवी तथा खरीफ की फसल को बचा लिया गया है।

उर्वरक कारखाने को सप्लाई की जाने वाली बिजली में पर्याप्त कटौती की जा चुकी है। इस प्रश्न को कि इसको बन्द कर दिया जाये अथवा नहीं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा पंजाब के मंत्री के साथ उठाया जायेगा।

राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है। प्रश्न केवल पंजाब का ही है। प्रश्न यह है कि यदि उर्वरक कारखाने को बन्द कर दिया जाता है तो उसकी हानि कौन वहन करेगा।

इस क्षेत्र में काम परियोजना सहित अनेक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बिजली की मांग बहुत बढ़ रही है। पिछले वर्ष 4900 यूनिट बिजली उत्पन्न की गई है। व्यास परियोजना 1973 में पूरी हो जाएगी। इससे पूर्व आशा है कि बदरपुर तथा कुछ अन्य बिजलीघर बन कर तैयार हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश में पजांब की अपेक्षा स्थिति अधिक खराब है। उत्तर प्रदेश में 50 लाख किलोवाट की कमी है। समूचे देश में विकास हो रहा है इसी कारण समूचे देश में बिजली की कमी है।

मैंने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका को फुव्वारे आदि बन्द कर देने के लिए कहा है ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि नंगल प्लांट को वर्ष में तीन महीने बन्द कर दिया जाए तो केवल 52 लाख की हानि होगी परन्तु इससे बचने वाली बिजली को कृषि में प्रयोग करने से 50 करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी को वर्ष में तीन महीने बन्द न किये जाने के क्या कारण हैं ?

Shri Gurcharan Singh (Ferozepur) : I rest on a point of order. Punjab will suffer a loss of crore of rupees if 20 per cent cut is effected in the power supply to Punjab. It will create unrest among lakhs of people in Punjab.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : I would like to know whether Government will consider the suggestion of Punjab Government to closing down Nangal factory for two months which is consuming 2-28 million units of electricity now-a-days ?

डा० कु० ल० राव : मैं पजांब से आये सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे आज शाम 5 बजे मिलें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन

मोटरगाड़ी उद्योग, ट्रेक्टर, अर्थमूविंग उपकरण तथा अन्तर्दहन इंजन सम्बन्धी विकास परिषद के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4571/70**]

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4572/70**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सचिव, राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा 8 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री नारायण पत्रा के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण हुए रिक्त स्थान में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई है और राज्य सभा ने उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थान को भरने के लिये राज्य सभा के सदस्य श्री वैणीगल्ल सत्यनारायण की नियुक्ति की है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने श्रीपरिमल घोष, संसद सदस्य और राज्य मंत्री की पत्नि तथा पुत्र पर हुए आक्रमण की ओर ध्यान दिलाने हेतु एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

दसवां प्रतिवेदन

अंबाजागन (तिरुचुगोड) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

तेरहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री साधूराम (फिल्लौर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड में आरक्षण—के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय रेलों में आरक्षण—के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Half Past fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर पैंतीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई)।

(The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-five minutes past fourteen of the clock)

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए।]

[Shri Prakash Vir Shastri *in the chair*]

पश्चिमी बंगाल (हिंसक क्रिया-कलाप निवारण) अधिनियम, 1970 और पश्चिमी बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTIONS *RE.* WEST BENGAL (PREVENTION OF VIOLENT ACTIVITIES) ACT, 1970 AND WEST BENGAL MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ACT, 1970

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस समय सदन में सर्व श्री ज्योतिर्मय बसु और गणेश घोष द्वारा प्रस्तुत, पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित दो अधिनियमों के निरसन

से सम्बन्धित प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। नियम 340 के अन्तर्गत किसी विषय पर वाद-विवाद को प्रस्ताव द्वारा स्थगित किया जा सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 340 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि कपड़ा उद्योग में गम्भीर स्थिति है। कानपुर की अनेक मिलों में तालाबन्दी है। अकेले कानपुर में ही 10,000 मजदूर तालाबन्दी के कारण काम पर नहीं जा पा रहे हैं। श्रम मंत्री अथवा वैदेशिक व्यापार मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

Mr. Chairman : Hon'ble member may kindly resume his seat. There are certain rules for raising such matters and he is well aware of these rules.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : यह कानून पचास वर्ष पूर्व पारित रौलट अधिनियम से कहीं अधिक बुरा है। इस कानून को सलाहकार समिति को औपचारिक स्वीकृति तो मिल चुकी है और अब यह संसद की औपचारिक स्वीकृति के लिए यहां आया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी अधिक गम्भीर है कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता। प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को पुनः स्थापित किया जाये और हिंसक गतिविधियों पर नियन्त्रण किया जाय। श्री परिमल घोष की पत्नि और उनके पुत्र पर पाशविक रूप से छुरे द्वारा हमला एक गम्भीर समाचार है।

मैं यह उम्मीद करती हूं कि यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय ही होगा, स्थायी नहीं। इसका कारण यह है कि सरकार के पिछले कार्य-कलापों से यह विश्वास पैदा नहीं होता कि सरकार को दिये गये अधिकार का उचित प्रयोग किया जायेगा। यह कहा जा सकता था कि अन्तर्दलीय संघर्ष के कारण अव्यवस्था का वातावरण पैदा हो गया हो, परन्तु राष्ट्रपति शासन होने के बावजूद भी वहां शान्ति और व्यवस्था पूनर्स्थापित न हो पाने का क्या कारण है ?

सरकार के पास जब अधिकार होता है, तो भी उसका प्रयोग नहीं करती। उदाहरणार्थ–जून, 1970 या उसके आसपास बम्बई में एम० जे० मिस्त्री नामक एक एडवोकेट के मकान पर प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा छापा मारा गया था। पकड़े गये कागजातों से पता चला कि 90 करोड़ रुपए के काले धन को एक स्विस बैंक में आन्तरित किया गया था। इस कार्य के लिए इस व्यक्ति को 3 प्रतिशत के हिसाब से 15 लाख पौण्ड कमीशन दिया गया। सरकारी दर पर यह धन $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए के बराबर होता है और बाजार दर पर 5 करोड़ रुपए के बराबर होता है। मेरे पास कागजात की फोटोस्टेट प्रतियां भी हैं, जिन्हें मैं सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं।

कितने ही निवारक नजरबन्दी कानून क्यों न पास किये जायें, मगर पश्चिम बंगाल की स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। यही सिद्ध करने के लिए मैं फोटोस्टेट प्रतियां यहां पर लाई हूं। प्रशासन और सेवाओं के प्रत्येक विभाग में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

मैं इस अधिनियम का समर्थन करती हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करेगी ।

श्रीमान जी, मैं इन्हें सभा-पटल पर रखने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं । कुछ व्यक्ति काले धन के विदेश-प्रेषण के व्यापार में निरन्तर संलग्न हैं । कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री एक ट्रेवल एजेन्ट के पास गए और जो ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया, वह गैर-कानूनी पाया गया ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य महोदय जो कुछ कह रहीं हैं, वह संगत है अथवा नहीं—इसका निश्चय करना पूर्णत: आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है । परन्तु जिस प्रकार से संसद कार्य-संचालन कर रही है, इसकी समस्त देश में आलोचना हो रही है । (**व्यवधान**) प्रश्न प्रक्रिया से संबंधित है । कागजात को सभा-पटल पर रखने से पूर्व सदस्य महोदय को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है ।

Mr. Chairman : Even you yourself do not know whether matter is *sub judice* or not. I would decide whether permission should be given or not, after I have seen the papers.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह एक गलत तर्क है कि कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उसे यहां नहीं उठाया जा सकता । कम से कम तथ्यों का उल्लेख तो यहां पर किया ही जा सकता है । न्यायालय के निर्णय की कोई भी आलोचना नहीं कर रहा । माननीय सदस्य महोदय तो फोटोस्टेट प्रति सभा-पटल पर रखना चाहतीं हैं ।

Mr. Chairman : Let her finish her speech first. If there is any objectionable point, the hon'ble Minister would clarify when he replies to the debate.

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : How could I reply to that point which relates to Maharashtra, when debate is going on regarding Bengal ?

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : I want to raise a point of order under Rule 118, wherein it is mentioned that if a private member desires to lay a paper or a document on the Table of the House, he shall supply a copy thereof to the Speaker in advance so as to enable him to decide whether permission should be given to lay the paper or document on the Table. If the speaker permits the member to lay the paper or document on the Table, the member may at the appropriate time lay it on the Table.

Mr. Chairman : That is why I have not allowed her to lay it on the Table of the House.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं अध्यक्ष महोदय को निश्चित ही लिखूंगी। इस मामले का उल्लेख करने का मेरा यह उद्देश्य था कि आप सरकार को विस्तृत अधिकार दे रहे हैं, इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I want to bring to the notice of the Minister one thing through you. A persistant demand has been made during the discussion that the Governor Shri Dhawan should be recalled from West Bengal. The Minister should clarify his point, because our voting for or against the motion depends on his reply.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विचार व्यक्त करने का सदस्यों को एक और मौका मिला और सदन के सभी पक्षों के सदस्यों ने वहां की स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

जहां तक श्रीमती शारदा मुकर्जी के भाषण का सम्बन्ध है, उनके भाषण के एक अंश से मैं पूर्णत: सहमत हूं कि इस अधिनियम को पारित करके सरकार ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये अधिनियम सदैव के लिए लागू नहीं रहने चाहिएं। मैं उनका एवं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये अधिनियम राष्ट्रपति शासन काल में और उसके बाद यदि राज्य सरकार द्वारा रद्द नहीं किये गए तो एक साल तक वैध रहेंगे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी और श्री समर गुह जैसे माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस पृष्ठ भूमि में हमने यह कदम उठाने का निर्णय किया है। गत कुछ महीनों से हिंसा की 1500 विभिन्न घटनायें सरकार के ध्यान में आई हैं। कम से कम 100 लोगों की जानें चली गईं, 45 पुलिस सिपाहियों को मारा गया और कइयों को घायल कर दिया गया। पुलिस सिपाही तब मारे गए, जब वे अपने कर्तव्य में निरत थे। शैक्षणिक संस्थाओं पर निर्लज्जतापूर्वक आक्रमण किया गया। पवित्र मानी जाने वाली कई चीजों को जानबूझकर अपवित्र कर दिया गया। ये सारी अनहोनी घटनायें यहां घटीं, फिर भी सरकार से यह पूछा गया कि वह स्पष्ट करे कि ये कदम क्यों उठाये जा रहे हैं। एक अन्य विडम्बना यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार इन समाज विरोधी विध्वंसक तत्वों के प्रति नर्म रुख अपनाए हुए है। मैं सदन से अपील करता हूं कि इस मामले में वे एक संतुलित रुख अपनाएं। सरकार एक अत्यंत कठिन एवं जटिल समस्या को दृढ़ता के साथ सुलझाने की कोशिश कर रही है। हम अत्यधिक संयम से पश्चिम बंगाल के सामाजिक जीवन में व्याप्त इस गहरी बेचैनी पर उचित ध्यान दे रहे हैं। यहाँ की समस्या बहुत अधिक गहरी है और इसको सुलझाने में अधिक समय लगेगा।

माननीय सदस्य श्री मधुलिमये ने कहा कि वर्तमान कानून के अधीन प्रशासन के पास इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति है। वे यह भी मानते हैं कि वहां की स्थिति असाधारण है। श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि देश भर में हिंसा की गतिविधियां चल रही हैं, मगर केवल पश्चिम बंगाल की हिंसा के बारे में ही अधिक सुनाई पड़ता है। तथ्य यह है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा चल रही है। इस बुनियादी तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मगर यह मत समझा जाए कि पश्चिम-बंगाल प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने का प्रयत्न नहीं किया है। सदन को पता है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने महीनों तक स्थिति को सामान्य करने की भरसक कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि नजरबन्दी कानून द्वारा ही स्थिति को सामान्य किया जा सकता है। सदन में कई बार हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि हम स्थिति को सामान्य करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ महीनों से यह मांग जोर पकड़ती गई कि निवारक नजर-बन्दी कानून लागू किया जाए।

यहां विधि शासन के बारे में कहा गया। ऐसा वातावरण कायम किया जाना चाहिए जिसमें लोग निर्भीक होकर न्यायालय में जाकर गवाही दे सकें। यह बुनियादी बात है। मगर पश्चिम बंगाल में ऐसा वातावरण नहीं है। साथ ही साथ नक्सलवादियों द्वारा अचानक हमला करके भाग जाने की नीति अपनाये जाने के कारण अपराधियों को पहचानने में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। फिर भी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में आँकड़े कई बार सदन में दिये हैं। यह भी सच है कि जो भी गिरफ्तार किए गए, उनमें से अधिकांश लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पर्याप्त गवाही के अभाव में न्यायालय भी इन लोगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सका है। इसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग फिर से हिंसात्मक कार्यवाहियां करने लगे। अतः यह अनुभव किया गया कि नजरबन्दी कानून से इस समस्या को मानवीय ढंग से सुलझाने में सहायता मिलेगी। कुछ माननीय सदस्य सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं हुए। मगर पश्चिम बंगाल के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे पुनः स्थापित किया है। कई माननीय सदस्यों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया। उन्होंने समर्थन इसलिए किया कि वे नजरबन्दी कानून को पसंद करते हैं, अपितु इसलिए कि उन्होंने समझा कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। सरकार इस समर्थन का स्वागत करती है साथ ही साथ मैं श्री कृष्ण मेनन को जिन्होंने कहा कि इससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भी नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रति सचेत हैं। असली समस्या यह है कि समाज-विरोधी तत्व इस अधिकार का उपयोग कानून और लोकतंत्र का नाश करने के लिए कर रहे हैं। नक्सलवादियों की इन बढ़ती हुई गतिविधियों ने इस प्रकार के कदम उठाने के लिए सरकार को बाध्य किया है।

कुछ लोगों के मन में यह भय है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं किया जाएगा। पहली बार जून में मूल विधेयक लाया गया और उसमें कहा गया था कि राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखा जा सकता है। इन दो बातों के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ लोगों के मन में आशंका पैदा हुई। अतः यह स्पष्ट किया गया कि हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए ही इस कदम का उपयोग किया जायगा। माननीय मित्र श्री साल्वे ने इस कानून में सांविधिक सुरक्षा के उपबन्धों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker *in the chair*]

अगर हम इस कानून के उपबन्धों पर गहराई से विचार करेंगे, तो पता चलेगा कि ये नक्सलवादियों और समाज-विरोधी तत्त्वों को दबाने के लिए ही रखे गए हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को नजरबन्द किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक या उससे अधिक अपराधों के दोषी पाये जायेंगे। अन्य गतिविधियों द्वारा भी राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मगर इसकी सीमा बहुत कम रखी गयी है। राज्य सरकार ने भी अपने अनुदेशों में इसके संबंध में सारी बातों पर प्रकाश डाला था। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम को बहुत नाजुक समय पर लागू किया जा रहा है।

श्री मधुलिमये के मन में यह शंका पैदा हुई है कि नजरबंदी कानून का प्रयोग किसी राजनैतिक विचारधारा का प्रचार करने वालों के विरुद्ध भी किया जाएगा। इसका सवाल ही नहीं उठता। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल घातक हथियारों का प्रयोग करनेवालों को ही नजरबन्द रखा जाएगा। किसी राजनैतिक प्रचारक के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने पुलिस की ज्यादतियों के बारे में कहा। इस संबंध में अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस की हिरासत में नक्सलपंथियों की मृत्यु पुलिस की ज्यादतियों के कारण होती है या शंकित नक्सलियों को बिना किसी कारण मारा जाता है और बाद में यह कहा जाता है कि आपसी संघर्ष में ये मारे गए हैं। इस संबंध में सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। सभी विशिष्ट शिकायतों की जांच की जाएगी। वस्तुतः कुछ शिकायतों की जांच की जा चुकी है। पुलिस के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। बारासत हत्याकांड के सम्बन्ध में, सदन को पता है कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच आयोग की नियुक्ति करने का सरकार ने निर्णय किया है। पुलिस अधिकारियों ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को अनुदेश दिया है कि वे अपेक्षित दृढ़ता एवं अत्यधिक संयम के साथ परिस्थितियों का सामना करें। हमने भी अपनी तरफ से पुलिस को आवश्यक

सलाह दी है। इस समय हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पुलिस अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रही है। मगर वे अत्यधिक संयम से काम कर रही है। केवल इस कारण से कि एक या दो पुलिस सिपाहियों ने अत्याचार किया है, हम यह नहीं कह सकते कि पुलिस आमतौर पर अत्याचार कर रही है। सारी पुलिस सेना को हम इस के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हम यह न भूलें कि हमें पुलिस की सहायता अनिवार्य है। कई राजनैतिक नेताओं ने समय-समय पर पुलिस की सहायता मांगी है। अगर हम जनता में यह धारणा पैदा करते हैं कि पुलिस सेना हर तरह का अपराध कर रही है, तो वह कानून और व्यवस्था का पालन कैसे करेगी ? अतः हमें इस मामले में संयम से काम करना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस के विरुद्ध कई आरोप लगाये। रिजर्व पुलिस के अत्याचारों के संबंध में हमें 28 विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई। उनकी जांच की गई और पता लगा कि इन में से 26 मामले में आरोप निराधार हैं। सात या आठ मामलों में यह पता लगा कि उन स्थानों पर रिजर्व पुलिस को तैनात नहीं किया गया था। जहां अत्याचारों का होना बताया गया था। उदाहरण के लिए चेलाना और बोजितपुर गांवों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को कभी भी नहीं भेजा गया था। वैसे ही नादिया जिले के होमनीपोता में भी रिजर्व पुलिस को नहीं भेजा गया था जहाँ एक गर्भिणी महिला की हत्या की गई बताई जाती है। एक अन्य आरोप यह था कि 12-7-1970 को बोन हुगली में रिजर्व पुलिस ने गोली चलाई और एक आदमी की मृत्यु हुई। जांच से पता चला कि वहां स्थानीय पुलिस ने गोली चलाई थी 28 जून को प्रकाशित 'न्यू एज' में यह आरोप लगाया गया था कि झारमाजराम में रिजर्व पुलिस ने महिलाओं का शीलभंग किया है। जांच से पता चला कि वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को नहीं भेजा गया था। श्री गणेश घोष ने आरोप लगाया कि 24 परगना में बासंती पुलिस-थाने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने कई अत्याचार किये मगर उन्होंने तिथि नहीं बताई 'पश्चिम बंग महिला सगठन नामक एक महिला संगठन की ओर से बांसती के अत्याचार के संबंध में ज्ञापन मिला। तुरंत सरकार ने जांच कराई और पता लगा कि रिजर्व पुलिस को वहां भेजा ही नहीं गया था।

दापा में जो घटना घटी, उसके संबंध में मैं कुछ विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक जून, रात को नौ बजे दो राजनैतिक दलों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें बमों और पटाखों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था। जब पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप किया तो उन पर हमला किया गया दो सिपाही घायल हुए और पुलिस की गाड़ी को नष्टभ्रष्ट कर दिया गया। पहले पुलिस ने अश्रु गैस छोडी मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ कुछ लोगों ने बमों, बन्दूकों, पटाकों तथा अन्य घातक हथियारों से पुलिस पर हमला किया और पुलिस को अन्त में गोली चलानी पड़ी।

दुर्भाग्यवश एक महिला की मृत्यु हुई और एक 12 वर्षीय बालिका घायल हुई। परंतु, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस इसमें शामिल नहीं थी। एक मामले में जहां रिजर्व पुलिस ने नरताला में कुछ नागरिकों के घरों की तलासी ली, पर्याप्त संयम का पालन नहीं किया गया अतः इस कंपनी को वहां से तुरन्त हटाया गया और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई इस प्रकार जहां भी अत्याचार किया जाता है, चाहे वह स्थानीय पुलिस हो, या रिजर्व पुलिम हो हम उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा रिजर्व पुलिस के विरुद्ध जो आरोप लगाया जाता है, उसके पीछे क्या राजनैतिक लक्ष्य है। यह सदन को मालूम होना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे स्थिति को सही मूल्यांकन करें। पश्चिम बंगाल की स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि हमारे सहयोगी माननीय श्री परिमाल घोष की पत्नी और पुत्र पर घातक हमला किया गया। प्रतिदिन कई लोग मारे जाते हैं, जिसकी खबरें समाचार पत्रों में आती हैं। यह बहुत अधिक दुखद परिस्थिति है। इस हिंसा से हमें लड़ना चाहिए, इसको हमें दबाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सदन को सभी दलों के उपयोग से यह कार्य सहम कर सकेंगे।

हमें प्राप्त सूचना के अनुसार गत दस या बाहर दिनों में 26 व्यक्तियों को हिंसा का शिकार होना पड़ा। इन में 6 व्यक्तियों की दलों के आपसी संघर्ष के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। शेष लोगों की मृत्यु नकसलवादियों के आक्रमण में हुई। इस समय पुलिस की गोली से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे यह साबित होता है कि, जब पुलिस को इस कानून के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त हुई, तो वह अधिक संयम और सूझबूझ से काम करने लगी।

'पश्चिम बंग महिला संगठन' ने प्रधान मंत्री के नाम एक ज्ञापन भेज दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा एक चोदह वर्षीय बालिका के साथ छेड़-छाड़ की गई।

उप-विभागीय दंडाधिकारी द्वारा मामले की जाँच की गई और बालिका एंव उसकी माता ने इस आरोप का खंडन किया। एक अन्य आरोप यह था कि 22 अप्रैल को स्थानीय पृथक संघ के एक कार्यकत्ता के घर में पुलिस ने छापा मारा और उस व्यकित की 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़-छांड़ की गई एक और आरोप यह था कि उसी रात को एक और घर पर छापा मारा और एक माता पर आक्रमण किया गया। इनकी भी जांच की गई और इन्हीं लोगों ने आरोपों का खंडन किया ऐसे बहुत से आरोप हैं जो निर्मूल सिद्ध हुए हैं। जो भी हो मैं सदन को आश्वसन देता हूं कि किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी का पक्ष नहीं लेंगे जो अत्याचार का दोषी हो।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस समस्या के दो पहलू हैं। एक विधि और व्यवस्था का और दूसरा विकास कार्य का। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इन

दोनों पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे सदन को पता है चौथी योजना में पश्चिम बंगाल के विकास कार्यों के लिए अधिक राशि का आवंटन किया गया है। बस्ती के निवासियों की हालत सुधारने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है और इस के लिए 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस समय कलकत्ता के आस पास 3,000 बस्तियों में लगभग ग्यारह लाख लोग रहते हैं। इस योजना से इन लोगों की हालत काफी हद तक सुधारी जा सकेगी। इस जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत हम जल निस्सारण, पेय जल आदि की सुविधायें उचित ढंग से प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। बिजली, सड़कें आदि की सुविधायें भी दी जाएंगी। आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए चुंगी लगाना शुरू किया गया है।

माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम को बंद किया है। तथ्य यह है कि भूमिसुधार कार्य जोरों से चल रहा है। बरगादारों को अधिक संरक्षण देने के लिए 13 जुलाई को आवश्यक कानून बनाया गया था।

इस महीने की 13 तारीख को परिवार के आधार पर जोतों की सीमा निर्धारण करने के लिए एक विधान परामर्शदात्री समिती के समक्ष रखा गया था। बेनामी भूमियों का पता लगाने और उनके योग्य व्यक्तियों में वितरण करने का अभियान तेजी से चल रहा है। 30 सितम्बर तक 6.2 लाख एकड़ कृषि-भूमि को कब्जे में ले लिया गया है और 3.7 लाख एकड़ भूमि वितरण कर दी गई है।

इस समस्या के राजनीतिक हल का उल्लेख किया गया है। शीघ्र प्रभावित हो जाने वाले युवकों को हिंसात्मक गतिविधियों से अलग करके राजनीतिक शिक्षा तथा सुनियोजित कार्यक्रम की ओर लगाने की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। जब तक हिंसा के पुजारियों को निरन्तर रूप से अलग नहीं किया जाएगा तब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति स्थापित करना कठिन होगा।

पश्चिम बंगाल में समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध संगठन उत्पन्न करना सभी प्रजातांत्रिक दलों तथा जनमत के नेताओं का कर्तव्य है। वहां पर हिंसक गतिविधियों को साहस के साथ विरोध करने की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। सदन को इस साहसिक घटना पर विचार करना चाहिए।

मूल प्रश्न यह है कि समाज-विरोधी तथा कानून-विरोधी तत्त्वों को अलग करने के लिये लोगों में विश्वास बना रहना चाहिये। जब तक हिंसा और हत्या से लिप्त व्यक्तियों को अलग नहीं किया जाएगा तब तक सामान्य राजनीतिक कार्य नहीं चल सकते हैं। अतः कानून के अनुसार उन्हें कठोरता पूर्वक हटाना होगा। जिन माननीय सदस्यों ने संकल्पों का पक्ष लिया है वे अपने उद्देश्यों के लिये सड़क पर उनसे काम ले सकते हैं। परन्तु सरकार ऐसे फैसलों के लिये पार्टी नहीं बन सकती है। इस हिंसा और अराजकता के खतरे को मानवीय और सभ्य तरीके से समाप्त किया

जाएगा। हम मत-वैमनस्य का आदर करते हैं और हमारी समस्त प्रजातान्त्रिक प्रणाली इसी पर आधारित है और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि देश में स्वतन्त्रता, मत-वैमनस्य और प्रजातन्त्र का जो मजाक उड़ायेंगे तो कानूनी उपायों का अभाव ही माना जायेगा।

मुझे आशा है कि सदन दोनों संकल्पों को रद्द करेगा

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Whose pet is Mr. Dhawan ? Your's or the Prime Minister's ?

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : महोदय, जब आप पीठासीन नहीं थे तब मैंने एक प्रश्न उठाया था। कुछ तस्करी के मामले सदन के ध्यान में लाये गए थे। मंत्री महोदय सदन को इस मामले में की जा रही कार्यवाही से अवगत करायें क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय उनके मंत्रालय के अधीन है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लागू होने के समय से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जब तक सरकार राज्यपाल को बदलने के प्रश्न पर विचार नहीं करती है, हमें मतदान न करने के लिये विवश होना पड़ेगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : At least the Hon. Minister must be asked to take firm decision regarding the Governor or any body else whose weakness causes violence so that trouble may not increase in future.

श्री कृ० चं० पंत: श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रशासन में सुधार करने का सामान्य प्रश्न उठाया गया। इस प्रकार की कार्यवाही करना सरकार का कर्त्तव्य है। यदि उस कार्यवाही में राज्यपाल को हटाने की बात है तो वह भिन्न मामला है। यह साधारण बात नहीं है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि स्थिति की गंभीरता को कम न किया जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्नों के बारे में गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे मैंने नोट कर लिया है। उन्हें उचित समय पर सूचना दे दी जायेगी।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Will the Government take any action against the political elements who are creating chaos there ?

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक प्रेस के कर्मचारी को माओ-से-तुंग का साहित्य छापने पर मना करने के कारण पीटा गया और उसे छुरा मार कर मार दिया गया। कृषनगर के लोग चाहते हैं कि ऐसी हिंसा पर नियन्त्रण करने के लिए वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी जाये। मंत्री महोदय इस बारे में कुछ करें।

श्री बाकर अली मिर्जा (सकंदराबाद) : क्या यह सच नहीं है कि श्री सेन जो सॉलिसिटर, बड़े परिवार के मुख्या और ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं, ने गृह-सचिव पुलिस आयुक्त और आई० जी० की उपस्थिति में राज्यपाल से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की थी कि उन्होंने तथा उनके भतीजे ने एक कत्ल को देखा और वहां पर विद्यमान पुलिस के आतंक के साम्राज्य से हो सकने वाली तकलीफ से संरक्षण देने की मांग की ?

श्री जी० कुचेलर (वेल्लौर) : हाल में पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं में से जिन घटनाओं की जांच किये बिना छोड़ दिया गया था उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अपराध शाखा ने क्या सक्रिय कार्यवाही की है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यदि हम नक्सलवादियों के बारे में बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि ये नक्सलवादी कौन हैं, उनमें अधिकांश हताश युवक हैं। परन्तु आज बहुत बड़ी संख्या में पुलिस से मिले जुले उत्तेजना उत्पन्न करने वाले एजेन्ट और पक्के अपराधी हैं। पुलिस इन सब पक्के अपराधियों पर नियन्त्रण नहीं कर सकती है। क्या सरकार को पता है कि पिछले दिन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जबर्दस्ती एक मकान में घुस गई और सारे मकान की छानबीन कर डाली ? मंत्री महोदय यह बतायें की यह सच है अथवा नहीं। किसने यह स्थिति उत्पन्न की ? इन अपराधियों को किसने बनाया ? इन अपराधियों को लगाकर उनका उपयोग किसने किया ? पश्चिम बंगाल में 20 वर्ष के कांग्रेस के शासन ने इन अपराधियों को उत्पन्न किया (**व्यवधान**) कलकत्ता के एक वरिष्ठ सम्पादक ने इस अतिवादी कार्यवाही की आलोचना करते हुए एक लेख लिखना चाहा था परन्तु उसके मकान मालिक जो कांग्रेसी थे, ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया।

अब भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल और संयुक्त मोर्चा ने कभी भी जोतदारों और पूंजीपतियों के हाथ में कांग्रेस के उत्तराधिकारियों की तरह कठपुतली बनना नहीं चाहा था। इसीलिये इतना शोर शराबा हुआ था। रविन्द्र सरोवर घटना के बारे में बार-बार कहा गया है। इस घटना के सम्बन्ध में जितनी भी बातें कही गई उन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को पुलिस पर इतना अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये वरना वह ऐसा करके अपनी कब्र और अधिक गहरी खोदेगी।

बंगाल में उग्रवादियों का उदय हो गया है। पुलिस को वहां मनमानी करने दी जा रही है। 25 दिन से जो कुछ हुआ है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस ने हत्यायें की थीं। इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री से शव-परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि लेने के लिये अनेक पत्र लिखे हैं। परन्तु उनकी उस प्रतिलिपि को देने की इच्छा नहीं है क्योंकि बंगाल में खूनी पुलिस के सिपाहियों के साथ सरकार की सांठ-गांठ है।

श्री चक्रवर्ती, उप-आयुक्त, उत्तर को चरम दीप गवाहों ने गोली मारते हुये देखा। क्या उप-आयुक्त पर मुकदमा चलाया गया है ? नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर वह मुकदमा चलाने वालों को मारने की धमकी देगा।

एक कालेज के विद्यार्थी को गोली मारी गई। आप लोगों में से बहुत लोगों के बच्चे कालेजों में पढ़ रहे हैं। पुलिस के आयुक्त और राज्यपाल ने बताया कि गलत पहचान के कारण उसे मार दिया गया। क्या हत्यारे पर 302 धारा के अधीन मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये ? परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता है।

पुलिस की प्रतिहिंसापरायणता की कोई सीमा नहीं रही है। एक विधायक को शुबहे में पकड़ कर पीटा गया, अपमानित किया गया और सड़कों पर ले जाया गया परन्तु उनकी जमानत कभी नहीं की गई।

किस प्रजातन्त्र और समाजवाद के अन्तर्गत सरकार पुलिस को कानून हाथ में लेने के लिये कह सकती है। ऐसा सैंकड़ों मामलों में हुआ है।

यह प्रश्न उठाया गया था कि संयुक्त मोर्चे ने निवारक निरोध अधिनियम का समर्थन किया था। यदि उन्होंने समर्थन किया था तो स्पष्ट करना चाहिये। वे इसका सिद्धान्ततः विरोध करते हैं।

हजारों व्यक्तियों को पकड़ा गया, मगर उन्हें रिहा किसने किया ? देश की अर्थ-व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों को रिहा किया गया। सरकार केवल राजनैतिक विरोधियों को मारने के लिये चिंतति है।

केन्द्र में अनुदेशों के अन्तर्गत 28/29 अक्तूबर को बंगाल सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके अनुसार पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटनाओं की जांच के मामले को 3 महीने तक खट्टाई में रखा जाये। अगले ही दिन मैंने प्रधान मंत्री महोदया को पत्र लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि उस समय उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वह मुझे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद पत्र लिखेंगी। वह 7 नवम्बर की बात थी और आज 15 दिसम्बर है। कुछ नहीं हुआ है।

बहुत ही विचित्र बात यह है कि कांग्रेस (सत्तारूढ़) के अखबार 'युगान्तर' में अगले ही दिन समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया कि केन्द्र को उस निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। वह गलत है।

गृह-कार्य मंत्री की अनुमति के बिना ही अफसरों को निर्णय लेने की स्वतन्त्रता दी जाती है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जा सकता है ?

धनी लोगों के चाटुकारों से सत्य और न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

सरकार ने आगामी निर्वाचन में अच्छे परिणाम पाने के दृष्टिकोण से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिये आतंक के साम्राज्य को खुली छूट दे रखी है।

सरकार निवारक निरोध अधिनियम जैसे क्रूर अधिनियम लागू करके बनी रहना चाहती है। प्रशासन को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वे शक्तियां पर्याप्त नहीं है।

मुझे खेद से कहना पड़ता है कि श्री पन्त या तो अनभिज्ञ हैं अथवा उन्होंने सदन को गलत रास्ता दिखाया है। पश्चिम बंगाल में सब जिलों में न्यायपालिका अलग नहीं की गई है। अध्याय VIII अब भी कार्यपालिका के अन्तर्गत है। क्या सरकार यह अपेक्षा करती है कि पुलिस-अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति सरकार के समक्ष प्रस्तुत होकर सच्चाई का पर्दा फाश करेंगे ? पुलिस के उपायुक्त द्वारा एक मां के दो पुत्र गोली से मार दिये गये थे और अब भी पुलिस उसे उसके तीसरे पुत्र को मारने की धमकी दे रही है। यदि उसने किसी से उस सम्बन्ध में शिकायत की। सरकार वास्तव में भूमि सुधार नहीं करना चाहती है क्योंकि कांग्रेस (सतारूढ़) का अर्थ है–शहरी क्षेत्र में एकाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में जोतदार।

मैं भाषण समाप्त करते समय निवारक निरोध अधिनियम का एक उराहरण दूंगा। मुझे कल जिला मजिस्ट्रेट, एस० बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र मिला। उस अधिकारी ने चार्जशीट में लिखी हुई बात को कभी नहीं पढ़ा, वह बंगला में लिखा हुआ है। नये निरोध अधिनियम के अनुसार काली बदा दास को पकड़ा गया है। 21-6-1970 को सरकार ने श्री के० एन० सिंह राय को तीन महीने के अन्दर-अन्दर गांव छोड़ने को कहा....

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं श्री साल्वे से पूछता हूं कि यदि उन्हें संदेह है तो मैं और दस्तावेज पेश करूं ? सरकार ने उन लोगों के लिये कुछ नहीं किया है जो ऊंची कीमतों के बोझ से दबे हुये हैं।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : इस चर्चा से कम से कम एक अच्छी बात हुई है। आज तक जो लोग अपने आपको प्रजातन्त्र के हिमायती कहते आये हैं उनका सही रूप इस चर्चा के परिणामस्वरूप लोगों को ज्ञात हो गया है। पश्चिम बंगाल के साढ़े चार करोड़ लोगों के मूल अधिकारों का जब प्रश्न उठा और पुलिस तथा अनुत्तरदायी अफसरों को लोगों को बिना मुकदमा चलाये पकड़ने की स्वतन्त्रता देने की बात आई तो उन राजनीतिक चंचल व्यक्यिों ने इसका समर्थन किया।

कल श्री कृष्ण मेनन ने ठीक ही कहा कि विश्व के किसी भी सभ्य अथवा प्रजातान्त्रिक देश के सांविधिक-ग्रन्थों में उस देश के अपने नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित करना और उन्हें बिना मुकदमा चलाये पकड़ने का उग्रराष्ट्रवादी कानून नहीं

है। केवल युद्ध के समय जब किसी राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तब ऐसे उपाय अपनाये जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ नक्सलपंथियों और समाज विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक गतिविधियां की जा रही हैं परन्तु वहां किसी प्रकार की किसी विशेष आपातकालीन स्थिति की राष्ट्रपति द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। फिर भी ये यथा-कथित प्रजातन्त्रवादी और कांग्रेसी नेता सांविधिक ग्रन्थ में ऐसे उग्रराष्ट्रवादी उपबन्ध रखना चाहते हैं।

कुछ ही दिन पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिये ऐसा क्रूर नियम बनाया है। क्यों ? इसलिये कि कांग्रेसी नेता आगामी चुनाव आसानी से जीत सकें। कांग्रेसी नेताओं को अन्तिम रूप से कुछ नहीं करना है बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता को ऐसा करना है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि कांग्रेसी नेता वास्तव में किसकी सेवा करते हैं।

कुछ सप्ताह पूर्व दुर्गापुर में हड़ताल हुई थी। इस हड़ताल का लाभ उठाकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दल लगाये गये। वहां पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, पश्चिम बंगाल आर्म्ड कांस्टेबुलैरी और क्या नहीं भेजा गया था। 63,000 जनसंख्या के लिये 25,000 से अधिक सशस्त्र सिपाही दुर्गापुर भेजे गये। दुर्गापुर में महिलाओं पर भयानक अत्याचार किये गये जो केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा ही नहीं किये गये अपितु केन्द्रीय औद्योगिक रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और न जाने कौन-कौन से बलों द्वारा भी अत्याचार किये गये। जब वहां जिला मजिस्ट्रेट गये तो 120 हड़ताल करने वाली महिला कर्मचारियों ने जिला मजिस्ट्रेट का ध्यान कांग्रेसी नेताओं द्वारा भेजी गई पुलिस की ओर दिलाने के लिये जुलूस निकाला। जब जुलूस जिला मजिस्ट्रेट से सौ गज़ की दूरी पर था तो उसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आदि द्वारा रोक लिया गया और महिलाओं की साड़ियां उतार कर सड़क पर जलाई गई। (**व्यवधान**) शायद कल मंत्री महोदय यह कह दें कि जांच करने के पश्चात् मालूम हुआ है कि वहां कोई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नहीं भेजी गई थी। सीमा सुरक्षा बल आदि का क्या हुआ ?

उन्होंने कहा कि बासन्ती और धाया में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नहीं भेजी गई थी। जो दूसरी पुलिस भेजो गई थी उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

मैं इस तरफ के और उस तरफ के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पश्चिय बंगाल की महिलाओं के साथ केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस द्वारा किये गये व्यवहार पर चिन्ता व्यक्त की है। आप सभी बंगाल की महिलाओं के सम्मान का आदर करते हैं। हमें एक संयुक्त शिष्टमंडल के रूप में गृह-मंत्री तथा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से उन सब आरोपों की जांच करने के लिये अनुरोध करना चाहिये जो यहां तथा बाहर लगाये गये हैं। यदि आप मानवीय मूल्यों का आदर करते हैं तो आप बासन्ती, धाया और दुर्गापुर चलें जहां महिलाओं के सम्मान का हनन किया गया है।

कई सज्जनों ने मुझ से पूछा है कि इसका क्या उपाय है। यह सही है कि हिंसा-हिंसा को जन्म देती है। राइफल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा पुलिस के माध्यम से सरकार नक्सलवादी हिंसा को नहीं रोक सकती है। पश्चिम बंगाल का उत्तरदायित्व क्यों लिया जाये ? इन समस्याओं का हल निकालने का काम पश्चिम बंगाल की जनता का है। पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को वहां के प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाये और वे चाहे जो करें, उन्हें करने दिया जाये। सरकार इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकती है। केवल पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ही इस कार्य को कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्होंने ठीक कहा है कि दुर्गापुर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मजिस्ट्रेट की जांच की गई तथा यह निष्कर्ष निकला कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के व्यक्ति उसके लिये उत्तरदायी थे।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म; शर्म।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पन्त पुनः सदन को गलत रास्ता दिखा रहे हैं···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, पश्चिमी बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 का, जो 23 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखा गया था, राष्ट्रपति द्वारा एक निरसन अधिनियम अधिनियमित करके निरसन किया जाये।

यह सभा राज्य सभा से शिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में	36	**विपक्ष में**	179
Ayes	**36**	**Noes**	**179**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : श्री गणेशघोष ने एक अन्य संकल्प प्रस्तुत किया है। इस पर श्री देवेनसेन ने एक संशोधन किया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गणेशघोष द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, पश्चिमी बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 का जो 3 दिसम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखा गया था, राष्ट्रपति द्वारा एक निरसन अधिनियम अधिनियमित करके निरसन किया जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

Lok Sabha divided :

पक्ष में	34	विपक्ष में	176
Ayes	34	Noes	176

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

हिमाचल प्रदेश राज्य विधेयक

STATE OF HIMACHAL PRADESH BILL

अध्यक्ष महोदय : हम आज इस विधेयक को यथासम्भव शीघ्र पास कर राज्य सभा को भेज देंगे। इस बारे में अधिक मतभेद नहीं है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को मुख्य आग्रह के अधीन एक पृथक प्रशासनिक एकक बनाया गया था। उस समय इसका क्षेत्रफल 10,600 वर्ग मील था और इसकी जनसंख्या 9.35 लाख थी। इस समय का राजस्व 85 लाख रुपये था। संविधान के अन्तर्गत इसको भाग (ग) का राज्य घोषित किया गया था। 1 अप्रैल 1952 से यहां पर विधान सभा बनाई गई तथा वहां पर मंत्रि परिषद् बनी।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसको अपने प्रतिवेदन में पंजाब राज्य में मिला देने की सिफारिश की थी, परन्तु विकास की स्थिति को बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने इसे केन्द्रीय प्रशासित यूनिट बनाये रखने का निर्णय किया। राज्य पुनर्गठन विधेयक के पास होने पर 1950 में इस संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रि परिषद् को खत्म कर दिया गया।

अगस्त 1957 में हिमाचल प्रदेश में एक प्रादेशिक परिषद् की स्थापना की गई। संविधान में संशोधन करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश तथा चार अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा बनाई गई तथा परिषदें स्थापित की गई।

यह परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1967 को हुआ। पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् 1 नवम्बर 1966 से हिमाचल प्रदेश में और अधिक क्षेत्र जोड़ दिया गया।

हिमाचल प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 21,629 वर्ग मील है। 1961 की जन-गणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 28.12 लाख है। राजस्व 20 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत इसने पर्याप्त प्रगति की है। इस क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है। गत वर्ष मार्च में इस मामले पर चर्चा की गई थी और सभा के लगभग सभी वर्ग हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिये जाने के पक्ष में थे।

हमने इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का विस्तृत अध्ययन किया है। प्रधानमंत्री ने 31 जुलाई, 1970 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में अपने निर्णय की घोषणा सभा में की थी। इस आश्वासन को पूरा करने के लिए इस विधेयक को सभा के समक्ष रखा जा रहा है।

इस विधेयक के खण्ड 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के एक नये राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत संसद् को ऐसा करने का अधिकार है, अन्य उपबन्ध राज्य पुनर्गठन विधियों के आधार पर ही बनाये गये हैं। खण्ड 4 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को भारत संघ के अन्य राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। यह 18वां राज्य होगा। खण्ड 5 से 20 तक इस नये राज्य के संसद् में प्रतिनिधित्व के बारे में है।

इस समय राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के तीन स्थान हैं। नये राज्य को भी इतने ही स्थान दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान सदस्य ही नये राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। खण्ड 8, 9 और 14 लोक सभा में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में है। इस समय लोक सभा में छः स्थान हैं। अब इस नये राज्य को चार स्थान देने का प्रस्ताव है। परन्तु अभी वर्तमान छः सदस्य बने रहेंगे। खण्ड 9 में इसकी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी क्षेत्र बिना प्रतिनिधि के न रहे।

खण्ड 10 से 13 और खण्ड 15 हिमाचल प्रदेश के नये राज्य की विधान सभा के बारे में है। खण्ड 10 और 11 के अन्तर्गत विधान सभा के 60 सदस्य बने रहेंगे परन्तु नई विधान सभा में 68 सदस्य होंगे, हमने ऐसा प्रस्ताव किया है, अन्य कई सुझाव भी प्राप्त हुए जिनमें विधान सभा में कुछ और संख्या रखने का प्रस्ताव है। आगामी आम चुनाव के पश्चात् हदबन्दी आयोग स्थापित किया जायेगा और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि उसके समक्ष अपने विचार रख सकते हैं। विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध करते समय हमने वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा है। अन्य राज्यों को देखते हुए 68 की संख्या को अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

खण्ड 21-32 नये राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने के बारे में है। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस समय 17 न्यायाधीश हैं जिनमें से दो शिमले में बैंच पर हैं। यदि खण्ड 22 (1) में इस ओर से एक अथवा अधिक नये न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते हैं।

खण्ड 33 से 36 व्यय तथा राजस्व वितरण के बारे में है। नये राज्य के बजट बनाने तथा बिधान मण्डल से इसको मजूंर कराने में कुछ समय लगेगा। परन्तु इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार को व्यय करने का पर्याप्त अधिकार होना चाहिए। खण्ड 35 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल के भत्ते तथा विशेषाधिकार नियत कर सकता है।

खण्ड 36 के अन्तर्गत राष्ट्रपति नये राज्य का केन्द्रीय करों में भाग तथा सहायक अनुदान नियत कर सकता है।

खण्ड 37-38 नये राज्य की आस्तियों तथा दायित्व के बारे में हैं। खण्ड 39-45 सेवाओं के बारे में हैं। खण्ड 39 तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के पृथक संवर्ग स्थापित करने के बारे में है। खण्ड 40 राज्य स्तर, सिविल स्तर तथा पुलिस सेवा के अधिकारियों के आवंटन के बारे में है। यह खण्ड केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के बारे में है।

खण्ड 41 में इस बात की व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार के जो अधिकारी इस समय हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे तब तक वहां पर कार्य करते रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा आदेश न दे।

खण्ड 44 में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अथवा इससे अधिक समितियां बनाने का उपबन्ध है ताकि सेवाओं के बारे में कर्तव्य निभाने हेतु राज्य की सहायता की जा सके ।

खण्ड 46-54 में कुछ कानूनी तथा अन्य उपबन्ध हैं । अनुच्छेद 210 (1) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल का कार्य राज्य की सरकारी भाषा, अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है । नया राज्य अंग्रेजी में अपना कार्य नहीं कर सकता क्योंकि संविधान में निर्धारित पन्द्रह वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है । खण्ड 46 में इस अवधि को 15 वर्ष से 25 वर्ष तक बढ़ाये जाने की व्यवस्था है ताकि आगामी पांच वर्षों में नया राज्य इस बारे में कोई निर्णय ले सके ।

खण्ड 47-48 में नये राज्य को उत्तर क्षेत्रीय परिषद् में शामिल करने की व्यवस्था है ।

खण्ड 49-54 में वर्तमान विधियों को जारी रखने, उन विधियों को अपनाने तथा न्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या किये जाने के बारे में है । मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I welcome this Bill. I also welcome the Provision relating to the establishment of High Court. The people of Himachal Pradesh have been demanding statehood for a very long time. This Bill will fulfil this aspiration. I congratulate the Government for giving this due to the people of Himachal Pradesh. The establishment of High Court will facilitate the people in getting justice and many difficulties will be removed which were hitherto coming in their way in getting justice.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए ।]

[Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

It is also a welcome step that Governor is being authorised by the President to allot funds from the Consolidated Fund of India.

I also congratulate the Government for making a provision in the Bill that sitting Members from Himachal Pradesh will continue to be Members of this House till the expiry of its term. I do not understand as to why the number of members of Legislative Assembly is being raised. If you want to develop that region the number of members of the Assembly should not be increased. Sixty members are enough for that State.

Shri Pratap Singh (Simla) : I on behalf of the people of Himachal Pradesh and myself congratulate our leader Shrimati Indira Gandhi and Shri Pant for bringing

this Bill which will ultimately grant Statehood to Himachal Pradesh. I also congratulate the hon. Members sitting on both sides of the House.

Mr. Chairman, I also congratulate you as this Bill is going to be passed at a time when you are in the chair. I also congratulate the Chief Minister Dr. Parmar who have achieved this end in a democratic way. I wish that all Indians should adopt such democratic ways and give up agitational approach. The demand of statehood had been made several times in the past. A resolution was passed in Simla to this effect under the chairmanship of Shri Rana Jung Bahadur Singh in 1948. At that time editorials had appeared in support of this demand in Tribune, Milap and Pratap. I congratulate these papers also because they have always supported this demand.

On 29 August, 1951 when Part C States were being discussed in this House, Shri Gopal Swami Ayangar had stated that part 'C' states should be merged with other states but Himachal Pradesh should be kept as a separate entity.

In January, 1968 a resolution demanding full statehood for Himachal Pradesh was passed unanimously by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. Even Pandit Jawahar Lal Nehru had supported this demand. Now Shrimati Indira Gandhi is going to fulfil that long standing demand of the people of Himachal Pradesh.

During freedom struggle Himachal Pradesh had played its role. I can quote 'Suket Satyagrah' for the purpose.

More seats should be allotted to Himachal Pradesh Assembly keeping in view its difficult transport problems. I have given notice of an amendment to this effect which may be accepted.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अन्ततः सरकार ने इस विधेयक को पेश कर दिया है। इस विधेयक को सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त है।

मुझे आशा है कि वह राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात वहां के लोग और भी प्रगति करेंगे वे इस को एक सफल राज्य बनायेंगे। इस राज्य के निर्माण से हमें अन्य ऐसी ही समस्याओं की याद आती है। क्या सरकार उनके बारे में भी ऐसी ही कार्यवाही करेगी। ? अनेक प्रदेशों के लोग पृथक राज्य का दर्जा प्रदान किये जाने की मांग कर रहे हैं। यदि उनको भी यह दर्जा दे दिया जाये तो अच्छा होगा।

हमें बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के राज्य रखने होंगे यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री बड़े राज्यों का ही होता है। अतः छोटे राज्य बनाने सम्बन्धी उनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता। यदि किसी एक क्षेत्र में अनेक छोटे राज्य हों तो उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। भारत सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग द्वारा भी उन पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

मैं श्री परमार तथा हिमाचल प्रदेश के संसद सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूं।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए संसद सदस्यों की संख्या को छे से कम करके चार करने का जो निर्णय किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हम नहीं चाहते कि इन छोटे राज्यों को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये हालांकि मैं छोटे राज्य बनाने के पक्ष में हूं। कुछ लोगों ने विधायकों की संख्या बढ़ाये जाने पर आपत्ति की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि संख्या बहुत कम हो तो इसमें अस्थिरता बने रहने का खतरा होता है। अतः यह एक अच्छी बात है कि उनकी संख्या को बढ़ा कर 68 कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग जाती जनजातियों के अथवा आदिवासी हैं। मुझे आशा है कि स्थानों के आवंटन में जनजातियों के लोगों को अन्य राज्यों में जो संरक्षण दिया जाता है वह जहां भी दिया जायेगा उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। व्यापारियों तथा अन्य लोगों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता रहा है। उनका विकास किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था नहीं के समान है इसका तेजी से विकास किया जाना चाहिए। आशा है कि केन्द्रीय सरकार उनके विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी। इस लिए में परामर्शदायी समितियां बनाये जाने की शक्ति को सरकार द्वारा अपने हाथ में रखे जाने का स्वागत करता हूं।

मैं चाहता हूं कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के विकास के लिए भी परामर्शदात्री समितियां बनाई जानी चाहिएं। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के विकास पर कुछ विशेष ध्यान देगी। भारत सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को आयकर उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों से अधिक भाग प्राप्त हो क्योंकि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है।

आशा है कि सरकार इस राज्य की प्रगति में कोई बाधा नहीं डालेगी और लोकतंत्र प्रणाली यहां पर सफल सिद्ध होगी।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I congratulate Shri Pant for bringing this Bill. I congratulate this entire House for the support it has given to this Bill. Today we are going to achieve our objective without resorting to violence or other undemocratic ways. Our people who are about 30 lakhs in number are innocent. I, therefore, congratulate the people of Himachal Pradesh for not resorting to any undemocratic means for achieving their end. I congratulate the Chief Minister, Shri Parmar for his efforts in this direction.

Himachal Pradesh has an area of 55 thousand kilometers. Only four seats are being allotted in Lok Sabha for this entire region which is bigger in size than Kerala and Haryana. It will be difficult for any single member to cover about 14 thousand kilometer of his constituency. I would request the Government to think over this matter once again.

It will also not be proper to reduce the representation of the people in Legislative Assembly.

Maximum share should be given to us in the Plan so that we may be able to stand on our own feet. Necessary financial assistance should continue to be given to Himachal Pradesh for next year so that it could bear the administrative expenditure.

Recommendations of the Third Pay Commission should be implemented in Himachal Pradesh also as was assured in the House earlier. The employees should not be deprived of the benefit simply because Himachal Pradesh is going to be a separate state. No provision has been made in the Bill in this regard.

Oona Tehsil should also be merged in Himachal Pradesh. Pathankot and Kalkaji should also be merged in Himachal Pradesh. I hope that Shri Pant will consider this matter also.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : First of all I would like to congratulate the People of Himachal Pradesh and its rulers for the attainment of statehood. The existence of Himachal Pradesh as a separate unit is the result of peaceful policy of the Himachal people adopted at the time of re-organisation of Punjab.

The Government should formulate some guiding principles for the formation or re-organisation of States, keeping in view the factors of population and area. I think that Himachal Pradesh after attaining Statehood will not depend on Central assistance for running the administration. I welcome the grant of statehood to Himachal Pradesh.

Shri Virbhadra Singh (Mahasu): This is a day of happiness for the people of Himachal Pradesh. Their dream has turned into a reality. Himachal Pradesh will occupy an honourable place as 18th State within this great nation. I on my own behalf and on behalf of the people of Himachal Pradesh thank the Government of India, the Prime Minister, Shri K.C. Pant and also this august House for the grant of statehood to Himachal Pradesh.

The peace loving people of Himachal Pradesh have proved that problems can be solved through peaceful and constitutional means without resorting to violence and acts of subvertion.

Himachal came into being on 15th April, 1948, when it was very backward. It achieved great progress during the last 22 years and its annual income rose from Rs. 85 lacs to Rs. 20 crores during these years. We feel that we are capable of shouldering the increasing responsibilities.

We are grateful to the Central Government for providing us with liberal assistance for our development during these years. I have every hope that we will continue to proceed on the path of Development in future also with the help of Central Government and also the cooperation of the people of India.

I am equally happy over the Government's proposal for granting statehood to Manipur and Tripura.

With these words, I thank the Government of India and hope that this House will give its blessings to the people of Himachal Pradesh who are going to attain the statehood.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : I welcome this Bill and congratulate the people of Himachal Pradesh for the fulfilment of their long felt desire. It would, however, have been better if the statehood for Himachal Pradesh could come as a result of a new state's re-organisation. New demands for the creation of new states for the hill areas of Uttar Pradesh and also for Vidharbha and Talengana are being raised. We should constitute a new States re-organisation Commission to examine all these demands.

Lahaul and Spiti is a tribal area of Himachal Pradesh. Government should create a new Union Territory by merging Lahaul-Spiti and Ladakh and create a new state of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.

Grant of statehood to Himachal Pradesh will also affect Delhi. I welcome the Government's decision to grant statehood to Himachal Pradesh but an early decision in case of Delhi should also be taken. The matter regarding number of seats in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha should be left to the decision of the next Delimitation Commission.

Himachal Pradesh is also backward from the point of view of tourism. State and Central Governments should give proper attention to the development of tourism in Himachal. Cost of living in Himachal Pradesh is very high. Its employees should, therefore, be paid adequately. So far as resources of the new state are concerned, they should be examined keeping in mind the resources of Nagaland. If Nagaland with annual income of Rs. 40 lacs and expenditure Rs. 36 crores can be helped by the Central Government, then why not Himachal Pradesh having annual income of Rs. 22 crores and expenditure of Rs. 37 crores ? In addition, Himachal Pradesh should also be given a railhead. I hope the Government will keep in mind the suggestions given by me.

Shri Sheo Narain (Basti) : I had been a staunch supporter of the demand for the grant of statehood to Himachal Pradesh. There is poverty in Himachal Pradesh. Government should try to develop it so that it becomes an ideal state. Himachal Pradesh is sentinal of our borders. I am happy to know that a Farmers Union has come into being in Himachal Pradesh. I hope that farmers will be provided with maximum assistance and the orchards will be encouraged. The Central Government should also assist Himachal Pradesh Government in the development of tourism. A compact political set up has been given to Himachal Pradesh but Simla, its capital, is provided with a nominated corporation, which should also be democratised. You should present an ideal democracy if you want a good state. With these words, I support this Bill.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : हिमाचल प्रदेश के हम संसद सदस्य इस विधेयक के लिए प्रधान मंत्री तथा सदन के अन्य सदस्यों के अत्यन्त आभारी हैं। इस विधेयक से हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हुई है। देश में यह एक मात्र उदाहरण है कि संघ राज्य क्षेत्र ने शांतिपूर्ण उपायों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।

राज्य की विधान सभा की सदस्य संख्या निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सदस्य संख्या कम होने के कारण राजनैतिक दावपेंचों के अधिक अवसर होते हैं जो अधिक सदस्य संख्या में कम हो जाते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण को भी हम विचार में रखें। वह यह है कि जनसंख्या के आधार पर संख्या न निश्चित करें। उससे जनसंख्या बढ़ाने के विचार को प्रोत्साहन मिलता है जो कि ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी दुरुह है। कम सदस्यों को उस क्षेत्र में आना जाना अत्यन्त कठिन होगा। इस कारण भी उचित होगा कि सदस्य संख्या कम न निश्चित करके अधिक निश्चित की जाय।

जब कोई नया उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है तो उसके लिए सभी उच्च न्यायालयों से न्यायाधीश लिये जाते हैं परंतु इस मामले में केवल दिल्ली उच्च न्यायालय से ही एक न्यायाधीश के स्थानान्तरण की व्यवस्था है। यह उचित नहीं है। उच्च न्यायालय के कर्म करण के संबंध में एक अन्य व्यवस्था भी ऐसी है जो कि उचित नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय मूल अधिकारिता का उच्च न्यायालय है। अर्थात उच्च न्यायालय में मूल मुकदमें लिये जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था शिमला उच्च न्यायालय के संबंध में भी की गई है। दिल्ली का क्षेत्रफल अधिक न होने के कारण यहां तो यह व्यवस्था कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करती परंतु अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य में यह व्यवस्था 400-500 मीलों की दूरी से गवाहों के लाने लेजाने के संबंध में कठिनाईयां उत्पन्न करती है। शायद विधि मंत्रालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया मेरा अनुरोध है कि इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये।

तीसरे वेतन आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। हिमाचल प्रदेश यदि संघ राज्य क्षेत्र ही रहता तो वह शिफारिशें वहां पर भी लागू होतीं परन्तु इस विधेयक में इस संबंध में ऐसी किसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं जिसके अनुसार अब भी यह सिफारिशें उस पर लागू हों। सरकार इस संबंध में या तो यह आश्वासन दे कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ अराज पत्रित कर्मचारियों को मिलेगा या नये हिमाचल प्रदेश राज्य को सरकार अनुदान दे जिससे कि कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन एवं भत्ते दिये जा सकें।

सरकार हमें यह भी आश्वासन दे कि नये राज्य के गठन के पश्चात भी आवश्यक सहायता दी जाती रहेगी। यह राज्य पिछड़ा हुआ है। इसे सारे देश के स्तर

तक लाया जाना है और साथ ही यह सीमावर्ती राज्य भी हैं। सीमावर्ती राज्य की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिये। इन दोनों कारणों से यह आवश्यक है कि इस राज्य को अतिरिक्त वित्तिय सहायता मिलती रहे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker *in the chair***]**

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा आशा करता हूं कि सरकार मणिपुर, त्रिपुरा आदि के संबंध में भी अपने वचन का पालन करेगी। उसके साथ ही मैं एक दो बातें करना चाहूंगा।

हिमाचल प्रदेश में यद्यपि विकास की पर्याप्त संभावनांए हैं फिर भी कहा नहीं जा सकता कि उस राज्य को कितनी सफलता प्राप्त होगी। एक अन्य बात भी है कि राज्य का दर्जा प्राप्त करने का उद्देश्य तो है केवल राज्य का विकास। वह आज की वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं क्योंकि राज्य का दर्जा प्राप्त करने के मात्र से ही समस्याओं का अन्त नहीं हो जाता। स्थिति में केवल एक अन्तर आता है। वह यह कि गृह मंत्रालय के स्थान पर राज्यों को अब वित्त मंत्रालयों योजना आयोग व अन्य मंत्रालयों के आगे हाथ पसारने पड़ेंगे और वे अधिकतर राज्य के विकास में सहयोगी नहीं बनते। केन्द्रीय सरकार इस स्थिति में सुधार करे तथा इस बात को सुनिश्चित करे कि नये राज्यों को औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में यथासम्भव सहायता दी जाये।

केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। उन पर समुचित विचार किया जाना चाहिये। केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों को बिगाड़ने वाली बातों का निराकरण होना चाहिये यदि यह सब बातें दूर न की गई तो केन्द्र तथा राज्यों के बीच तनाव बना रहेगा और यह राज्यों के विकास में बाधक है।

पांडीचेरी को भी सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की जा रही है। सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और वहां के लोगों की मांग की पूर्ति करे।

Shri Hem Raj (Kangra) : The demand of full statehood for Himachal Pradesh was supported by this House as well as the other. I, therefore, congratulate both the Houses for this support. I congratulate the Prime Minister also for this. When Punjab was a composite state, at that time it was considered whether this hilly area would be able to become viable. But it can be seen that Himachal Pradesh has progressed well and it can make further progress. It has got natural resources which can be utilized and tapped more effectively than has hitherto been done. At present 1500 k.w. electricity is being generated through rivers which have potential of producing 85 lakhs k.w. of electricity. Central Government could provide funds to the new Himachal Pradesh Government for producing more electricity. Financial outlay

of Rs. 84 crores was envisaged for Fourth Plan of old Himachal Pradesh, but after the merger of more areas with this state, it increased to Rs. 110 crores, while the area has nearly doubled. This increase is not proportionate. Central Government should provide more funds on this account and show generosity. Forest wealth of Himachal Pradesh can be exploited. Similarly, tourism can be developed. The new Himachal Pradesh Government would no doubt do its utmost to tap resources but initially funds should be provided by Central Government as Capital Expenditure.

The discretion for drawing Judges for Simla High Court has been confined to Delhi High Court alone. This is not fair. This limit should not be there.

It has been said that it is a border State and if more funds are not provided to it they may not be able to defend the borders. I would like to assure you that the people of those areas would not lag behind in the defence of the country. With these words, I support this Bill.

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होने के नाते मैं हिमाचल प्रदेश की प्रसन्नता में उनके साथ हूं। संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी पूर्णराज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं संघ राज्य क्षेत्रों को जो दर्जा दिया गया है वह संविधान के अनुरूप नहीं है। इन राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। वहां का प्रशासन भी प्रशासक के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। वहां उच्च न्यायालयों की भी व्यवस्था नहीं है। संघराज्य क्षेत्रों के लोगों की मांग है कि प्रजातन्त्र के अधिकार उन्हें भी मिलने चाहियें।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिये जाने के विधेयक के संसद में पेश किये जाने की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस अवसर पर मैं यह मांग करता हूं कि सरकार मनिपुर एवं त्रिपुरा के संबंध में भी तत्काल विधेयक प्रस्तुत करे और अन्यथा इसे अगले सतर में प्रस्तुत करने का आश्वासन दे। क्रान्तिकारी सरकार बनाने आदि के आरोप पर कई युवकों को कैद कर रखा गया है। सरकार उनके मामले पर सहानुभूति से विचार करे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : अपने पड़ौसी राज्य हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने पर मुझे प्रसन्नता है। हिमाचल प्रदेश में भी मेरे राज्य की तरह भी अनेक समस्याएं हैं। यह समस्याएं आर्थिक विकास, औद्योगिक क्रियाकलापों, सचांर व्यवस्था, जल तथा बिजली से संबंधित हैं। मुझे विश्वास है कि नये राज्य के पुनर्गठन के पश्चात दोनों राज्यों के नेता समन्वित रूप से लोगों की भलाई की योजनाओं पर सोचेंगे और वर्तमान अन्तर्राज्यीय समस्याओं को हल करेंगे।

चर्चा के दौरान कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या कम है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों की जनसंख्या चाहे कम हो परंतु वहां के लोग बहुत

परिश्रमी हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति यहां के वन हैं। सारे देश की भलाई के लिए इन वनों का समुप योजन हो रहा है। अतः जब भी हमारे संबंध में इस प्रकार से कहा जाता है तो हमें दुख होता है।

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने पर केन्द्र का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि इसके विकास के लिए समुचित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करे, विशेष रूप से इस दृष्टि से भी कि यह एक सीमावर्ती राज्य है। एक सुझाव यह दिया गया है कि इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के उपरान्त जम्मू-कश्मीर राज्य का भी इसमें विलय कर दिया जाना चाहिये। जिन लोगों ने यह सुझाव दिया है उनसे इस प्रकार की बातें बहुत अचम्भे में डालने वाली हैं। एक ओर तो उनके द्वारा इस विधेयक का समर्थन किया गया है और दूसरी ओर एक अन्य राज्य के विलय की बात की गई है। यदि ऐसा ही था तो विधेयक के समर्थन के स्थान पर इसका विरोध करके वह राज्यों के विलय की बात करते तो ठीक होता। राज्यों के विलय या बंटवारे की बाते करना तो बहुत आसान है पर क्या ऐसा करना व्यवहार्य है ? मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहियें।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजी) : यह समर्थन योग्य विधेयक है। हमारा दल तो प्रारंभ ही इन संघ राज्य क्षेत्रों के गठन के विरुद्ध था क्योंकि इनके द्वारा देश में दूसरे दर्जे की नागरिकता स्थापित हो रही थी जो कि प्रजातन्त्र की भावना के एकदम विपरीत है। इसके अनुसार कुछ लोगों को तो पूरे अधिकार मिलते हैं। जबकि अन्य को आंशिक अधिकार दिये जाते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्षों के पश्चात भी देश में कई ऐसे भाग हैं जहां इस प्रकार की परिस्थितियां है। त्रिपुरा भी उसी प्रकार का एक क्षेत्र है। वहां के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग बड़े समय से की जा रही है, परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया है। इसी प्रकार मनीपुर के संबंध में मांग है। मनीपुर के कुछ जनजातीय लोगों की मांग है नागालैण्ड के साथ उनके क्षेत्र का विलय। यह मांग उचित है तथा इसे स्वीकार किया जाना चाहिये और वहां के अन्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाने चाहिये।

वास्तव में सरकार को मनीपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश के लिए एक ही विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था। मुझे विश्वास है कि अगले सत्र में अन्य दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने वाला विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : I congratulate the Government on acceding full statehood to Himachal Pradesh. But I would like to point out that the Government to be formed there should be free from bureaucracy. I also feel that Gram Panchayats should be entrusted with the powers of Courts and High Courts and Supreme Court be abolished. Their power should be entrusted to the State Legislatures and the Parliament.

I feel that there should not be any bigger state like U.P. and instead there should be smaller states. These bigger states should be bifurcated into smaller states.

Shri Rabi Ray (Puri) : It is good that a Bill has been brought forward to accord full statehood to Himachal Pradesh. Actually the people of Himachal have been clamouring for this for quite some time. Himachal Pradesh is a hilly area. Our past history shows that Governments have accepted the demands of people only in the event of violent agitations. There is a demand for a full statehood to Manipur also. Government should accept that demand and bring forward a Bill in that regard in this very session.

Since independence there has been a demand that there should be Crash Programme for people living in areas adjoining Himalaya so that those people could have a sense of belongingness towards the country. But no attention has been paid towards this. Government should take some action in this regard.

Hindi and Pahari are the languages of Himachal Pradesh. Hindi should be adopted as a medium of instruction in Schools and Colleges as well as for administrative purposes so that people could have a feeling that their own language is the language of Administration.

I congratulate the people of Himachal attaining success in getting full statehood. I hope that state would become a prosperous state of India. I support this Bill.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I congratulate the people of Himachal Pradesh on attaining full statehood. It has been said that there would be economic difficulties before this new state. But I may point out that this is not a good logic. When Punjab and Haryana were created as separate states the same argument was given. But the fact is otherwise. I hope that similarly Himachal Pradesh would also become economically viable in a short span of time. There may be certain difficulties about the resources initially but they could be overcome in due course as its forest wealth and mineral resources and electricity could be developed.

Unnecessary politics is being inducted into this issue by certain elements by demanding certain adjoining areas in Himachal Pradesh. It is an attempt to create division amongst those who have been living together till now. It is also against the interests of the country. I personally feel that there should be an end to these boundary disputes (*Interruptions*) because in that event these divisive forces would not get any opportunity to act in this manner.

There are areas in Himachal Pradesh which are most beautiful not in this country but the whole world over. This state can be developed as Switzerland of our country. Initial difficulties are always there but they can be overcome. At this occasion, I congratulate the people of Himachal Pradesh, its Chief Minister and Cabinet on attaining full statehood through peaceful means.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकदराबाद) : मैं छोटे राज्यों का समर्थक हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी मैंने इसी प्रकार की गवाही दी थी परंतु सबसे बड़ा

प्रश्न उत्तर प्रदेश के बंटवारे का था जिसे कोई नहीं चाहता था और इसी कारण अन्य छोटे राज्यों का भी निर्माण न हो सका।

मैं छोटे राज्यों का स्वागत करता हूँ परंतु इसके लिए कोई सिद्धान्त आवश्यक होना चाहिये जिसके अनुसार राज्यों का निर्माण हो। मानवीय मंत्री ने विकास की गति के सिद्धांत की बात कही है। परंतु यदि नये राज्य के निर्माण के लिए विकास की गति ही इसका आधार है तो अन्य स्थानों पर भी इस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिये।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के निर्माण के लिये भाषा के सिद्धान्त का उल्लेख किया है। वह सिद्धांत इस स्थान पर लागू नहीं होता। उस क्षेत्र की भाषा डोगरी अथवा पहाड़ी है और उसका विकास होगा। कुछ अन्य क्षेत्रों की भाषा भी यही है। इस प्रकार हम हिन्दी की सेवा नहीं कर रहे अपितु हम सीमावर्ती राज्य में एक नये भाषा क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में एक छोटे से राज्य का निर्माण भी उचित नहीं है।

जो सिद्धान्त इस राज्य के निर्माण के लिए लागू किया गया है वही तेलंगाना के संबंध में भी लागू होना चाहिये। एक जगह तो आप नया राज्य स्थापित कर रहे हैं दूसरी ओर के लोगों को आप गोलियों आदि से दबा रहे हैं। तेलंगाना को भी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये।

Shrimati Laxmi Bai (Medak): Mr. Speaker, I congratulate the Central Government for bringing this Bill before the House and the people of Himachal Pradesh whose demand for Statehood has been accepted. Himachal Pradesh constitutes a border area and Government should continue to give more financial help to it for its development. We are happy that Himachal Pradesh is going to have a status of full-fledged State. At this occasion, we feel that we should also have a separate State of Telangana. I make an appeal to all to help us in getting a separate State of Telangana.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : श्रीमान् यह प्रसन्नता का दिन है क्योंकि भारत संघ में आज एक नये राज्य का जन्म हुआ है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। वह भारत का एक धनी राज्य बन सकता है। वहां हिमाच्छादित पर्वतमाला, नील-वर्ण जल सहित हरे-भरे चरागाह हैं। वहां प्रकृति अपने पूर्ण रमणीय रूप में विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है। इससे करोड़ों रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय होगी।

मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि छोटे प्रदेश को राज्य का स्तर देने से वह अलग होने की मांग करेगा। यदि वहां की समस्याएं पृथक हैं और वे एक अलग राज्य की सीमा में भली भांति सुलझ सकती हैं, तो उसे अवश्य ही पृथक राज्य बना दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से हम मनीपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी का भी नये राज्यों के रूप में स्वागत करेंगे।

नये हिमाचल प्रदेश राज्य में खर्च कम हो इस उद्देश्य से मैंने संशोधनों के माध्यम से कुछ सुझाव दिये हैं। मेरा पहला सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का राज्यपाल एक हो। दूसरा यह है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन मशीनरी पर अपने संसाधनों का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च न करे। अन्तिम सुझाव यह है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात चार महीने के अन्दर ही हिमाचल प्रदेश में नये निर्वाचन हो जाने चाहिएं ताकि नये राज्य में लोगों को नये प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त हो। अन्त में मेरी यह हार्दिक कामना है कि नया हिमाचल प्रदेश राज्य फूलता-फलता रहे और भारत को समृद्ध बनाने में अन्य राज्यों का साथ दे।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : Mr. Speaker, I also join the hon. Members in congratulating the people and leaders, of Himachal Pradesh. I also congratulate the Members of Legislative Assembly and the Chief Minister of Himachal Pradesh that they achieved their objective by adopting democratic and peaceful means.

As regards the strength of Legislative Assembly of the new State, we have decided to have it 68. Later on, the Delimitation Commission will decide this issue. As regards the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, I have to say that 16 seats are reserved for the Scheduled Castes and 3 seats for the Tribes. Moreover, the Fifth Schedule will be made applicable to the new State by the President. The responsibility for the development of border areas or tribal areas rests with State Government. The Central Government will also help the new State as they do in cases of other States. In reply to Shri Prem Chand Verma's question, I would like to say that the recommendations of Third Pay Commission cannot be implemented in Himachal Pradesh, as its status has already been raised to full-fledged State and it is for the State Government to take a decision on such matters.

It will not be proper to constitute another States Reorganisation Commission as it will add to the troubles instead of putting an end to the existing ones. We are solving such problems one by one. As regards the question of High Court Judges of Delhi to be sent there, there is no need of being afraid of clause 22 having this provision, as it is an enabling clause. As regards common Governor for two States we have no objection to this arrangement if both States are agreeable to it. As regards the financial help to Himachal Pradesh, it will be given assistance of 104 crores of rupees under the Fourth Five Year Plan. The financial position of this new State will be sound with this help as well as with the efforts of the State to fully explore its natural resources. Once again I congratulate the people of Himachal Pradesh at this occasion.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना और
तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी। खंड 2 से 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 5 to 9 were added to the Bill.

खण्ड 10

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं।

इस संशोधन में मैंने यह कहा है कि वहां चार महीने के अन्दर चुनाव होने चाहिएं। अभी कुछ समय राष्ट्रपति की स्वीकृत प्राप्त करने में लगेगा और तब फिर अप्रैल का महीना आ जाएगा। उस समय चुनाव कराना सम्भव हो सकेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वर्त्तमान सदस्यों का चुनाव भी बालिग मताधिकार के आधार पर हुआ था। इस संशोधन की वजह से उन्हें कठिनाई ही होगी, अतः मुझे उम्मीद है कि श्री कुण्डू अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री स० कुण्डू : मन्त्री महोदय के इस कथन को दृष्टि में रखते हुए कि इस कारण उन्हें कठिनाई होगी, मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता।

संशोधन संख्या 33, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

Amendment No. 33 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 10 से 14 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted,

खण्ड 10 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 से 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 15 to 23 were added to the Bill.

खण्ड 24

संशोधन किये गए :

Amendments made :

पृष्ठ 8, पंक्ति 8 में,

कोष्ठक और शब्द "(a)" [(क)] **के स्थान पर**

कोष्ठक और शब्द "(b)" [(ख)]

प्रतिस्थापित किया जाये ।

(45)

पृष्ठ 8, पंक्ति 15 में,

"In accordance" (के अनुसार) शब्द

हटा दिये जायें ।

(51)

—(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 से 34 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 25 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 25 to 34 were added to the Bill.

खण्ड 35

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move my amendment No. 11.

It is the need of the hour that we impose a certain limit on income. We should have a new beginning with the Statehood to Himachal Pradesh and pay of the Governor there should be fixed at a low level. Though even Rs. 1500/- p.m. would be sufficient, but keeping in view the prevailing high prices, Rs. 2000/- p.m. would be more than sufficient.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करता हूं ।

यह दोनों राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त करने के बारे में है । मन्त्री महोदय और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । राज्य की खराब आर्थिक व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 और 39 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 11 and 39 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 35 से 38 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 35 से 38 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 35 to 38 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 39 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 39 was added to the Bill.

खण्ड 40

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment No. 12.

The period of deputation for I.A.S. officers, Police officers and for officers belonging to Central Health Service has been fixed as three years. The period of deputation for C.H.S. officers is too low and it should be enhanced to five years.

Shri K.C. Pant : It has been thought that during this period of three years, H.P. Government would organise a Health service of its own. If need be, these officers may go there on deputation.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 12 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 40 से 45 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 40 से 45 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 40 to 45 were added to the Bill.

खण्ड 46

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment No. 13.

Clause 46 relates to the language. When constitution was framed, it was provided therein to use English for a period of 15 years. Later on it was extended

by 10 years. With this new State, a new beginning should be made by abolishing the use of English. Twenty years are going to pass and I have fixed 22 years for the continuance of English there.

Shri K. C. Pant: The present provision has also been adopted. The H.P. Government may change it at their discretion.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 13 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 46 और 47 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 46 और 47 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 46 and 47 were added to the Bill.

खण्ड 48

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 16, पंक्ति 18 में,—

"In" (में) शब्द **के स्थान पर**

"on and from the appointed day, in"

(निर्धारित दिन को और से, में) शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें ।** (46)

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 48, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 48, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 48, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 49

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment Nos. 14 and 15.

Legislature is an elected body and hence it is fully-competent. Therefore these two amendments may please be accepted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनका संशोधन इस धारणा पर आधारित है कि वर्त्तमान कानूनों में संशोधन करने का राज्य विधान मण्डल को अधिकार है, परन्तु अभी उस राज्य में केन्द्र सूची लागू है और उसमें राज्य विधान मण्डल द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 14 और 15 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment No. 14 and 15 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 49 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 49 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 49 was added to the Bill.

खण्ड 50 से 54 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 50 to 54 were added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

संशोधन किये गये :—

Amendments made :

पृष्ठ 17, पंक्ति 31 में "In paragraph 4" (कण्डिका 4 में) शब्दों और अंक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये :—**

'In paragraph 2, for the figure "XIII", the figure "XIV" shall be substituted, and in paragraph 4'

(कण्डिका 2 में, अंक "तेरह" **के स्थान पर** अंक "चौदह" **प्रतिस्थापित किया जाये** और कण्डिका 4 में)

(47)

पृष्ठ 17, पंक्ति 42 में, "(a)" [(क)] शब्द और कोष्ठक **के स्थान पर** "(b)" [(ख)] शब्द और कोष्ठक **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (48)

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

The First Schedule, as amended, was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Second Schedule was added to the Bill.

तृतीय अनूसूची

संशोधन किये गये :

Amendments made :

पृष्ठ 20, पंक्ति 21 में "In paragraph 3" (कण्डिका 3 में), शब्दों और अंक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये :—**

'In paragraph 2, for the figure "XII", the figure "XIII" shall be substituted, and in paragraph 3'

(कण्डिका 2 में, अंक 'बारह' **के स्थान पर** 'तेरह' **प्रतिस्थापित किया जाये,** और कण्डिका 3 में) (49)

पृष्ठ 20, पंक्ति 32 में, शब्द और कोष्ठक "(a)" [(क)] **के स्थान पर** शब्द और कोष्ठक "(b)" [(ख)] **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (50)

—(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चतुर्थ अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चतुर्थ अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Fourth Schedule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 16 दिसम्बर, 1970/25 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 16th December, 1970/Agrahayana 25, 1892 (Saka)